खण्ड-167, अंक-4
गुरूवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(8 मार्च, 1956 ई0)

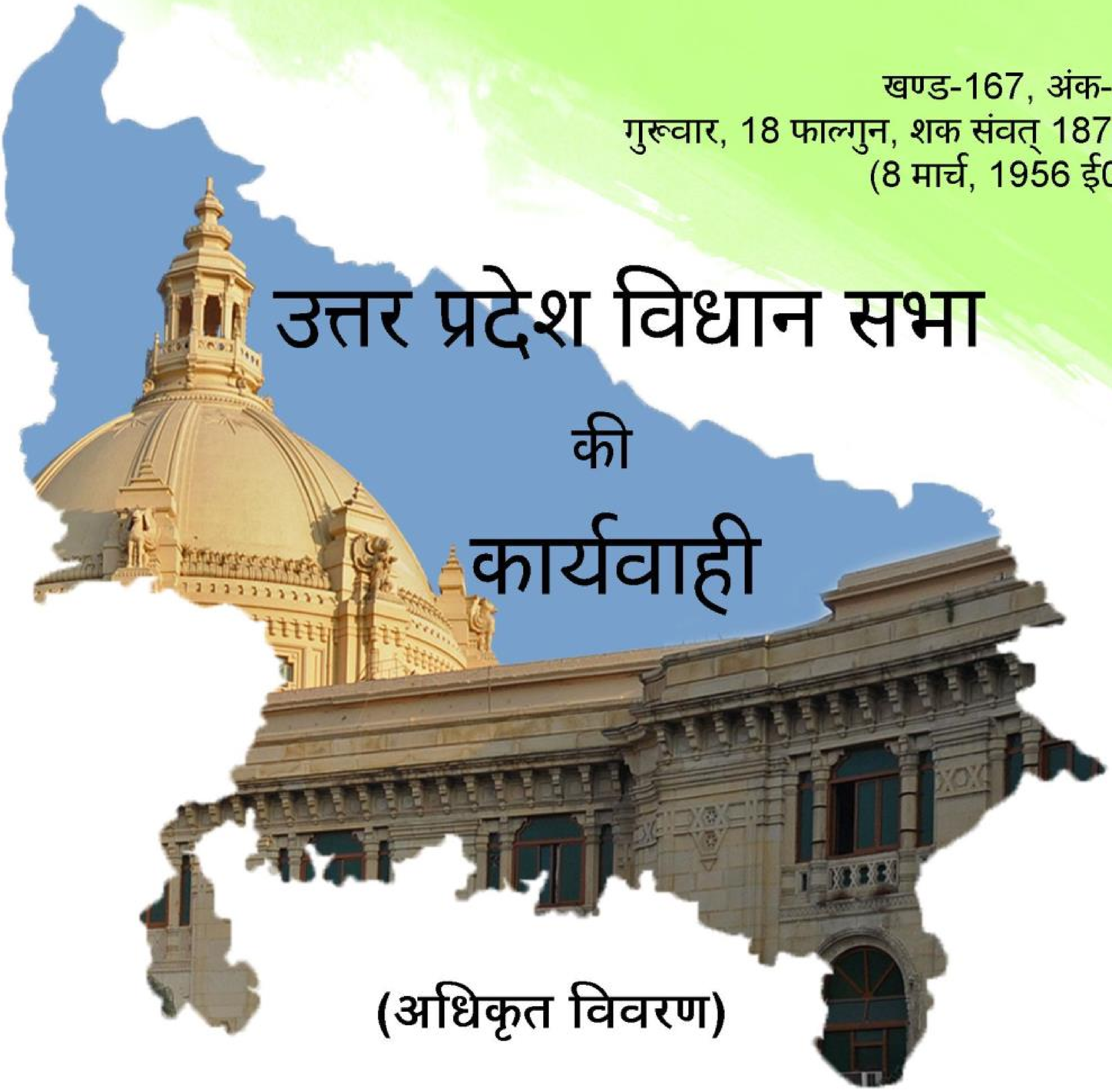

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 167 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उदय पटेरा फाउंडेशन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ८ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२९६)

अंसमान सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्ननगुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय , श्री
केशवराम, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री

जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम श्री, (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री

मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मजरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री

शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, ८ मार्च, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

परगनाधीशों की अदालतें तहसील के केन्द्रों पर कायम करने का विचार

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के परगनाधीशों की अदालतें तहसील के केन्द्रों पर करने का आदेश दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कब तक विचाराधीन रहेगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब तक इससे संबंधित और प्रश्न तय न हो जायं और फैसला न हो जाय, यह विचाराधीन रहेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को लागू करने में सरकार का कितना व्यय होगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—इन सब बातों पर ही विचार हो रहा है।

सिधौली तथा महमूदाबाद, जिला सीतापुर में बिजली देने का विचार

**२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिधौली महमूदाबाद (सीतापुर) कस्बों में बिजली कब तक पहुंच जायगी ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—आशा की जाती है कि कस्बा सिधौली का विद्युतिकरण अगले वित्तीय वर्ष में आरम्भ हो जायगा और इसके बाद कभी आइन्दा महमूदाबाद का।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिधौली में सब-स्टेशन बना कर बिजली दी जायगी या अन्य स्थान से दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—इस समय शारदा एरिया से देने का इरादा हो रहा है कहां सब-स्टेशन बनेगा, इस पर विचार किया जायगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—महमूदाबाद कस्बे में जमींदारी उन्मूलन के बाद वहां की बेकारी को ध्यान में रख कर वित्त मंत्री जी इस कस्बे में बिजली देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—यह तो बता दिया गया है कि जितनी बिजली पैदा की जायगी उसी आधार पर हम आगे विचार करेंगे और उसके बाद सोचा जायगा।

उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र

**३—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि प्रदेश में राज्य के पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत सन् १९५६-५७ में कहां-कहां प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोले जायंगे ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में पिछड़े तथा अनुसूचित क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

श्री बनारसीदास—वैसे कुछ जिले जरूर हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में करीब-करीब सभी ऐसे जिले हैं जहां कुछ न कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जिनकी वजह से कीमतें कम हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को लिखा गया है कि वह यह बतलायें कि क्या क्या योजनायें हो सकती हैं। यह बड़ा विस्तृत सवाल है जैसे यातायात का अभाव है और वेयर हाउसेज का अभाव है, तो तमाम योजनाओं की मांग की गई है। इसलिये अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां क्या किया जायगा। जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जवाब न आ जाय।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

श्री बनारसीदास—मैं उत्तर दे चुका हूं कि कुछ जिले विशेष रूप से ज्यादा पिछड़े हुये हैं, लेकिन बहुत से जिलों में कुछ हिस्से ऐसे हैं, जो ज्यादा पिछड़े हुये हैं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि प्रान्त के तमाम जिले जो दूसरे प्रान्तों की सरहद पर हैं वह हर दृष्टिकोण से पिछड़े हुये हैं ?

श्री बनारसीदास—मैंने निवेदन किया कि यह तुलनात्मक प्रश्न है और इसके लिये कोई तालिका तैयार नहीं की गई है कि कौन-कौन जिले इसमें आते हैं। हमारे सूबे के सब जिले हैं जहां ऐसे हिस्से हैं, जो पिछड़े हुये हैं। यह हो सकता है कि अपेक्षाकृत कुछ जिलों के हिस्से ज्यादा पिछड़े हुये हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विशेष रूप से पिछड़े हुये जिले कौन से हैं ?

श्री बनारसीदास—जहां पर कम्यूनिकेशन्स का ज्यादा अभाव है या जहां पर रेलवे कम हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य चाहते हैं कि आप किन्हीं जिलों का नाम ले दें।

श्री बनारसीदास—शायद हमीरपुर इस श्रेणी में आ सकता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर पिछड़ा हुआ जिला माना जायगा या नहीं ?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह कहा जा सकता है कि मिर्जापुर के दूधी वगैरा के इलाके जरूर पिछड़े हुये हैं।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना प्रादेशिक सरकार की है या केन्द्रीय सरकार की है ?

श्री बनारसीदास—दरअसल केन्द्रीय सरकार को इस तरह के जिलों के पिछड़े हुये हिस्सों का विकास करने के लिये प्रादेशिक सरकार कोई योजना दे तो फूड मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से ऐसे प्रस्ताव मांगे गये हैं।

नहरों के किनारे कच्ची सड़कों पर भारी गाड़ियां चलाने की मनाही

**४—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि नहरों के किनारे जो सड़कें बनी हैं, उन पर जनता की गाड़ियां नहीं जा पातीं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधा को देखते हुये गाड़ियां चलाने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)— जी हां। यह सड़कें प्रायः कच्ची हैं और उन पर भारी गाड़ियां चलाने से जल्दी कट जायंगी और बेकार हो जायेंगी जिससे विभागीय कार्य में बाधा पड़ेगी।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जो सड़कें हैं वह उनको पक्की करने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो बड़ा उत्तम विचार है और सरकार इसके लिये उत्सुक भी है। लेकिन इन मामलों में कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बस्ती जिले में होने वाले कार्य

**५—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)— क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली जाने वाली सड़कों तथा पुलों का अन्तिम निर्णय तहसील डुमरियागंज का हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक होने की आशा है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—प्रथम भाग—सड़कों तथा पुलों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिलों के आधार पर बनाई गई है न कि तहसीलों के।

बस्ती जिले की योजना तैयार हो चुकी है और उस योजना के अन्तर्गत जो कार्य डुमरियागंज तहसील में होने वाले हैं वह भी निश्चित हो चुके हैं।

द्वितीय भाग—प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

देहरादून जिले में सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने में प्रगति

**६—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जिले में सीमेंट फैक्ट्री लगवाने का सरकार का जो इरादा था उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०, गोलागोकरन नाथ ने एक सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिये भारत सरकार से इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट एन्ड रेगूलेशन ऐक्ट, १९५१ (Industries Development and Regulation Act 1951.) के अधीन लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार ने मिनरल कंसेशन रूल्स, १९४९ (Mineral Concession Rules 1949) के अधीन, उक्त मिल को एक सार्टिफिकेट आफ एपरूअल भी दिया है।

मऊनाथभंजन, जिला आजमगढ़ में चेचक का प्रकोप

**७—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले ६ मास में आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन तथा अन्य हिस्सों में चेचक के कारण कितनी मृत्यु हुई ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन नगर में चेचक के कारण पिछले ६ मास के अन्तर्गत कुल ४० मृत्यु हुई तथा जिले के अन्य हिस्सों में केवल एक मृत्यु हुई।

**८—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मऊनाथ भंजन में चेचक का प्रकोप रोकने के लिये कौन-कौन सी विशेष कार्यवाही हेल्थ विभाग की ओर से हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बीमारी को रोकने के लिये मऊनाथ भंजन नगरपालिका में नगरपालिका तथा जिले के कर्मचारियों द्वारा एक बड़ी संख्या में शीतला निवारक टीके लगाये गये जिनकी संख्या १२,०२४ है। नगरपालिका के १ स्थायी वैक्सीनेटर तथा सैनिटरी इन्सपैक्टर के अतिरिक्त तीन अधिक अस्थायी वैक्सीनेटर नियुक्त किये गये साथ ही तीन एपीडेमिक असिस्टेंट भी शीतला निवारक टीके लगाने के हेतु भेजे गये। ३११ घरों को गंधक द्वारा शुद्ध किया गया। बीमारों के दूषित कपड़ों तथा अन्य सम्बन्धित चीजों को भी पूरी तरह से शुद्ध कराया गया।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन में विशेषकर क्यों चेचक का प्रकोप अधिक हुआ करता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—चेचक आमतौर से उन्हीं स्थानों में होती है जहां गंदगी अधिक होती है और इसके कारण ही वहां चेचक हुई।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतावेगी कि मऊनाथ भंजन में जो गंदगी है उसकी सफाई का क्या कोई इन्तजाम हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उसके संबंध में तो प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि वहां पर अलग से स्टाफ रख दिया गया है। वैक्सीनेटर रखे गये हैं, एपेडेमिक असिस्टेंट्स रखे गये हैं और वह सब स्वच्छता का प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि मऊनाथ भंजन में लगभग २६ आदमियों की चेचक से मृत्यु हो जाने के बाद म्युनिसिपैलिटी की ओर से टीके लगाने का प्रबन्ध हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--मऊनाथ भंजन में नगरपालिका है। वहां का स्वास्थ्य संबंधी काम उसी के सुपुर्द है और वही उन कामों को करती है। जैसे ही उसने सरकार से मांग की, उसके तुरन्त बाद ही यह सारी व्यवस्था कर दी गई।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार का कोई ऐसा विचार है कि मऊ म्युनिसिपैलिटी के कामों को देखते हुये इस विषय में उसे कोई स्पेशल ग्रांट दी जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यदि किसी स्पेशल ग्रांट की मांग आयेगी तो उस पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार को यह मालूम है कि मऊ में जो भयंकर गंदगी है उसका एक कारण वहां की घनी आबादी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--घनी आबादी करीब-करीब प्रदेश में जहां है सभी जगह इसी प्रकार की समस्या है।

तारांकित प्रश्न

[१ मार्च, १९५६ के लिये निर्धारित प्रश्न]

ग्राम ताजपुर, जिला आजमगढ़ की एक लड़की के भगाये जाने के सम्बन्ध में पुलिस के खिलाफ शिकायत

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उसके पास सामाजिक अन्याय विरोधी कमेटी ग्राम पो० नेमगढ़, जिला आजमगढ़ की सार्वजनिक सभा में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रतिलिपि ग्राम ताजपुर (थाना मधुबन) की नाबालिग लड़की भगाने के विषय में स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों के लिये किये गये अवैध कार्यों के विरुद्ध आई है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--प्रश्न में उल्लिखित प्रस्तावों की प्रतिलिपि सरकार के पास नहीं आई। समाचार पत्रों में इस घटना के विषय में अवश्य छपा था। उसी के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि मामला न्यायालय में पहुंच चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रस्ताव में जो स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों की शिकायत की गयी थी इन स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जैसा कि मैंने निवेदन किया कोई प्रस्ताव की प्रतिलिपि हमारे पास नहीं आयी। अखबारों में छपा था उसी के आधार पर जांच की गयी।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अखबारों में थाने के पुलिस इंचार्ज और उच्चाधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव की प्रतिलिपि थी या नहीं और यदि थी तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई और किसने जांच की ?

श्री जगन प्रसाद रावत--अधिकारियों के संबंध में जो आक्षेप थे वह निराधार पाये गये और उनमें कोई तथ्य नहीं पाया गया।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार को यह पता है कि अधिकारियों के खिलाफ जो आक्षेप थे उनकी जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जिले के अधिकारियों ने की।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गम्भीर आरोपों के सिलसिले में पुलिस के जरिये जांच कराई जाती है या और किसी जरिये से ऐसे मौके पर सरकार जांच कराती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---पुलिस के बड़े अफसर भी जांच करते हैं और जिला मैजिस्ट्रेट और दूसरे मजिस्ट्रेट भी जांच करते हैं। जैसी आवश्यकता होती है वैसा किया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जिस घटना के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया था उस घटना की रिपोर्ट थाने में रोजनामचे में नहीं थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह बातें तो जब अदालत के सामने मुकदमा पेश होगा तब ज्ञात होंगी

आजमगढ़ जिले के बीज गोदामों पर व्यय

*२---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जो पक्के बीज गोदाम बने हुये हैं, उनके निर्माण में प्रदेशीय सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)---आजमगढ़ जिले में बीज गोदाम भवन निर्माण में सरकार का २१,००० रु० व्यय हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या वित्त मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २१ हजार रुपया कितने बीज गोदामों के निर्माण में व्यय हुआ है ?

श्री मंगलाप्रसाद---कुल बीज गोदाम जो वहां पर बनाये गये हैं वह २१ बनाये गये हैं। २१ में से १५ बीज गोदाम के लिये यह २१ हजार रुपये का अनुदान वहां के प्लानिंग विभाग से प्राप्त हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि जो ६ बीज गोदामों को सहायता नहीं दी गयी है उनको न देने का क्या कारण है ?

श्री मंगलाप्रसाद---लेकिन जब १५ को मिला और ६ को नहीं मिला तो उनकी मांग नहीं होगी इस वजह से उनको नहीं मिला।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार को यह पता है कि यह बीज गोदाम शुद्ध सरकार के हैं अथवा अर्ध सरकारी हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद---सभी शुद्ध सहकारी हैं। असल में बात यह है कि कुछ दिन पहले ४,५ वर्ष हुये करीब ५६७ बीज भंडार सरकार के थे उन्होंने सहकारी विभाग को दे दिये थे और उनको वह चला रहे हैं। वह ५६७ सहकारी थे अब वह १,१०० हो गये हैं। तो इस तरह से सरकार का उनमें काफी पैसा और गल्ला लगा हुआ है। अब वह सहकारी विभाग को दे दिये गये हैं और वही उनको चला रहे हैं। और भी जिलों में कितने ही हमारे संघ हैं उनके जरिये से वह चलाये जा रहे हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन बीज गोदामों के बनाने में कितना रुपया किस अनुपात से सरकार ने दिया है और किस अनुपात से सहकारी विभाग ने दिया है ?

श्री मंगलाप्रसाद---कोई खास अनुपात नहीं है और जहां पर जैसी आवश्यकता होती है उस अनुपात से लोगों को जो लेना चाहते हैं उनको मिल जाता है।

आजमगढ़ जिले के डिप्टी कलेक्टर श्री बनवारी लाल का तबादला रोकने पर आपत्ति

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर हैं जिन्हें तीन वर्ष से अधिक हो गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—आजमगढ़ जिले में केवल एक जुडिशियल आफिसर और एक डिप्टी कलेक्टर ऐसे हैं जिनको वहां तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं। उनका नाम तथा उनके यहां तैनात होने की तारीख निम्न प्रकार है:—

जुडिशियल अफसर—श्री सोमेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव (१८-६-१९५२)

डिप्टी कलेक्टर—श्री बनवारी लाल (२१-७-१९५२)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जुडिशल मैजिस्ट्रेट और डिप्टी-कलेक्टर के तबादले न होने के कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुछ काम ऐसे रह जाते हैं जिन्हें बिना पूरा किये अफसरों का तबादला नहीं हो सकता और साधारणतया ३ साल के बाद तबादला हो ही जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि डिप्टी कलेक्टर श्री बनवारी लाल का तबादला २-२ बार हो चुका और उसे फिर रोका गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हां, आवश्यकता हुई तो उसे रोकना पड़ा।

राज्य में क्रिश्चियन मिशनरियों के कार्यकलाप

*४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जो क्रिश्चियन मिशन्स हैं उनमें कुल कितने अमेरिकन हैं और कहां-कहां ?

श्री जगनप्रसाद रावत—११८। अन्य सूचना मेज पर रखी गई सूची में है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ३२३-३२४ पर)

*५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह प्रचारक देहातों में कुछ ग्रामसुधार का कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। ग्राम सुधार का कार्य वे देहातों में विशेषतः परिगणित जातियों के लोगों के लिये प्राइमरी स्कूल खोलने, अस्पताल खोलने व मुफ्त दवा बांटने आदि द्वारा करते हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन मिशनों में कितने अमेरिकन प्रचारक हैं ?

श्री जगन प्रसादरावत—यह तादाद उनकी घटती-बढ़ती रहती है। इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—मिशनरी यह काम सरकारी सहायता से करती हैं या अपने खर्चे से ?

श्री जगन प्रसाद रावत—वे अपने खर्चे से करते हैं, लेकिन जैसे दूसरे नागरिकों को स्कूल खोलने के लिये सरकार सहायता करती है वैसे ही उपयोगी कार्यों के लिये उनकी भी सहायता करती है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—ये अपने प्रचार कार्य की सूचना अपने राज्य को हमारी उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा भेजते हैं या सीधे भेजते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अपने प्रचार की सूचना वे यहां नहीं भेजते हैं ।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी---इनके विरुद्ध क्या कुछ शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---किसी शिकायत की सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इन मिशनों के देहातों में होने वाले कार्यों की सूचना सरकार को देते हैं अथवा उनकी देखरेख करते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जैसे और सब बातों की देखरेख होती है जिला अधिकारी उनकी भी देख-रेख करते हैं ?

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलों में अमेरिकन मिशनवालों में से कोई ऐसे भी हैं जिन्हें आमतौर पर वहां हर जगह जाने की इजाजत नहीं है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसकी इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य कुछ बतावेंगे तो मैं पता लगाकर उन्हें बता सकूंगा ।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या सरकार को पता है कि ये लोग अपने प्रचार की आड़ में धर्म का प्रचार करते हुये अपनी संख्या बढाने का प्रयत्न करते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उनके और कार्यों का प्रचार करना भी शामिल है और हमारे देश में अपने धर्मों का प्रचार करने की हर एक को स्वतंत्रता है । हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं ।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार को कुछ ऐसे भी प्रचारक मिले हैं, जो प्रचार की आड़ में भारत विरोधी प्रचार करते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस समय तो मेरे पास उनकी कोई सूचना नहीं है ।

आजमगढ़ जिले के मऊ पावर हाउस में बिजली की दरें

*६---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब मऊ (आजमगढ़) पावर हाउस के प्रोजेक्ट एस्टीमेट को सरकार ने स्वीकार किया था उस समय रिटेल रेट्स और बल्क सप्लाई के बारे में क्या निश्चय किया गया था ?

श्री धर्मसिंह---मऊ पावर हाउस ईस्टर्न एरिया पावर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निर्मित किया जा रहा है । इस प्रोजेक्ट एस्टमेट में बिजली के रेट इस प्रकार हैं---ढाई आने यूनिट ट्यूबवैल के लिये, ढाई आने यूनिट नगरों को बल्क सप्लाई के लिये, दो आने यूनिट उत्तर पूर्वीय रेलवे को बल्क सप्लाई के लिये, तीन आने ६ पाई यूनिट गांवों में फुटकर सप्लाई के लिये किन्तु ये रेट परीक्षणकालीन हैं और बदले जा सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फुटकर सप्लाई के रेट्स क्या होंगे ?

श्री धर्मसिंह---इसके बारे में मैं कह नहीं सकता । बल्क सप्लाई के रेट्स इस समय मेरे पास हैं ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---ये रेट्स जो प्राक्कलनकालीन हैं वे कब तक प्राक्कलन काल में रहेंगे ?

श्री धर्मसिंह--नया पावर हाउस स्टेशन बनने पर इसका निर्णय किया जायगा।

दस्यु उन्मूलन योजना तथा मानसिंह डाकू के विनाश के सम्बन्ध में पूछताछ

*७--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बतायेगी कि दस्यु (डाकू) मानसिंह को समाप्त करने में पिछले तीन सालों में प्रति वर्ष प्रदेश सरकार का क्या व्यय पड़ा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया है क्योंकि इस कार्य पर नियुक्ति प्रदेश के स्थाई पुलिस विभाग से ही की गई थी।

*८--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बतायेंगी कि दस्यु उन्मूलन योजना (जो अन्तर्प्रान्तीय योजना है) में उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कितनी पुलिस नियुक्त है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह योजना ३१ जनवरी सन् १९५६ से समाप्त कर दी गई है।

*९--श्री झारखंडेराय--क्या यह सही है कि दस्यु मानसिंह की मृत्यु गोली से न होकर घटनास्थल से भिंड ले जाते समय दम घुटने से हुई ? यदि हां, तो इस पर पूर्ण प्रकाश डालने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जहां तक सरकार को सूचना प्राप्त है यह सही नहीं है।

श्री झारखंडेराय--जब यह योजना समाप्त हुई उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की कुल कितनी पुलिस इस कार्य में नियुक्त की गई थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तफसील बताना मुनासिब नहीं मालूम होता है।

थाना विरना, जिला गाजीपुर की नयी इमारत बनने में विलम्ब

*१०--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या यह सत्य है कि विरना थाना, गाजीपुर की नई इमारत बनने का टेन्डर स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो इस इमारत के बनने में विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं।

श्री यमुनासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निकट भविष्य में टेन्डर होने की कब तक आशा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जल्दी ही इस सम्बन्ध में टेन्डर मांगे जावेंगे और आने के बाद स्वीकार किये जावेंगे।

श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि यह इमारत खंडहर हो गई है जिससे सरकारी कार्य में बाधा पड़ रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसीलिये इसे जल्दी बनवाने की कोशिश की जा रही है।

फसल की बुआई-कटाई के समय किसान बंदियों को छोड़ने की योजना

*११--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह कोई ऐसा परीक्षण कर रही है कि किसान बन्दियों को फसल काटने व उगाने के अवसरों पर छोड़ा जाया करेगा ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर छोड़ा जायेगा ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)—जी हां, इस योजना के मातहत कुछ चुने हुए ऐसे किसान कैदियों को जिनके घर में खेती की देख-रेख करने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है, फसल की बुआई व कटाई के समय सीजनल पैरोल पर छोड़ने का विचार है? पैरोल के दरम्यान शान्ति व सद्व्यवहार से रहने व समय बीत जाने पर जेल वापस लौट आने का विश्वास दिलाने के लिये जिलाधीश की इच्छानुसार कैदी को जमानत देनी होगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री बतावेंगे कि इस योजना को वे कब तक कार्यान्वित करने जा रहे हैं?

श्री मुजफ्फरहसन—वह इस साल से शुरू हो रही है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी सूची तैयार करेंगे जिसमें जो अधिक अवस्था के किसान कैदी हैं उनको पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाय?

श्री मुजफ्फरहसन—यह सवाल तो सीजनल पैरोल का है। अधिक अवस्था का सवाल तो इसमें आता नहीं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पैरोल का समय होगा वह उसके कैद के समय में सम्मिलित किया जायगा या नहीं?

श्री मुजफ्फरहसन—†पैरोल का समय उसमें नहीं जोड़ा जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसान बंदियों को फसल काटने के लिए जो पैरोल पर रिहाई दी जाती है उसमें दफा ३०२, ३०४, और ३०५ में सजा पाये हुए कैदियों को भी सुविधा मिलेगी?

श्री मुजफ्फरहसन—दफाओं का ब्योरा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि उनका बिहेवियर अच्छा हो जेल में।

जंगल की लकड़ी के सदुपयोग के लिए आधुनिक मशीनों के प्रयोग का सुझाव

*१२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बन विभाग द्वारा (Forest Exploitation) के लिये वह आधुनिक मशीनों के प्रयोग करने की कोई व्यवस्था कर रही है?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी नहीं।

*१३—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि वर्तमान व्यवस्था से जंगलों में सिर्फ ३० प्रतिशत लकड़ी काम में लाई जा रही है और शेष जंगलों में ही पड़ी रह जाती है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जंगलों में ३० प्रतिशत नहीं वरन ७० प्रतिशत लकड़ी काम में लाई जा रही है और शेष लकड़ी में से बहुत कुछ गांव वाले जलाने या खेती आदि के लिये उठा ले जाते हैं।

*१४—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार आगामी पंचवर्षीय योजना में इस नष्ट होने वाली लकड़ी के सदुपयोग करने की व्यवस्था पर विचार कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। लेकिन यह कार्य पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं है।

---

†१२ मार्च, १९५६ को कारावास उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार शोधित।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि आधुनिक मशीनों को काम में लेने से सरकार की कास्ट आफ प्रोडक्शन घटेगी और आउट-टर्न बढ़ेगा, जिससे सरकार को आर्थिक लाभ होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बिलकुल ठीक कह रहे हैं आप ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यदि मैं ठीक कह रहा हूं तो सरकार इस पर विचार करेगी कि वह क्यों नहीं तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न स्पष्ट कर दें ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जवाब दिया "जी नहीं" मेरा प्रश्न यह है कि अगर उस पर लाभ होता है तो "जी नहीं" क्यों उत्तर है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—आर्थिक कठिनाई के कारण ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि यदि आधुनिक ऐप्लायंसेज के जरिये दरख्तों का चिरान, गिरान और ढुलान किया जाय तो जंगल से लकड़ी ७५ परसेंट तक आ सकती है जब कि आज तक की हालत में सिर्फ ३० परसेंट तक आ रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल उठ नहीं सकता । उन्होंने ७० परसेंट कहा है तो आप उसको काट नहीं सकते । जो स्टेटमेंट दिया है उस पर ही प्रश्न पूछें ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जो उन्होंने आउट-टर्न बतलाया, क्या सरकार ने उसमें दरख्त की चिराई, घन-फुट निकालने पर स्टम्प, क्राउन-पोल और ब्रांचेज का भी ध्यान रखा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने इन सभी बातों को कंसीडर करके कहा कि जो लकड़ी गिरायी जाती है उसमें से बेकार कुछ जलाने के काम जो आ सकती है वह जलाने के काम में आती है और जो अच्छी इमारती आदि काम की होती है उसमें से ७० परसेंट निकल जाती है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार बतलायेगी कि यह योजना कौन सी है जिसके अन्तर्गत इस काम को करने को सरकार तैयार है, मंत्री जी उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, जैसे कि चीड़ के पेड़ होते हैं और राई मोरेंड के, तो ये कागज बनाने के काम आते हैं । और इससे रेअन भी बनाया जाता है । इन सब के लिए इंडस्ट्रीज के जरिये काम हो रहा है और हम माल दे रहे हैं ।

जिला बांदा में बीड़ी के पत्तों के नीलाम से आमदनी

*१५—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि बांदा जिले में केवल बीड़ी के पत्ते के नीलाम द्वारा सन् १९५२–५३ व सन् १९५४ में कितनी आमदनी हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बांदा जिले में तेंदू के पत्ते की आमदनी जो नीलाम द्वारा हुई उसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

				रु०
१९५२–५३	..	..	..	३,३४,६८५
१९५३–५४	..	..	..	१,३०,६७६

जिला बांदा की तहसील कर्वी में तालाबों को गहरा करने की मांग

*१६—श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार कर्वी तहसील के सलेदर व फिरंगी तालाबों को गहरा कराने तथा वन में फलदार आदि चंदन के पेड़ लगाने को सोच रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी— जी नहीं ।

श्री जगपतिसिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सलेदर और फिरंगी तालाब बन के अन्दर आते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं, ये जंगल के अन्दर नहीं है ।

श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार को पता है कि इस स्थान से दो मील तक कोई पानी का जलाशय नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, पूर्ण रुप से मालूम है कि पानी उसके नजदीक नहीं मालूम हुआ, पर चूंकि यह जंगल के अन्दर नहीं है इसलिये बनाया नहीं जा सकता अगर सम्भव हुआ तो इसके ऊपर विचार किया जायगा ।

बड़े जिलों के जिलाधीशों के भत्ते

*१७—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रश्न सं० २२ दिनांक–२४–११–१९५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतायेगी कि बड़े-बड़े जिलों के जिलाधीशों को दूसरे जिलाधीशों को मिलने वाले एलाउसेज के अतिरिक्त अन्य क्या Allowances दिये जाते हैं और यह Allowances क्यों दिये जाते हैं ?

*१८—क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन जिलों के जिलाधीशों को यह (Allowances) दिये जाते हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२५ पर ।)

थाना मुहली, जिला बस्ती के अन्तर्गत डकैती व चोरियां

*१९—**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला के खलीलाबाद के मुहली थाने के अन्तर्गत जुलाई सन् १९५५ से नवम्बर सन् ५५ तक कितनी डकैतियां हुई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाई हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल एक डकैती हुई जिसके संबंध में आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

*२०—**श्री रामसुन्दर राम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के खलीलाबाद तहसील के अन्तर्गत थाने में जुलाई, १९५५ से नवम्बर सन् ५५ तक कितनी चोरियां हुई, कितनी चोरी के मामले अदालत में चल रहे हैं और कितने पर कार्यवाही अभी बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२६ पर ।)

तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में ग्राम रक्षा–दल

*२१—**श्री रामसुन्दर राम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिले के खलीलाबाद तहसील के किन-किन थानों में ग्राम रक्षा दल कायम हो चुके हैं और किस थाने में अभी नहीं बन पाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—खलीलाबाद तहसील के हर थाने में ग्राम रक्षा दल कायम हो चुके हैं ।

थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत

*२२—श्री उमाशंकर—क्या सरकार को यह पता है कि थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध तीन रुपये भर सोना जबरदस्ती छीन लेने की दरख्वास्त अधिकारियों के पास आई थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां ।

*२३—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र पर किस अधिकारी ने जांच की और उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस मामले की जांच सर्किल इंसपेक्टर ने की थी । आरोप निराधार पाया गया ।

श्री उमाशंकर—क्या यह सत्य है कि सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई गजटेड अधिकारी ही जांच करे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस तरह के डी० आई० एस० पी० मुकर्रर किये गये हैं, जो ज्यादातर ऐसे मामलों की जांच करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है ।

श्री उमाशंकर—क्या यह सही है कि इस मामले की जांच कुछ हद तक डी० एस० पी० ने भी की है और उन्होंने कोई रिपोर्ट भी दी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके इसकी सूचना मंगवायेगी कि डी० एस० पी० साहब ने जांच की है और उनकी रिपोर्ट आ गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी कोशिश जरूर की जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री इस प्रकार के गम्भीर आरोप को स्वीकार करते हुए इस शिकायत को पुनः, जो नियत अधिकारी मामले की जांच करने के लिए हर जिले में मुकर्रर किये गये हैं, उनके पास भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मामले को देखकर अगर जरूरत समझी जायगी तो जरूर विचार किया जायगा ।

जौनपुर जिले में इलाहाबाद तथा बनारस रोड पर मोटर दुर्घटनायें

*२४—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह जनवरी सन् १९५६ ई० में जौनपुर जिला की इलाहाबाद रोड तथा बनारस रोड पर कितनी मोटर दुर्घटनायें हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इलाहाबाद रोड पर दो मोटर दुर्घटनायें हुई और बनारस रोड पर एक भी नहीं हुई ।

*२५—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने अस्पताल में बच गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई और ३ अस्पताल में बच गये ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इलाहाबाद रोड पर जो दो मोटर दुर्घटनायें हुई वे कैसे हुई और उसमें कितने व्यक्ति घायल हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--एक घटना इस प्रकार हुई। एक बस जा रही थी उसके आगे एक बैलगाड़ी पर लोहे की सलाखें जा रहीं थीं। बस उस बैलगाड़ी से टकरा गई। सलाखें बस के आगे के हिस्से को चीरती हुई निकल गयीं जिससे कुछ व्यक्ति घायल हो गये। जिनमें से तीन बच गये और एक मर गया।

दूसरी घटना इस प्रकार थी। एक ट्रक जा रही थी। पीछे से एक आदमी उस पर कूद कर बैठ गया और बाद को फिर नीचे कूद गया और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गयी।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को सहायता देने के लिये क्या सरकार प्रयत्न कर रही है।

श्री जगनप्रसाद रावत--यह प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है ?

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि तीन व्यक्ति जो अस्पताल में बच गये हैं क्या वह इस काबिल हैं कि अपनी जीविका उपार्जन कर सकें। यदि नहीं, तो सरकार उनकी क्या व्यवस्था कर रही है।

श्री जगनप्रसाद रावत--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इलाहाबाद रोड दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके नाम गांव तथा पते क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मेरे पास है तो सही, लेकिन उनको ढूंढना पड़ेगा। आप मेरे पास आयेंगे तो मैं उनको बतलादूंगा।

गाजीपुर जिले में ओवरसियर स्कूल खोलने की प्रार्थना

*२६--**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार के पास गाजीपुर जिले में ओवरसियर स्कूल खोलने के लिये प्लानिंग कमेटी से आवेदन पत्र आया है, जिसमें इमारत भी देने की व्यवस्था की गई है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार के पास ओवरसियरी स्कूल खोलने के लिये किसी दूसरे सोर्स से प्रार्थना-पत्र भी आया था ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, दो एम० एल० एज० ने मिल कर दिया था, वही प्रार्थना-पत्र आया है।

श्री कमलासिंह--क्या यह सही है कि गाजीपुर के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक बिल्डिंग और कुछ धन भी देने का वायदा किया था ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, किया था।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार ने वहां ओवरसियरी स्कूल खोलने का निश्चय किया है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, विचार किया गया था। एक अक्टूबर को मीटिंग बुलाई गयी थी विभाग के लोगों और टैक्नीकल आदमियों की लेकिन अभी तक इस बात का कोई निर्णय नहीं हुआ कि वहां खोलना भी संभव होगा।

पुलिस विभाग के सम्बन्ध में सर सीताराम कमेटी रिपोर्ट

*२७--**श्री कमलासिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग के मुताल्लिक वेतन तथा अन्य बातों में सर सीताराम कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं यह कब से कार्यान्वित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत--कमेटी के बहुत से सुझाव सरकार ने स्वीकार कर लिये हैं और कार्यान्वित कर दिये गये हैं। वेतन के संबंध में कमेटी ने कोई सुझाव नहीं दिया।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कमेटी के कौन-कौन सुझाव सरकार ने कार्यान्वित किये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--अध्यक्ष महोदय ३-४ पृष्ठ हैं अगर आप कहें तो सुना दूं।

श्री अध्यक्ष--उसमें से एक दो जो मुख्य हों उनको पूरा सुना दीजिये।

श्री जगनप्रसाद रावत--सभी महत्वपूर्ण हैं।

श्री कमलासिंह--उसकी एक प्रति मेरे पास भेज दी जाय और उसमें से खास-खास बता दी जायं।

श्री अध्यक्ष--वे कहते हैं कि सभी महत्वपूर्ण हैं। आप उनसे उनके कमरे में पूछ लीजिये।

[८ मार्च, १९५६ के लिये रखे गये प्रश्न]

आजमगढ़ व बलिया जिलों के नवसेमर तथा टिबुलिया ग्रामों में झगड़ा

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्टूबर सन् १९५५ के अंतिम सप्ताह में कोपागंज तथा थाना जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम नवसेमर तथा बलिया जिले के बांसडीह थान के टिबुलिया ग्राम में खेत के ऊपर संघर्ष हो जाने के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां।

*२--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--यदि हां, तो उक्त दोनों घटनाओं का संक्षिप्त विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--दोनों घटनाओं का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२७ पर।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विवरण तालिका पत्र संख्या १ में किस मामले को ले कर दोनों दलों में संघर्ष हुआ था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--ये दोनों मामले विचाराधीन है, इसलिये मैं उसकी तफसील में प्रकाश डालना उचित नहीं समझता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ११५ लाइसेंसेज जो खारिज हुये हैं, उनके खारिज होने का मुख्यतः क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--११५ केसेज जो खारिज हुये हैं उनमें ९८ इसलिये हुये कि जिस वक्त पर उनको अपने हथियार पेश करने चाहिये थे वे पेश नहीं किये गये। ११ लाइसेंसेज इसलिये खारिज हुये कि लाइसेंसेज के रखने वालों ने इस बात का प्रार्थना-पत्र दिया कि ये लाइसेंसेज अब नहीं चाहिये। बाकी जो ६ लाइसेंसेज है वे अधिकारियों की रिपोर्ट के कारण खारिज किये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो लाइसेंज ठीक वक्त पर दाखिल नहीं किये गये तो क्या लाइसेंसदारों को नोटिस दी गई थी कि फलां तारीख को दाखिल करो ?

श्री जगनप्रसाद रावत---कायदे के हिसाब से जिस बात की जरूरत थी वह सब कर्यवाही की गई ।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार के पास कुछ लाइसेंसीज के खिलाफ इस बात की भी शिकायत आई है कि उनके हथियार डकैतियों और ऐसे कामों में भी इस्तेमाल होते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---कभी-कभी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं और उसकी जांच होने के बाद उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और हथियार रखवा लिये जाते हैं ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी अधिकारियों की शिकायत पर जिनके लाइसेंसेज कैंसिल कर दिये गये, वे लोग कौन हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तफसील नहीं मालूम।

श्री जगनाथ मल्ल---जिन लोगों के लाइसेंसेज ठीक वक्त पर हथियार उपस्थित न करने पर खारिज कर दिये गये क्या सरकार उनको फिर लाइसेंसेज देने का मौका देगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---वे सरकार को प्रार्थना-पत्र देंगे तो उन पर विचार किया जायगा ।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार को पता है कि लाइसेंस को रिन्यु करते वक्त सरकारी अधिकारी चन्दे की मांग करते हैं और जो नहीं देते है उनके लाइसेंसेज कैंसिल कर दिये जाते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है । अगर माननीय सदस्य किसी विशेष घटना पर प्रकाश डालेंगे तो उसे हम देख लेंगे ।

आजमगढ़ जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस

*३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जनवरी सन् १९५५ से ३० सितम्बर, सन् १९५५ तक बंदूक, राइफल आदि हथियारों के कितने लाइसेंस दिये गये तथा कितने रद्द किये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत---९ लाइसेंस बंदूक राइफल आदि के तथा ५ रिवाल्वर पिस्तौल के लिये अर्थात् कुल १४ नये लाइसेंस दिये गये ।

इसी बीच में कुल ११५ लाइसेंस खारिज हो गये ।

अलीगढ़ तथा बुलन्दशहर जिलों में सरकार द्वारा बिजलीघरों की खरीदारी

*४---**श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ और बुलन्दशहर जिलों में जो कम्पनी बिजली वितरण का काम करती है उसे खरीदने के लिये सरकार कई वर्षों से विचार कर रही है, यदि हां, तो सरकार इस कम्पनी को खरीदने का फैसला कब तक कर लेगी ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, इस विषय पर बात चीत हो रही है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बातचीत कब से चल रही है और उका फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---यह १९४१ से चल रही है और इसका फैसला जल्दी ही हो जायगा । कुछ सूरतें है वे पूरी नहीं हो सकी हैं जैसे ही वे पूरी हो जायंगी उसके बाद फैसला हो जायगा ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बिजली कम्पनी कई साल से आफिशियल लिक्वीडेटर के संरक्षण में है ? अगर हां, तो कितने दिनों से ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, यह १९ मार्च, सन् ३७ से है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कम्पनी के असेट्स और लाइबिलिटीज क्या है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

छोटे नगरों में बिजली पहुंचाने की योजना

*५---**श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि छोटे नगरों में बिजली पहुंचाने की जिस योजना पर कार्य हो रहा है उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है और उन नगरों को कब तक रोशनी मिलने लगेगी ?

श्री धर्मसिंह---कुछ नगरों का विद्युतकरण हो गया है और दूसरों में काम जारी है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन नगरों का विद्युतकरण हो चुका है और किन में अभी करने को शेष है ?

श्री धर्मसिंह---मेरे पास यह १३ नगर हैं जिन में विद्युतकरण हो चुका है बस्ती, देवरिया, खलीलाबाद, रामनगर, टनकपुर, लखीमपुर, बिस्वां, रानीखेत, बलिया, मऊनाथ भंजन, मसौली, चौरीचौरा और नीमसार । इसके अलावा जो ३६ टाउन्स थे उनमें से १२ में थोड़ा सा काम हो गया है और सात टाउन्स और है जिन में कुछ काम पूरा हो गया है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन नगरों में से कुछ में जो विद्युतकरण हुआ है वह क्या प्राइवेट पार्टीज ने कराया है ? यदि हां, तो वह कौन से नगर है ?

श्री धर्मसिंह---वह जो ३६ नगर है उनमें से कुछ में तो विभाग द्वारा किया जा रहा है और कुछ में कम्पनीज के द्वारा किया जा रहा है और कुछ का कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के द्वारा हो रहा है ।

प्रदेश में नजरबन्दों की संख्या

*६---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार बतायेगी कि इस समय प्रदेश भर में कितने नजरबन्द कुल हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस प्रदेश में इस समय कोई नजरबन्द नहीं है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर देते समय सरजू पांडेय जो गाजीपुर के कम्युनिस्ट नेता हैं और जो अब पैरोल पर छूटे हुये हैं, उनके बारे में ख्याल रखा गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---वह तो सभी शामिल है, इस वक्त कोई नजरबन्द नहीं है, वह भी नजरबन्द नहीं है ।

डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के खजांची की आत्महत्या

*७---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार बतायेगी कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के खजांची ने १ दिसम्बर, १९५५ को ११ बजे दिन में गोली मार कर आत्महत्या करली ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां ।

*८—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार इस आत्महत्या के कारणों पर प्रकाश डालेंगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—आत्महत्या का कारण दफ्तर के लेखे में सरकारी रुपये की कमी बताया जाता है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि गोली लगने के कितनी देर बाद उस खजांची के प्राण निकले ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह कहा जाता है कि जैसे ही खबर मिली उनके प्राण निकले हुये पाये गये।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या यह सही है कि गोली लगने के कई घंटे बाद तक वह तड़पते रहे और कोई मेडिकल एड नहीं पहुंचाई जा सकी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी सूचना नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि रुपये के गोलमाल का चार्ज जो खजांची पर लगाया गया है वह गोली लगने के पहले ही लगाया गया था या बाद में ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिस समय जांच हो रही थी उस समय कुछ हिसाब-किताब नहीं मिल रहा था, बाकी तफसील जांच के बाद सामने आयेगी, अभी तफतीश हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि हिसाब में कितने रुपये का गोलमाल हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ठीक रकम का मुझे इस समय पता नहीं है।

डाइरेक्टर आफ एफीशियंसी के पद का निर्माण

*९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने अभी हाल ही में Director of Efficiency का एक नया पद कायम किया है और उसके अधीन हर एक जिले में सीनियर व जूनियर इन्स्पेक्टर भी रक्खे जाने वाले हैं ? यदि हां, तो क्या यह नियुक्तियां स्थायी होंगी।

श्री जगनप्रसाद रावत—पिछले अक्तूबर में सरकार ने "कमिश्नर फार रिआर्गनाइजेशन एन्ड डाइरेक्टर आर्गेनाइजेशन एन्ड मेथड्स डिवीजन" के नाम का एक नया पद कायम किया है। चीफ इन्सपेक्टर आफ आफिसेज और उसके इन्सपेक्टर इस अधिकारी के अधीन काम कर रहे हैं। जिलों में एफिशेंसी इन्सपेक्टर रखने का कोई विचार नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पद स्थायी होगा। यदि हां, तो उसका क्या ग्रेड होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब तक इस कार्य के लिये उनकी आवश्यकता होगी यह पद कायम रहेगा। जब यह काम खत्म हो जायगा तो उसको तोड़ दिया जायगा।

मुन्सिफ पद के लिये दो साल की वकालत का प्रतिबन्ध

*१०—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुंसिफ पद के लिये परिगणित जाति के उम्मीदवार को दो साल की वकालत करने के बाद चुना जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह प्रतिबन्ध सब पर लागू है।

*११—श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या सरकार दो साल वकालत करने के प्रतिबन्ध को हटाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह प्रश्न अभी सरकार के सामने विचारार्थ उपस्थित नहीं है।

श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सरकार के सामने विचार के लिये रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब माननीय सदस्य का आग्रह है तो जरूर विचार करेंगे।

जंगली हाथियों को पालतू बनाने की योजना

*१२—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तराई क्षेत्र में जंगली हाथियों को पालतू बनाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां।

*१३—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि उड़ीसा के एक भूतपूर्व वन अधिकारी ने उपर्युक्त कार्य के लिये अपनी सेवायें, उत्तर प्रदेश के लिये मुफ्त अर्पित कर "खेदा" अभियान संचालन का भार ग्रहण कर लिया है ? अगर हां, तो उस पर वार्षिक खर्च क्या होगा और प्रत्येक अभियान में कितने हाथी पकड़े जा सकेंगे तथा प्रत्येक अभियान का खर्च क्या होगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उड़ीसा के एक भूतपूर्व वन अधिकारी ने अपनी सेवायें अर्पित की हैं, उन्होंने अभी कार्य का भार ग्रहण नहीं किया है। वह केवल सफर खर्च लेंगे और यह लगभग १,५०० रु० वार्षिक होगा। प्रत्येक वर्ष करीब ४ अभियान होने की संभावना है और पहले अभियान में लगभग ८,००० रु० के खर्च का अनुमान लगाया जाता है तथा बाद के अभियानों में खर्च कम होता जायगा।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी उपरोक्त योजना की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—चूंकि हमारे प्रदेश में जंगली हाथी बहुत बढ़ गये हैं और खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं इसलिए उनके पकड़ने का आयोजन किया गया है। और किस तरह से उनको पकड़ा जाय इसके लिए दो मेथड्स होते हैं। एक पिट मेथड है और दूसरा खेदा मेथड। पिट मेथड को पसन्द नहीं किया क्योंकि उसमें हाथी का पकड़ना बड़ा दर्दनाक सा होता है। इसलिए खेदा करके बाड़ा बना कर हांक कर ले जाने का निश्चय किया गया है। उस के लिए बड़े सधे हुए हाथियों और जानकार आदमियों कि आवश्यकता होती है। इसलिए, उसके लिए समुचित आर्थिक प्रबन्ध इस साल के वित्तीय वर्ष में भी कर रखा है। उसके लिए एक भूतपूर्व रिटायर्ड चीफ कंजरवेटर, उड़ीसा की सेवाएं हमने ले ली हैं। बजट पास हो जाने के बाद उनकी नियुक्ति हो जायगी और एक स्थान पर जहां अधिक जंगली हाथी रहते हैं, वह पकड़ने की कोशिश करेंगे। अंदाजा लगाया गया है कि २० हाथी प्रतिवर्ष के हिसाब से पकड़ लेंगे तो जो आमदनी उनके पकड़ने के बाद होगी और जो उनके पकड़ने में खर्चा होगा, उसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं रहेगा। दूसरा तरीका और भी है। उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी ने तय किया था कि अगर कोई प्राइवेट पार्टी उनको पकड़ना चाहे तो पहले २० हाथियों पर कोई रायलटी नहीं लेंगे और वह पकड़ने का आयोजन कर सकता है। हमें इतमिनान हो जाय कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो २० तक कोई रायल्टी नहीं लेंगे, बीस के बाद लेंगे। लेकिन फिलहाल जब तक कोई आदमी तैयार नहीं होता सरकार स्वयं पकड़ना चाहती है, क्योंकि वह उधर के आदमियों को भी और खेती को भी और जंगलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनकी संख्या लगभग एक हजार के है हमारे प्रदेश के जंगलों में।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन पकड़े जाने वाले हाथियों से क्या काम लिया जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--एक तो पुराना काम है सवारी और शान शौकत के लिये । और आजकल एक नया परीक्षण किया गया है इनको हल में जोतने का ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ऊसर को जरखेज बनाने की योजना है उसमें भी हाथियों से काम लिया जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यों तो आजकल एक ऐग्रीकलचरल फार्म में ऐक्स-क्लूसिवली परीक्षण बराबर जारी है, मगर मेरा जहां तक अनुमान है, जुते हुए खेतों में हाथी अच्छे सहूलियत से काम देंगे बनिस्बत नई जमीन के ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या यह सही है कि सरकार इन हाथियों को विदेशियों को सौगात में देगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो दिये जा रहे हैं । लेकिन यहां से देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--माननीय मंत्री जी ने जो इनके आंकड़े इकट्ठे करवाये हैं कि हमारे जंगल में इतने हाथी हैं और इतने उसके बाद २०, २० करके जो पकड़े जायंगे तो प्रतिवर्ष कितने कम हो जायंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--लगभग ८०० और १००० के अन्दर हैं और अगर इनको २० के हिसाब से हर साल पकड़ा जायगा तो उनका जितना उत्पादन है उसकी बनिस्बत ज्यादा पकड़े जायंगे, तो उनकी घटती हो जायगी और ज्यादा नुकासान नहीं पहुंचा पायेंगे ।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हाथी खेती के उपयोग में इकोनोमिकल पाये गये हैं ट्रैक्टर और बैलों की बनिस्बत ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां । अब तक जितने परीक्षण हुए हैं उनसे इकोनोमीकली वे चीपर माने गये हैं ।

आजमगढ़ शहर का बिजलीघर

*१४--**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि जब से मऊ बिजली घर से आजमगढ़ शहर को बिजली दी जा रही है तब से आजमगढ़ शहर का बिजली घर बेकार पड़ा हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जी हां ।

*१५--**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सरकार उक्त बिजली घर का किसी अन्य प्रकार से उपयोग करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह एक पुराना और छोटा सेट है और इसका प्रयोग किसी दूसरी जगह विद्युत् गृह के निर्माण-कार्य में अथवा किसी और स्थान पर जहां ऐसे सेट की मांग हो किया जायेगा ।

तहसीलदार व हाकिम परगना का देर से अदालत शुरू करना

*१६--**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**--क्या मुख्य मंत्री के सामने ऐसी शिकायतें आई हैं कि तहसीलदार तथा हाकिम परगना कभी-कभी शाम को ३ बजे से कचहरी अदालत आरम्भ करते हैं और देहाती किसान लौटते समय सर्दी में रात के समय परेशान होते हैं ? क्या सरकार भविष्य के लिये ऐसी रिपोर्ट मांगने की व्यवस्था करेगी जिससे पता लग सके कि अमुक मैजिस्ट्रेट ने मुकदमा लेना अमुक समय से आरम्भ किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं ।

हाकिम परगना का स्थायी रूप से तहसील हेडक्वार्टर पर रहना

*१७—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सरकार के सामने एक प्रस्ताव था कि हाकिम परगना स्थायी रूप से तहसील हेडक्वार्टर पर ही हैं और २–१ दिन के लिये जिला केन्द्र पर केवल जेल के हवालातियों के मामलों को सुनने के लिये ही जायेंगे ? यह प्रस्ताव कब तक व्यवहार में आ सकेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हाकिम परगना को स्थायी रूप से तहसील के हेडक्वार्टर पर रखने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो हाकिम परगना देर में अदालत आरम्भ करते हैं और उनका काम बढ़ता जाता है इसकी जांच के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मैंने जैसा कि उत्तर में निवेदन किया था ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है । लेकिन किसी विशेष हाकिम परगना के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायत आयी तो जांच की जायगी ।

*१८—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—[२२ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

प्रदेश की भावड़ घास का बाजोरिया कम्पनी को ठेका

*१९—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि कलकत्ते की बाजोरिया कम्पनी को हिमालय के उत्तर प्रदेशीय भाग से भावड़ घास निकालने का ठेका कितने सालों के लिये दिया गया था और उसकी अवधि समाप्त होने में कितना समय बाकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह ठेका पहले १ जुलाई, १९३७ से ३० जून, १९५२ तक १५ साल के लिये दिया गया था । परन्तु इकरारनामे के एक शर्त के अनुसार ठेके की अवधि ३० जून, १९६२ तक १० साल के लिये बढ़ा दी गई है ।

*२०—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या सरकार बतायेगी कि इस ठेके का क्षेत्र कितना है और उससे सरकार को प्रतिवर्ष क्या आय होती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस ठेके का क्षेत्र लगभग ५५५ वर्ग मील है । प्रति वर्ष ७०,००० रु० की आय होती है । इसके अतिरिक्त बजोरिया कम्पनी के मुनाफे की २ १/२ प्रतिशत रायल्टी भी सरकार को, जिसकी मात्रा २५,००० रु० तक हो सकती है, मिलती है ।

*२१—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या यह सच है कि बाजोरिया कम्पनी अपने क्षेत्र से पूरा भावड़ घास नहीं निकाल पाती ? यदि हां, तो सरकार इस घास की बिक्री की क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, चूंकि भावड़ घास के समस्त क्षेत्र इकरारनामे की शर्तों के अनुसार बजोरिया कम्पनी के ठेके में सम्मिलित है इसलिये बचे हुए भावड़ घास की बिक्री की व्यवस्था कम्पनी की सहमति से ही की जा सकती है । कम्पनी २०,००० मन तक घास कुटीर उद्योगों के लिये देने को तैयार हो गई है ।

नोट—तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

पूर्वी जिलों के पंचायत-चुनावों में अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री राम सुन्दर पाण्डेय जी ने भेजा है वह इस प्रकार है—

"प्रान्त के पूर्वी जिलों के, विशेषकर आजमगढ़ जिले के पंचायत के चुनाव में जिले के एस० डी० एम० आदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने तथा पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर निष्पक्ष चुनाव न होने देने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ तार और कुछ पत्र भी भेजे हैं और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक जगह मारपीट भी हो गई पुलिस मौजूद होते हुए भी, तो ये सब विषय जितने हैं वे कोई एक ही विषय नहीं हैं जिनके ऊपर विचार करने के लिये कहा जाय। दूसरे यह चुनाव के सम्बन्ध में जो शिकायतें होती हैं, उनके ऊपर कार्यवाही चुनाव के नियमों के अनुसार हुआ करती है तो इन बातों से एलेक्शन पेटीशन से भी सम्बन्ध आता है। तो ऐसे विषयों के लिए मैं समझता हूं सदन में विचार नहीं हो सकता, जिसमें कि एलेक्शन पेटीशन की बात शामिल हो। इसलिए अनिश्चितता के कारण और दूसरे यह विषय ऐसा न होने के कारण, जिसके ऊपर वाद-विवाद हो सकता हो, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, एक निवेदन इस सम्बन्ध में यह करना था कि वहां अभी चुनाव हो रहे हैं, इतना मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। पेटीशन का सवाल तो चुनाव हो जाने पर आयेगा, लेकिन चुनाव इंडिपेंडेंट हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि व्यवस्था हो....

श्री अध्यक्ष—यह तो कल सामान्य प्रशासन के ऊपर बोलते हुए बहुत से लोगों ने कहा भी और इसका जिक्र भी कर दिया। तो उसे आप वादविवाद में तो ला ही सकते हैं, बजट के और सामान्य प्रशासन के बजट पर कल कुछ लोगों ने कहा भी। लेकिन इस तरह से किसी जगह के चुनाव के सम्बन्ध में अगर आप यहाँ विवाद करेंगे तो उसका मतलब तो यह समझा जावेगा कि पहले से ही आप पेशबन्दी कर रहे हैं। दूसरी तरफ वाले ऐसा ही कहेंगे और यह भी कहेंगे कि जो हार जाते हैं वे इस प्रकार शिकायत करते हैं। तो इन सब बातों का एलेक्शन पेटीशन पर असर पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीजों और धांधलियों वगैरह का निर्णय तो एलेक्शन पेटीशन में ही होगा। इस कारण इस सदन का यह तरीका नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर यहां विचार किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी के श्री राज्यपाल पर आक्षेपात्मक कथन के निस्सारण की मांग पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—कल के माननीय राज्यपाल के रेफ्रेंस के बारे में आप सम्भवतः कोई रूलिंग देने वाले हैं...

श्री अध्यक्ष—लेकिन जब वह प्रश्न आये तब आप...

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उस सम्बन्ध में कुछ विशेष प्रार्थनायें यहां की प्रक्रिया के सम्बन्ध में करना चाहता था। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह एक प्रस्ताव रखा था कि वह रेफ्रेंस जो माननीय राज्यपाल के सम्बन्ध में हुआ था उसको निकाल दिया जाय...

श्री अध्यक्ष—वह चीज जब यहां सामने आवे...

श्री रामनारायण त्रिपाठी—थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—मैंने यह कहा था इस बात के लिए कि मैं फैसला दूंगा और यह भी बात कही थी कि मैं आपकी भी बात सुनूंगा। सब चीजें थीं। तो उसके पहले ही आप प्रारम्भ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी, उपनेता सदन, इस विषय में कुछ बात पेश करना चाहते हैं?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब की कार के मुताल्लिक यहां इस हाउस में कहा गया। उसकी निस्बत चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर साहब से मालूमात हासिल कीं।

श्री अध्यक्ष—मैं इतना कह देना चाहता हूं कि वह मालूमात आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी वही लागू रहेगा तरीका, यानी जो मेरा निर्णय इस सम्बन्ध में अगर काटने का होगा कि हटा देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए, तो जो आज गवर्नर साहब की मालूमात आपने हासिल की है उसके ऊपर भी वही चीज लागू होगी, वह भी नहीं आयेगा कार्यवाही में। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं यह खुद समझता हूं कि कोई ऐसी चीज, जो कायदे और कानून की रू से इस बयान में नहीं आता, और वह अगर उस दफा में है, तो उसका तजकिरा प्रोसीडिंग्ज में नहीं आता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—वह नियम बतलावें जिसके अन्दर नहीं आ सकता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सुनते रहिये। मैं बैठ जाऊंगा बताकर तब कहियेगा कि मैंने फलां बात नहीं कही। जो हमारे कायदे इस सदन के बने हुये हैं उनमें एक कायदा है १८२। हिन्दी की किताब मेरे पास नहीं है इसलिये अंग्रेजी से पढ़े देता हूं—

श्री अध्यक्ष—नियम सदन से अंग्रेजी में ही पास हुये थे। आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—नियम यह है—

"(1) The matter of every speech must be strictly relevant to the matter before the Assembly.

(2) A Member while speaking or answering a question shall not.....

(v) reflect upon the conduct of the President or any Governor or any Court of Justice."

यह रूल है।

मैं यह गुजारिश करूंगा कि वाक्या तो अलग है अपनी जगह, लेकिन जो कुछ यहां कहा गया वह यहां की प्रोसीडिंग्ज का जुज नहीं हो सकता, उसके जिक्र की यहां मुमानियत है। गवर्नर साहब और प्रेसीडेंट साहब के किसी ऐक्शन का इस कायदे की रू से यहां जिक्र करना सही नहीं है और मैं इस कायदे की रू से जनाब से प्रार्थना करता हूं कि आप यह हुक्म दे दें कि जो कुछ भी यहां गवर्नर साहब के मुताल्लिक और उस वाक्ये की बाबत कहा गया है वह हमारे यहां की प्रोसीडिंग्ज में शामिल न हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री की बात मैंने सुनी और यह भी सुना कि माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय गवर्नर साहब से इस बारे में दरियाफ्त किया...

श्री अध्यक्ष—वह तो जो आपने सुना वह कह दिया और जो उनका वर्शन है वह उन्होंने दे दिया आपके सामने। अब सवाल सिर्फ इस बात का है यहां पर कि यह एक्सपंज होना चाहिये या नहीं। यानी गवर्नर साहब के किसी काम के ऊपर यहां इस तरह का बयान हो सकता है जैसा कि आपने कल यहां दिया। इसके सम्बन्ध में आपको क्या कहना है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय वित्त मंत्री जी की जानकारी की बात है उससे मैं असहमत इस माने में हूं कि मेरी जानकारी उसके बिल्कुल विपरीत है।

श्री अध्यक्ष—मैं तो यह जानना चाहता हूं कि फर्ज कर लीजिये कि आपके वर्शन के हिसाब से ही गवर्नर साहब ने काम किया, यही मान कर चलिये। तो क्या आप उस चीज़ को यहां पर बयान कर सकते हैं या नहीं? यह सवाल है। गवर्नर के किसी काम के ऊपर सदन में उसकी चर्चा आ सकती है या नहीं इस बारे में प्रश्न है। इसके लिये आप बतलायें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम १८२ को देखा है। राज्यपाल महोदय की दो हैसियत हैं। एक तो वह गवर्नर की हैसियत से काम करते हैं और दूसरे वह प्रायवेट कैपेसिटी में काम करते हैं मस्लन वह मथुरा में जायं और वहां भाषण दें कि लोग कांग्रेस पार्टी के मेम्बर बनें। इस पर नुक्ताचीनी हो सकती है क्योंकि यह कार्य गवर्नर की हैसियत से नहीं हुआ या राज्यपाल की हैसियत से नहीं हुआ, बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से हुआ। इसलिये उस दिन मैंने उनका नाम तक ले लिया था। ऐसी हालत में १८२ नियम लागू नहीं होता है। ऐसी सूरत में कल जो मैंने कहा था....

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)— माननीय सदस्य किस हैसियत से बोल रहे हैं, व्यक्तिगत हैसियत से या सदस्य की हैसियत से।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बीच में न टोकें। वह सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं, यह स्पष्ट है, नहीं तो वह यहां नहीं होते?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के साधारण सदस्य की हैसियत से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपनी बात कही थी और अपनी निजी जानकारी और जांच के बाद कही थी। आप यकीन मानिये अगर मुझे विश्वास न होता....

श्री अध्यक्ष—यह चीज नहीं है और सवाल इस बात का नहीं है। नियम के अनुसार आप बतलाइये। मैं यह जानना चाहता हूं कि कानून के अनुसार आप कह सकते हैं या नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—एक तो मैंने यह कहा कि इसमें राज्यपाल की राज्यपाल की हैसियत नहीं थी, इसलिये उसका जिक्र करने का मुझे अधिकार था। दूसरी बात यह थी कि जब मैंने कल इस बात को कहा था तो उस समय उपाध्यक्ष महोदय को ध्यान दिलाना चाहिये था। यह विधान सभा कोई कोर्ट आफ इन्क्वायरी नहीं है। एक मेम्बर अपनी जानकारी से कोई सवाल करता है या प्रश्न उठाता है। और उसको सरकार की तरफ से जवाब मिल जाता है और उसका वर्णन ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। ऐसी सूरत में इसको निकाल देने की जरूरत नहीं है। शुरू में आपने वित्त मंत्री जी को संकेत भी किया था कि इस घटना का वर्णन नहीं होना चाहिये। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने इस नियम का पालन नहीं किया बल्कि उन्होंने पूरी जानकारी मालूम करके सफाई दे दी और मैंने भी अपनी जानकारी से चीज हाउस में रख दी तो दोनों चीज अपनी जगह पर प्रोसीडिंग्स में रहेंगी। अब यह पढ़ने वालों को अधिकार है कि वह इससे क्या नतीजा निकालें। मैं समझता हूं कि इस कारण इसको निकाला नहीं जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि आपने, इससे पहले जो आपकी मालूमात थी, उसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय या चीफ मिनिस्टर से उनका वर्जन भी ले लिया था और उसके बाद आपने सदन में यह चीज रखी या पहले ही रख दी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय या चीफ मिनिस्टर साहब से इस सम्बन्ध में कोई रिफ्रेन्स नहीं किया था, क्योंकि मुझे निश्चय था कि यह सही है और मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जो कुछ वित्त मंत्री जी ने कहा है उसके सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई बहस न हो और वाकेआत के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—जो नियम की बात कही गई है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। वाकेआत के लिये मैं अपने को रोक लेता हूं, क्योंकि आपकी ऐसी आज्ञा है, लेकिन वाकेआत के सम्बन्ध में सचमुच में विशेष जानकारी की आवश्यकता है। नियम १८२ का जो हवाला दिया गया है वह विवादास्पद है और मैं इस माने में समझता हूं कि वह हमारे हक में है और रामनारायण त्रिपाठी के हक में था कि वह इसकी चर्चा करते। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वह बहुत स्पष्ट है कि प्रेसीडेंट या गवर्नर के कांडक्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। प्रेसीडेंट और गवर्नर का जो कांडक्ट है जो उसकी चर्चा करते हैं तो वह न तो प्रेसीडेंट का कांडक्ट है और न गवर्नर का कांडक्ट है, वह तो बिल्कुल परसनल कांडक्ट है। यह ऐसा कांडक्ट है कि जिसके बारे में गवर्नर की ड्यूटी और प्रेसीडेंट की ड्यूटी से कोई छुआछूत हो ही नहीं सकती। यह मेरी धारणा है इस सम्बन्ध में।

दूसरी बात, फैक्ट्स के बारे में मैं सोचता हूं कि गवर्नर साहब को जो कुछ कहना हो उसको पूछने का हकदार मैं हूं या नहीं, यह सदन है या नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन इस बात के लिये हमें सोचना पड़ेगा कि जो कुछ हुआ है, उस तथ्य के बारे में कई रायें आ रही हैं। तो फिर इस सम्बन्ध में हम कैसे सच्चाई पर पहुंचें। इस सम्बन्ध में मैं सोचता हूं कि आपको सोचना चाहिए कि एक ऐसे वाकये के बारे में जिसमें तथ्यों के बारे में झगड़ा हो और जिसका प्रेसीडेंस अभी तक न हो, उसके बारे में कैसे यह कहा जाय कि यह सारी चीजें निकाल दी जायं। मैं अध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करूं कि कल को यह फैसला हो कि इनका प्रोसीडिंग्स में रखना उचित

है, तो जो उपयोगिता आज इन सारी बातों की है, और जिस तरह से यह सारी बातें हैं, यह सब १० दिन के बाद तो रहेंगी नहीं, या रहेंगी, यह भी सोचने की बात है। तो इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रकार दोनों बातों पर मुझे आपत्ति है और इन दोनों बातों के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से, रामनारायण जी भी अपनी बात कहें और हम लोग भी अपनी बात को रखें और फिर आप निर्णय करें ताकि सब पक्षों को कुछ सन्तोष हो सके।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, जिस धारा १८२ की चर्चा हो रही है उसके शब्द यह हैं कि "राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा" यानी सदस्य अपने भाषण या प्रश्नों के उत्तर में, इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि आक्षेप नहीं करेगा। जहां तक चर्चा करने का प्रश्न है अगर यह बात चर्चा करने लायक रही हो तो मैं समझता हूं कि उसकी चर्चा करने पर इसमें कोई रोकथाम नहीं है। जहां तक वाकये का ताल्लुक है उसमें मैं न जाकर इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ वर्जन इधर से आया और दूसरी तरफ का वर्जन उधर से आया। यदि यह साबित होता है कि वाकई रामनारायण जी की बात असत्य है तो मैं समझता हूं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करना उचित है। तो यदि हम, इस सदन के सदस्य यह समझें कि ऐसे आक्षेप की चर्चा यहां नहीं होनी चाहिये थी और ऐसी सूरत में हम रामनारायण जी के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही करें, जो कि मैं समझता हूं करनी चाहिये, यदि उन्होंने जो कुछ कहा वह असत्य निकलता है तो, और ऐसा करके उन्होंने जिस प्रकार गवर्नर महोदय की मानहानि की है, मैं समझता हूं कि ऐसा हम लोगों का करना उचित होगा। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। साथ ही साथ हम राज्यपाल महोदय के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, किन्तु जब हमें एक तरफ की बात सुनने का मौका मिला, और अगर वह बात गलत साबित हुई तो हम एक सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, तो साथ ही साथ यह भी मैं समझता हूं कि यह हमारा अधिकार है सही-सही वाकयात क्या हैं इसको हम जानें। अगर यह वाकया हुआ है तो उसमें किसकी गलती है। यह मानी हुई बात है कि हम राज्यपाल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में हमारे ऊपर की श्रेणी के लोग क्या करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अब हमारा और आपका कर्तव्य बन गया है और मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल से कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की वजह से यह सब वाकया हुआ है उसकी नौकरी को भी खतरा न हो जाय और उसके बाप की नौकरी को भी खतरा न हो जाय। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल और सरकार अपनी तरफ से यह पूर्ण आश्वासन दें कि इस वाक्य के कारण उनके रोजगार पर कोई चोट न पहुंचाई जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इन रूल्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--रूल्स के बारे में रामनारायण जी त्रिपाठी काफी कह चुके हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने जनाब यह सुना कि जो मैंने मांग पेश की है उस पर यह रूल लागू नहीं होता है। खुलासा उसका यह है। मैं उसकी निस्बत जनाब की तवज्जह दिलाऊं। इस कायदे की किताब में जो लिखा है....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब दोबारा उसके ऊपर तवज्जह दिलाने की जरूरत नहीं मालूम होती है। मैंने सारी मालूमात जानने की कोशिश की और मैं यह सुनने के बाद चूंकि गेंदासिंह जी अपने कुछ ख्यालात इस सम्बन्ध में मेरे सामने पेश करना चाहते हैं, मैं समझता हूं यह उचित होगा कि यह आगे बहस न हो.

[श्री अध्यक्ष]

क्योंकि बजट का सेशन जारी है और उसमें ज्यादा इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिये। मेरे कमरे में आप कृपा करेंगे, तो वहां कानूनी ढंग से जो कुछ भी आपकी राय हो, दे सकते हैं। राजनारायण जी अपनी राय दे दें, श्री बालेन्दु शाह जी भी अपनी राय दे दें और उसके बाद मैं कल इसके ऊपर अपना फैसला दे दूं तो यह ज्यादा उचित होगा। इस पर पूरी तरह से गौर करना है। एक नई परिस्थिति पैदा हुई और इस परिस्थिति में क्या कार्यवाही करें जो सदन की प्रतिष्ठा के अनुसार हो, इस पर विचार करना है। सत्य की प्रतिष्ठा कायम रहे इसका ख्याल रख के भी हम लोगों को कार्य करना है। सत्य की प्रतिष्ठा से ही सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसी मेरी धारणा है। इस दृष्टि से भी सब को प्रश्न पर विचार करने का तरीका अख्तयार करना है। सबको सुनने के बाद मैं कल निर्णय दे दूंगा। तब तक यह चीज जिसके बारे में माननीय हाफिज साहब ने अपना बयान दिया वह भी कल तक अखबारों में न छपे। अगर पहली बात नहीं छपी है तो दूसरी भी न छपे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन होना चाहिये कि उन लोगों को विक्टीमाइज नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं सदन को इतनी शक्ति होनी चाहिये कि ऐसी चीजें हो तो सदन उनकी रक्षा कर सकता है। इसलिये मैंने उनको नहीं बुलाया। अगर वह खुद खड़े होते या वे अब भी कुछ कहना चाहें तो इस तरह की चीज कह सकते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं कहूंगा। उनको बाध्य नहीं करूंगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने सुना है कि किसी को विक्टीमाइज न किया जाय। लेकिन जब तक असरटेन न हो जाय कि क्या बात है तब तक क्या कहूं।

श्री अध्यक्ष—किसी का विक्टीमाइज होना अच्छी चीज नहीं है परन्तु ऐसे फैक्ट्स हैं या नहीं, यह जानकारी करना है।

श्री राजनारायण— यह ठीक है। आपने समय दिया वहां पर लोग अपना मत प्रकट करेंगे किन्तु इसके ऊपर और ओपीनियन ले लें कि—

"What is the meaning of conduct and what is the meaning of the criminal act of a person."

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ११ फरवरी, १९५६ को प्राप्त हो गयी और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का ७वां अधिनियम बन गया।

१९५६-५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों पर विवादार्थ समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष— अब वित्तीय वर्ष १९५६-५७ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये विवाद जारी रहेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आधा घंटा तो वैसे ही खत्म हो गया दोनों अनुदान बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं समझता हूं कि आज कम से कम १ घंटा समय और बढ़ा दिया जाय। इस तरह से २ घंटा पहले अनुदान पर और १ १/२ घंटा दूसरे अनुदान पर समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष— मैं समझता हूं कि १ घंटा समय बढ़ाने के लिये किसी को आपत्ति नहीं है। (थोड़ा रुक कर) किसी को आपत्ति नहीं है, तो आज सदन ६ बजे तक बैठेगा।

दूसरी बात आपने कही कि ३ घंटा पहले अनुदान पर और १।। घंटा दूसरे अनुदान पर तो आप चाहते हैं कि ३ घंटा पहले वाले अनुदान के लिये और डेढ़ घंटा दूसरे अनुदान के लिये।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—श्रीमन् जहां तक हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों का सम्बन्ध है, यह इतनी महत्वपूर्ण ग्रांट है कि उस पर ज्यादा समय दिया जाना चाहिये। वैसे महत्वपूर्ण तो दोनों ही ग्रान्ट्स हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इस ग्रान्ट के लिये थोड़ा समय और दे दिया जाय तो उचित होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं भी मानता हूं कि पिछड़ी हुई जातियों का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये उसके लिये दो घंटे से कम का सवाल नहीं होना चाहिय। शिक्षा का भी सवाल कम महत्वपूर्ण नहीं है इसलिये जैसा जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा सदन का समय एक घंटे के बजाय डेढ़ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—समय तो अब ६ बजे तक रहेगा, उस पर तो मैं राय ले चुका हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—६ बजे से अधिक बैठना तो मुनासिब नहीं है। राजनारायण जी को इसी से संतोष कर लेना चाहिये कि इसके लिये बजाय डेढ़ घंटे के समय दो घंटा कर दिया जाय और पहली मांग के लिये बाकी समय रख दिया जाय।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जहां तक बहस का ताल्लुक है दोनों ही मसले अहम हैं इसलिये दोनों को साथ-साथ ले लिया जाय तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोनों पर इजहारे ख्याल का मौका मिलेगा। जिसको जिस पर अपने ख्यालात पेश करने होंगे उस पर कर देगा और दोनों एक साथ ही पास हो जायेंगे।

श्री जयपाल सिंह—मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। पिछले साल भी दोनों पर अलहदा-अलहदा बहस हुई थी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती) दोनों अनुदान एक साथ ले लिये जायं तो निहायत उचित होगा। कुछ लोग शिक्षा पर बोल लेंगे और कुछ लोग हरिजन पर बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष— श्री गेंदा सिंह अपना मत बतायें क्योंकि इसका निर्णय उन्हीं के मतानुसार होगा।

श्री गेंदा सिंह— कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों में भिन्न-भिन्न हैं और कुछ लोग भिन्न-भिन्न विषयों पर अलग-अलग और जोर डालना भी चाहते हैं, इसलिये एक में ही दोनों मांगों का पेश होना ग़लत चीज होगी।

श्री अध्यक्ष — ठीक है। पहला अनुदान ४ बजे तक होगा और ४ से ६ बजे तक दूसरा अनुदान होगा।

१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक: ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा (लेखा शीर्षक: ३६—वैज्ञानिक

[श्री हरगोविन्द सिंह]

विभाग और ३७--शिक्षा) के अन्तर्गत १२,८१,१४,९०० रु० की मांग स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, महत्वपूर्ण अनुदान तो यह है ही लेकिन इसको पेश करते समय मैं कोई बड़ा भाषण इसलिये नहीं करना चाहता कि शायद उसके कारण माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का समय न मिले। हम लोगों का जो अनुदान भवन के समक्ष पेश है उससे यह स्पष्ट है कि हमसे जितना प्रयत्न हो सका है, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, वह किया जा रहा है, यों तो किसी भी कल्याणकारी राज्य में और खासकर जब शासन की पद्धति जनतंत्र की हो, तो शिक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती है। चाहे किसी तंत्र में शिक्षा का महत्व हो या न हो, लेकिन चूंकि जनतंत्र में शासन की बागडोर जन साधारण के हाथ में रहती है, इसलिये जन साधारण को शिक्षित करना अनिवार्य होता है।

यह दूसरी बात है कि हमारे इस देश में चूंकि हम सब मिल कर एक बड़ा भारी अनुभव कर रहे हैं, एक बड़ा भारी प्रयोग कर रहे हैं जो शायद दुनिया के इतहास में कहीं सम्भव नहीं हुआ है। और इतने दिनों की स्वतन्त्रता के बाद प्रजातंत्र की स्थापना करके यह जो बड़ा प्रयोग हम कर रहे हैं तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम उसकी प्रगति में, उसके प्रसार में और उसका स्तर ऊंचा करने में, जितना भी प्रयत्न कर सकें, उतना ही अच्छा है। यह दूसरी बात है कि जब कोई देश संक्रमण काल से गुजर रहा हो, जब वह आर्थिक स्थितियों से लड़ रहा हो और जब वह प्राथमिक आवश्यकताओं को मुहय्या करने का प्रयत्न करता रहा हो तो अपने निर्माण की सूची में हम शिक्षा को वह स्थान न दे सकें जो उसको मिलना चाहिये, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा यह तो ठीक ही है कि हम उसकी अवहेलना नहीं करते। हमारे लिये तो यह एक गौरव की बात है और मैं समझता हूं कि यह एक संतोष की बात भी है कि हम अपनी शिक्षा सम्बन्धी चीजों में एक कदम आगे रख रहे हैं।

आपने पंचवर्षीय योजना पर इस भवन में विचार किया, लेकिन उस समय मुझे ऐसा अनुभव अवश्य हुआ कि आपके सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यवाही शिक्षा विभाग में होगी उसकी एक पूरी तस्वीर नहीं थी। मैं समझता हूं कि भवन के सभी माननीय सदस्यों ने बजट के आकड़ों को ही नहीं, बल्कि उसके साथ जो और साहित्य है उसका अध्ययन किया होगा और उसके बाद मैं यह तो नहीं कहता कि इससे और अधिक नहीं होना चाहिये था, लेकिन यह अवश्य कहता हूं कि यह प्रगति सन्तोषजनक है। जो योजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम वर्ष में ली जा रही हैं वे ऐसी हैं कि यदि हम सब लोग अपने सम्मिलित प्रयत्नों द्वारा उनको ठीक तरह से कार्यान्वित कर सकें तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से देश की सेवा कर सकेंगे। यह तो आपने देखा ही इस वित्तीय वर्ष में जो अधिक रुपया रक्खा गया है वह २,५९,९६,९०० रु० है और २२ या २३ करोड़ रुपया ५ वर्ष के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये रक्खा गया है। यदि उस सब रुपये को उसी अनुपात में ५ वर्ष में बांटा तो आप यह कह सकते हैं कि यह वृद्धि उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिये, लेकिन अगर इस दृष्टि से आप इस पर विचार करें कि योजना को सफल करने के लिये जो इसमें योजनायें हैं उनको कार्यान्वित करने के लिये, यदि कुछ रुपये की ही आवश्यकता होती, तो शायद इसमें कोई कठिनाई न होती, और जो २३ करोड़ रुपये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें उपलब्ध हैं, उसको ५ से भाग देकर जितना अनुपात पहले वर्ष का होता उसको रख दिया जाता, लेकिन वह यों नहीं किया गया कि उसके लिये हमको बड़ी सज्जा और सामग्री की आवश्यकता है। उसके लिये इस बात की आवश्यकता

है कि पहले अगर हमको स्कूल खोलने हैं तो हम इस बात का प्रयत्न करें कि उसकी इमारत बने। हम इस बात का प्रयत्न करें कि कुछ समग्री एकत्रित हो जाय और इस बात की भी कोशिश करें कि हमें उसके लिए अच्छे शिक्षक भी मिल सकें। इसलिये पहले वर्ष में अनुपात से जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी वह नहीं हुई केवल इस कारण से कि इस वर्ष इस बात की तैयारी की जायगी, हम अपने को कुछ इसके समर्थ बनायेंगे और हम दूसरे वर्ष में जो योजनायें लेंगे उनको हम सफल बना सकें। तो मेरा माननीय सदस्यों से आपके द्वारा यह अनुरोध है कि वह इस बजट के अध्ययन में, इसके साहित्य को पढ़ने में यह दृष्टिकोण अपने समक्ष रखें और उसके बाद यदि सुझाव दें तो वह सुझाव हमारे लिए भी ग्राह्य होंगे और हम भी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जहां तक अपने इस दौर में सम्भव हो हम उसको कार्यान्वित करें, तो इसलिए मैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं कुल योजनाओं को, जिनको आरम्भ इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हम करने जा रहे हैं उनको एक-एक करके यदि मैं गिनाऊं तो सदन का अधिक समय लगेगा, लेकिन मैं उसकी कुछ छोटी-मोटी बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

अब तक जो कुछ हम शिक्षा क्षेत्र में करते थे वह जूनियर बेसिक स्कूल के स्टेज से करते थे, उसके पहले प्री–प्राइमरी क्षेत्र में अभी तक हम करीब-करीब कोई प्रयत्न नहीं करते थे, क्योंकि बजट में केवल दस हजार रुपया रख दिया जाता था, परन्तु प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए दस हजार रुपया अगर रखा जाय तो वह नहीं के बराबर होता है जो कि लोगों की रुचि का उसकी ओर आकर्षण देखते हुए यह आवश्यक है कि हम उस ओर अपने इस प्रयत्न को कई गुना बढ़ावें। तो आज तक जहां तक हमारी गणना में आया है, हमारे प्रदेश में २५ स्कूल प्री–बेसिक हैं। लेकिन इस बजट में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि हम २५ स्कूलों को एड दें और आने वाले ५ वर्षों में पच्चीसों इन मानटिसरी या किंडरगार्टन स्कूलों को अपनी इमारतें दे दें और इसके लिए बजट में एक लाख रुपया रखा गया है, ५० हजार तो एड के लिए और ५० हजार रुपया उनके भवन निर्माण के हेतु देने के लिए, तो कुल प्लान्ड पीरियड में जो ११ नार्मल स्कूल हैं वह भी ५ वर्ष में माडल स्कूल हो जायंगे। तो एक तो नर्सरी स्कूल, ३ मिले नार्मल स्कूल से और दूसरे २५ स्कूलों को हम हर साल ग्रान्ट देते रहेंगे और २५ स्कूलों को ९,००० के हिसाब से ५ वर्षों में हम उनको भवन निर्माण के लिए देंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल आपके सामने यह कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में (५७–५८) में पूरी प्राइमरी एजूकेशन प्रदेश में निःशुल्क कर दी जायगी। वित्त मंत्री के बजट भाषण में इसका उल्लेख था। आपने सुना होगा कि यह कहा गया कि प्राइमरी स्कूलों में हम फीस आधी कर देंगे। उस आधी का अर्थ एक तो यह हो सकता है कि हम पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक फीस आधी कर दें। दूसरे शब्दों में उस फीस के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जो आमदनी होती थी उसका आधा उन्हें दे दें और उनके लिये यह स्वतन्त्रता दे दें कि वह एक से लेकर पांच तक हर दर्जे में फीस मुफ्त कर दें या जितना रुपया उनको इससे मिलता था उसका आधा लें और एक, दो तीन में फीस माफ कर दें। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उपयोगी होगा कि हम आरम्भ इस प्रकार करें कि दर्जा एक, दो और तीन में कुल फीस माफ कर दें और दूसरे साल जैसा मुख्य मंत्री जी ने कल आपके सामने घोषणा की, दूसरे साल चार और पांच की कुल फीस माफ कर दें। तो इस प्रकार से १९५७–५८ में प्राइमरी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हो जायगी। इस सम्बन्ध में आपको यह सूचना देना मैं आवश्यक समझता हूं कि हमारे प्रान्त में बहुत दिनों से यह एक योजना चली थी और इस बात का प्रयत्न हुआ था कि प्राइमरी शिक्षा का प्रसार हम अपने प्रान्त में इतन

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कर दें कि जिसमें किसी बच्चे को प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने में अपने घर से एक या डेढ़ मील से अधिक न जाना पड़े। इस दृष्टि से प्राइमरी स्कूल खोले गये और आज २३ या २५ जिलों में सेटूरेशन प्वाइन्ट पर, इस चीज को सम्मुख रखते हुए जितनी संख्या में वहां स्कूल खुलने चाहिए, खुल गये हैं। बकाया जिले अभी सेटूरेशन प्वाइन्ट पर नहीं पहुंचे हैं इसलिये यह भी आपने देखा होगा कि योजना में रखा गया है, आगे आने वाले पांच वर्षों में हम पांच हजार प्राइमरी स्कूल खोलेंगे और इसमें आप ने यह भी देखा होगा कि उन पांच हजार स्कूलों में हम उनकी बिल्डिंग भी देंगे। तो इन पांच हजार स्कूलों को खोल कर हम यह समझते हैं कि प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में हम इस बारे में सफल होंगे कि प्रत्येक बच्चे को, जिसके माता-पिता यह चाहते हों कि वे अपने बच्चे को स्कूल में भेजें, तो उसके गांव के निकट उसको स्कूल उपलब्ध होगा। और यह पहला कदम है उस दिशा में, जैसा कि संविधान में डाइरेक्टिव है, उस के अनुसार हम प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य भी करें। तो उस ओर हमने यह प्रगति की है और यह योजना आप के सम्मुख है।

आप ने यह भी देखा होगा कि हमारे प्राइमरी स्कूलों की दो समस्यायें इस वक्त में बड़ी जटिल हैं। एक तो इमारतों की और दूसरे अगर हम अपने सब प्राइमरी स्कूलों को हमारा प्रयत्न इस मानी में अद्वितीय है कि जब हमारे प्रान्त में बेसिक शिक्षा आरम्भ हुई तो और प्रान्तों में एक विवाद चला और इस बात को ले करके प्रान्त में बेसिक शिक्षा की प्रणाली प्राइमरी सेक्शन्स में दो तरीके से हो, ये समानान्तर तरीके से हो या एक तरीके से हो। वह इस तरह कि कुछ स्कूलों को तो, जो प्राइमरी हैं, उनको बेसिक बना दिया जाय और कुछ प्राइमरी स्कूल्स बेसिक न बनाये जायं। तो पहले तो हमारे देश में इस पर बड़ा विवाद था और सिवाय उत्तर प्रदेश के उस समय हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री शिक्षा मंत्री थे, सिवाय उत्तर प्रदेश के और प्रान्तों ने यह माना कि थोड़े ही जोन्स बना दिये जायं और उन्हीं क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा की जाय और धीरे-धीरे उसका प्रसार किया जाय। लेकिन हमारे उस समय के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह से यह प्रणाली भी गलत है और इस तरह से हमको सफलता भी नहीं मिल सकती। तो इस-लिये उस समय हमारे प्रान्त में केवल यह हुआ कि हम अपने सभी स्कूलों को बेसिक कर दें, एक ही प्रणाली को काम में लायें और अपने सब स्कूलों को बेसिक बना दें और हमारे सभी स्कूल इस प्रकार से बेसिक हैं। तो उस समय हम सब स्कूलों को कुछ दिया करते थे, वह रकम बहुत कम थी, ३३ रु० शायद साल थी। तो अब इस योजना में यह रखा गया है कि हम प्रत्येक स्कूल को, जो हमारे बेसिक स्कूल हैं, उनको इस सब शिक्षा के लिये १०० रु० साल का एक अनुदान दिया करें जिसमें उनको अगर वहां कपड़े की बुनाई और सब सिखाया जाता है उसके लिये उनके पास पर्याप्त धन रहे। तो १०,००० स्कूलों को शायद इस पंचवर्षीय योजना में हम लेंगे और उनको इतना रुपया देंगे।

उसी तरह से दूसरी समस्या उनकी अपनी बिल्डिंग की है और उसके लिये भी इसमें रुपया रखा गया है कि हम १,००० रु० फी स्कूल बिल्डिंग के लिये भी देंगे। इस प्रकार से १०,००० को, या और जैसा मैंने कहा अपने ५ हजार स्कूल जो खोलेंगे, उनके लिये बिल्डिंग और फ़र्नीचर देंगे। तो इस तरह से हमारे प्रान्त में करीब ३२,३४ हजार प्राइमरी स्कूल्स हैं और उनमें कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने खोले थे जिनको ट्रांसफर कर दिया और कुछ ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि हम इसमें सफल होंगे कि अच्छी बिल्डिंग उनको दे सकें। और जैसा मैंने कहा कि एक कदम अब हम उठा रहे हैं उस शिक्षा में कि हमारे लिये यह संभव हो सके कि हम प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर सकें। इसलिये इस बात की भी आवश्यकता हुई कि इस प्रदेश का एक सर्वे कराया जाय...

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--अभी पता नहीं कि बच्चे कितने हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—अब आप को पता होगा । बच्चों का नहीं कहा। मैंने यह कहा कि कितने स्कूल चाहिये सूबे के लिये, प्राइमरी शिक्षा की दृष्टि से कितने स्कूल चाहिये, किस स्थान पर चाहिये, इनके लिये क्या ऐक्विपमेंट चाहिये इसके लिये प्रान्त में सर्वे कराया जा रहा है। उस के बाद तो बच्चों की संख्या मालूम हो ही जायगी और उसकी परेशानी माननीय गेंदा सिंह जी को बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिये । इस वक्त, तो उसके लिए भी यह सर्वे हो जाय जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं को जानें और उन आवश्यकताओं को जानकर ही हम अपनी योजनाओं को बनावें। तो इसलिये उसका एक सर्वे भी इसमें रखा गया है जो आज तक हमारे इस प्रान्त में नहीं हुआ था। कुछ म्युनिसिपैलिटीज में आप जानते हैं, हमारे यहां अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है। लेकिन फिर भी वह भवन के न होने के कारण उनकी अपनी दिक्कतें हैं। तो उनके लिये भी यह रखा गया है कि हम इस साल कुल चार सौ जो हैं उनमें से ४० को इस साल बिल्डिंग ग्रान्ट देने जा रहे हैं और दस दस हजार रुपये के हिसाब से देंगे, जिसमें कि चालीस यह अर्बन एरिया में जो हैं, शहरों में जो हैं, उनकी ये बिल्डिंग्स बन जायं। इसी से संबंधित जब आप यह प्रारम्भ करेंगे प्राइमरी शिक्षा के स्तर पर तो यह आवश्यक होगा कि आप उसके ऊपर भी पहले से ही प्रबन्ध इस बात का करें कि जो लड़के प्राइमरी कक्षाओं में पास हो कर के ऊपर आवेंगे, उनके लिये भी पहले ही से प्रबन्ध होना चाहिये। तो इस प्रकार से अब हम जूनियर हाई स्कूल्स या सीनियर बेसिक स्कूल्स जिनको कहते हैं, उस श्रेणी में आते हैं, तो उस के लिये ३५ जूनियर हाई स्कूल इस साल हम खोलेंगे । इस तरह से ५ सौ पांच वर्षों में खोलेंगे और ३५ इस साल खोलेंगे, जिनमें से २६ तो लड़कों के होंगे और नौ लड़कियों के होंगे। उसके लिये बिल्डिंग का भी और और भी, रेकरिंग और नान-रेकरिंग मिलाकर ७ लाख रुपया रखा गया है। दूसरे यह तो आपको मालूम ही होगा कि जूनियर हाई स्कूल जो रूरल एरियाज में हैं जहां हमको जमीन मिल सकी है, हमने उनको उन स्कूलों से सम्बन्धित किया है और शहरों में कुछ क्रैफ्ट का प्रबन्ध किया है। लेकिन यह ठीक है कि हमारे देहात के सब स्कूलों में ऐग्रीकल्चर ही एक क्रैफ्ट जूनियर हाई स्कूलों में नहीं हो सकता है और न जहां जमीन उपलब्ध हुई है वहां सब जगह क्रैफ्ट हो सका है। तो उसके लिये भी इस बजट में रखा गया है। २३५ स्कूलों में रखा गया है। ६ लाख रुपया इसके लिये इस बजट में है।

ऐग्रीकल्चर जो जूनियर हाई स्कूलों में रखा गया है वह मैं आपके सामने यह स्वीकार करता हूं कि जिस समय इस योजना को लागू किया गया था, मैं स्वयं अपने स्थान पर यह समझता था कि हमको सफलता मिले या न मिले, और कम से कम यह तो अवश्य है कि जितनी सफलता हमको मिली है उतनी की आशा तो मैं कभी भी नहीं करता था। उस योजना का तात्पर्य यह कदापि नहीं था कि हम स्कूलों को एक उत्पादन का केंद्र बनाना चाहते हैं। उस योजना का एक ही लक्ष्य था कि हम यह चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो शिक्षा पावें, जो हमारे स्कूलों से, कालेजों से निकलें उनको घृणा न हो काम से। केवल यही एक लक्ष्य था और इसलिये उस समय यह सोचा गया कि इस लक्ष्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब देहात में जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनके लिये हम भूमि मांगें, और भूमि मांगकर के इसमें कम से कम लड़के को यह अवसर तो दें कि और कुछ न कर सकें तो धूल में खेले ही, धूल से उसका स्पर्श हो। वह यह समझे कि मैनुअल लेबर का, परिश्रम और श्रम का एक महत्व होता है। इस बात से घृणा न करे कि चूंकि हम पढ़ रहे हैं इसलिये श्रम हमारे लिये एक हेय चीज है। तो केवल यही एक ऐसी बात थी उसमें। और यह भी साथ ही कि लोग अपनी भूमि दें, लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े आये हैं कि हमारे पास जूनियर हाई स्कूल १,७२३ थे जिनको जमीन मिली और हायर सेकेंडरी स्कूल जो ६०८ तक हैं उनमें ४४४ को जमीन मिली थी। इस तरह से २१६७ स्कूलों को जमीन मिली। जमीन की किस्म सब जगह तो अच्छी नहीं थी। कैटेगरी १ की जमीन ३,५२१ एकड़ थी, जो कि अच्छी कही जा सकती है। खैर, तो इस प्रकार से चारों किस्म की जमीन, ए० बी० सी० डी० कुल मिलाकर

[श्री हरगोविन्द सिंह]

२१,५९६ एकड़ भूमि मिली। इसमें हर एक किस्म की है। आपको यह जानकर के खुशी होगी कि दिसम्बर १९५५ तक हमको आमदनी उसमें २,५४,६१० रुपया हुई। इसमें १० परसेंट तो शिक्षा के लिये रख दिया गया जिस स्कूल की जितनी आमदनी थी। थोड़ा उस फार्म के इम्प्रूवमेंट के लिये १० परसेंट रख दिया गया और बाकी २,५६,००० रुपया का ८० परसेंट हमने वहां के टीचरों और विद्यार्थियों को बांट दिया। कहीं किताब के रूप में और कहीं कपड़े के रूप में।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कितना समय लेंगे?

श्री अध्यक्ष---उनकी नजर घड़ी पर अब पड़ गयी है।

श्री हरगोविंद सिंह---इस तरह से किया गया और ठीक भी है कि हमारे प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों को वेतन जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पा रहा है। यही कारण उसका नहीं है कि हम देना नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने साधन इतने निर्बल हैं कि उतना हम नहीं दे सकते।

श्री गेंदा सिंह---बड़े निर्बल हैं। सूरत शक्ल ही दिखायी दे रही है।

श्री हरगोविंद सिंह---जी हां, खुश होइये देख करके। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर की तनख्वाह में हम वृद्धि तो नहीं कर सके, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं कि जो उनको डीयरनेस मिलता था उसका आधा अब उनके वेतन का भाग बन गया और इससे उनको लाभ होगा प्रावीडेंट फंड में, इस वक्त तो नहीं होगा। जब या तो खुशहाली हो जाय और डीयरनेस अलाउंस बन्द हो जाय, तब उनको लाभ होगा। इस वक्त जो लाभ होगा वह उनके प्राविडेंट फंड में होगा। इसके अलावा जिस वेतनक्रम में वह रखे गये थे वह उनको नहीं मिलता। प्रांत में शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, शायद एक भी नहीं है, जो पूरा वेतन अपने टीचर्स को देता हो। सबने उनकी वृद्धि को जो साल बसाल होती है उसको रोक दिया। अब सरकार ने अपने ऊपर यह ले लिया कि जितनी उनकी वृद्धि है वह सब सरकार उनको देगी। तो इस प्रकार से उनको लाभ हुआ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आर्थिक अवस्था जो खराब थी उनको भी इस मामले में सहायता मिल गयी और उस वृद्धि का धन टीचरों को नहीं देना पड़ा। अब इस स्टेज पर आपने यह भी देखा होगा कि पारसाल जे० टी० सी० को बढ़ाया गया ६० रुपये से। तो यह एक असंतोष की बात हो गयी कि एक जूनियर हाई स्कूल में एक टीचर अधिक पाये हेडमास्टर से। इसलिये यह आवश्यक हुआ कि हेडमास्टर का वेतनक्रम बढ़ा दिया जाय और ६० से लेकर १२० या १३० तक कर दिया गया जिसमें वह जूनियर से ज्यादा पावें। तो जहां तक टीचरों का संबंध है इस बात का प्रयत्न किया गया कि उनको भी जितनी सहूलियत हम दे सके, इस वक्त वह हम दें।

सेकेंडरी स्टेज में तो हम इस साल गर्ल हाई स्कूल ५ खोलेंगे और दूसरे एक गर्ल जूनियर हाई स्कूल। और उनकी बिल्डिंग के लिये कई जगह किराये पर हैं, कई जगह ८ लाख रुपया अलग रखा गया है। हमारे प्रांत में अभी जो हायर सेकेंड्री स्कूल हैं उनमें २९६ ऐसे हैं जो कि ३०० के करीब हैं, जिनको कि अभी ग्रांट नहीं मिलती है, उनके लिये जो शर्तें निर्धारित कर दी गयी हैं उनकी पूर्ति पर उन सब को ग्रांट देने की व्यवस्था भी कर दी गयी है और इस साल ६० नये स्कूलों को ग्रांट दी जायगी। बिल्डिंग ग्रांट भी १०,००० के हिसाब से २० स्कूलों को देंगे। आपको शायद यह मालूम ही होगा कि एक स्कीम तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की है कि १५ हजार एक जिले में एक स्कूल को देते हैं, मैं नहीं कह सकता कि उसका भविष्य क्या है, लेकिन अगर उसको उन्होंने रखा। तो १०,००० के करीब उनका होता है, ५,००० के करीब सूबा सरकार देती है। वह तो अपनी जगह पर रहेगा। तो हम ३०० स्कूलों को इन ५ वर्षों में १०, १० हजार रुपया देना चाहते हैं।

ऐसे स्कूल भी हैं जिनके पास खेलने को कोई मैदान भी नहीं है, उनके लिये भी ४०,००० रुपया रखा गया है जिसमें हम इस बात का प्रयत्न करें कि उनके लिये भी खेलने का मैदान मुहइया करें। उसमें से ५० स्कूलों को हमारे जूनियर हाई स्कूलों में पुस्कालय हैं। पुस्तकों के अभाव में यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा ठीक तरह से नहीं हो सकती। तो हम जूनियर हाई स्कलों में तो ५०० के हिसाब से दे रहे हैं और अन्य स्कूलों में २,५०० के हिसाब से दे रहे हैं जिसमें कि एक लाइब्रेरी का भी प्रबन्ध हो सके। तो आप देखेंगे कि ५ वर्षों में कितने-कितने स्कूल ऐसे हैं जिनको हम दे सकेंगे। आज यह सोचा जा रहा है कि हमारे कोर्सेज मल्टीपरपज होने चाहिये। तो उसके लिये भी इसमें साढ़े ५ लाख रुपये दिये गये हैं। मिसाल के लिये दस लाख रुपये बिल्डिग के लिये हैं। इसी तरह से २० नार्मल स्कूल खोले जायेंगे, ८ जे० टी० सी० स्कूल खोले जायेंगे। इसके अलावा जो बेसिक स्कूल हैं, उनकी अभी तक यही दशा रही है कि जो "मैन्डेटरी स्केल आफ पे" है इन स्कूलों के टीचरों के लिये वह तो उनको मिलता है लेकिन जो उनकी वृद्धि होती है, वेतनक्रम में वह उनको कभी नहीं मिलती है। तो पहले तो सरकार शायद १/४ देती थी और ३/४ का बोझ वहां की प्रबन्धकारिणी समितियों पर था। इस कारण उनको वह वृद्धि नहीं मिल पाती थी। तो पिछले वर्ष सरकार ने १/३ अपने ऊपर ले लिया और २/३ मैनेजमेंट के लिये छोड़ा। मेरी तो ऐसी इच्छा थी कि हम कुल वृद्धि अपने ऊपर ले लें जैसे कि प्राइमरी टीचर्स की ली। लेकिन जो प्लान में कट होता गया उसी वजह से वह संभव नहीं हो सका। तो इसमें हमने यह किया है कि आधा इन्क्रीमेंट हमने अपने ऊपर ले लिया है और अब आधे की ही जिम्मेदारी मैनेजमेंट पर रह गयी।

यूनिवर्सिटी स्टेज में, दो यूनिवर्सिटियां स्थापित होने जा रही हैं, एक गोरखपुर में और दूसरी बनारस में, संस्कृत विश्वविद्यालय। दोनों के बिल आपके सम्मुख हैं। उनके लिये पर्याप्त धन इस बजट में रखा ही गया है।

हमारे डिग्री कालेजेज की हालत भी खराब है। उसके लिये भी जो बजट में है उसके अलावा ८ लाख रुपया रखा गया है, ताकि हम उनके अनुदानों में वृद्धि कर सकें। हमारी इलाहाबाद और लखनऊ, दोनों यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके ऊपर कर्जे का बोझ लदा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने पहले ही ले ली थी, उसकी अदायगी का प्रबन्ध इसमें किया गया है कि हम पूरा पूरा उसको अदा कर दें।

इसके अलावा हमारे पास लड़कों के लिये तो एक व्यायाम का कालेज था लेकिन लड़कियों के लिये नहीं था। इसलिये इसमें एक लड़कियों के कालेज के लिये योजना रखी गयी है कि एक फिजिकल कालेज फार गर्ल्स भी हम अपने प्रांत में स्थापित करें।

अभी तक चिल्ड्रेन्स लिट्रेचर पर बहुत कम सामग्री हमारे यहां उपलब्ध थी। लड़कों के लिये लोग किताबें भी नहीं लिखते थे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (देवरिया)—श्रीमन्, अब समय समाप्त हो गया है, इसलिये माननीय मंत्री जी लंच के बाद भाषण जारी रखें।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं पांच मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो पांच मिनट हम लोग और बैठेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—तो इसलिये इस बात का प्रयत्न किया गया है कि हम लेखकों को प्रोत्साहन दें कि वे चिल्ड्रेन्स लिट्रेचर भी लिखें और हम उसको छपवा कर वितरित करें।

स्कालरशिप की मद आपने देखी होगी कि वह डबल हो गयी है। अभी तक हम अपने सब पोलिटिकल सफरर्स को स्कालरशिप नहीं दे सकते थे, लेकिन इस साल हमें इसमें सफलता हुई कि हम हर एक पोलिटिकल सफरर को, जिसने भी दरख्वास्त दी, उसके कम से कम एक

[श्री हरगोविन्द सिंह]

लड़के को जो अधिक पाने का मुस्तहक हो, अगर सेकेंड क्लास का लड़का है तो स्टाइपेंड दिया और थर्ड क्लास का लड़का है तो उसको साल भर की फीस बुक ग्रांट करके दे दी। लेकिन हमारे लिये यही हो सका कि हम एक ही लड़के को अभी तक दे सके हैं।

पुस्तकालयों की हमारे यहां बड़ी कमी है। जिलों में भी इस योजना के अन्तर्गत इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि हर जिले में एक लाइब्रेरी सरक्यूलेटिंग टाइप की हो और यहां से किताबें भेजी जायं जिससे लोग उनसे फायदा उठा सकें।

हिन्दी लिटरेचर के फंड में ५ लाख रुपया रखा गया है, जिससे हमें जो साहित्य उपलब्ध हो सके उसे छपवायें और हिन्दी को इस प्रकार से और भी धनवान साहित्य में, विचारों में और ज्ञान में कर सकें, क्योंकि अब वह हमारी राष्ट्र भाषा है। अब तक हमारे यहां जो संस्कृत के इन्सपेक्टर्स थे उनकी संख्या में दो की और वृद्धि कर दी है, सरस्वती भवन को हमने १,८८,००० रुपया इसलिये दिया है कि उसकी बिल्डिंग को बढ़ायें।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---अध्यक्ष महोदय, कौन-सी घड़ी से ५ मिनट हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह---एक मिनट तो आपने ले लिया।

श्री अध्यक्ष---मेरे धीरज को भी देखिये; आप सब लोगों की सुनता हूं, आप भी सुनिये।

श्री हरगोविन्द सिंह---जो हमारी २०० पाठशालायें हैं उनको हम माडल पाठशाला बनाने जा रहे हैं और ५८ पाठशालाओं को हम इनमें कंवर्ट करेंगे और २०० अलग खोलेंगे। इसके अलावा ५० पाठशालाओं को हमने ५-५ हजार रुपये का अनुदान बिल्डिंग्स के लिये दे रहे हैं। एन० सी० सी०, पी० ए० सी० और ए० सी० सी० की जो हमारे यहां ट्रेनिंग है, हमारे जिले के हेडक्वार्टर्स पर जितने स्कूल हैं उनमें यह अनिवार्य कर दी गई है और इसका असर अनुशासन की दृष्टि से हमारे बच्चों पर अच्छा पड़ रहा है। एन० सी० सी० को और बढ़ाने के लिये हमने बजट में अनुदान रखा है।

शिक्षा के संबंध में लोगों का कितना प्रेम है, हमारे मित्रों का तो श्रीमन् इसी से देख सकते हैं उनकी इस बात से कि जल्दी ही किसी प्रकार से यह व्योरा खत्म हो। लेकिन मैं जानता हूं और ठीक है, होना भी चाहिये, क्योंकि इसमें शिक्षित भी अशिक्षित की तरह से बात करता है। इस सूबे का दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसा बे पढ़ा-लिखा मंत्री और उनके ऐसा बे पढ़ा-लिखा नेता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, आपको आध घंटे का समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जाइये। आप भी जरा शिक्षा प्राप्त कर लें।

श्री हरगोविंद सिंह---यह अनुदान आपके समक्ष है। मैं आशा करता हूं कि आप इसमें जो और कमियां हैं उस पर विचार करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मुझसे संभव होगा वह मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। आप इन सुझावों पर विचार करके इसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संपूर्ण अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा मंत्री महोदय ने जो अनुदान उपस्थित किया है और उस सिलसिले में करीब १ घंटे तक का अपना लम्बा चौड़ा व्याख्यान भी दिया उसको सुनकर के कुछ ऐसा विदित हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे थे, शायद उन्हें अपनी आत्मा में उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं था। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा भी की थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, इस वर्ष तो नहीं लेकिन दूसरे वर्ष से जितनी प्राइमरी शिक्षा होगी उसको हम फ्री कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जिस उत्तर प्रदेश में, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, १०.८ साक्षरता हो और जिस देश के अन्दर उसके संविधान में यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल दे रखा हो कि १० वर्ष के अन्दर संपूर्ण प्रदेश के १४ वर्ष तक की उम्र के लड़कों, बालकों और बालिकाओं के लिये अनिवार्य शिक्षा होगी, उसमें अगर इस प्रकार की बातें प्रारंभिक शिक्षा के विषय में कर दी जायं तो उससे सरकार की शिक्षा की नीति प्रदर्शित होती है। माननीय मंत्री महोदय अभी जब बतला रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के युग में वह यह महसूस करते हैं कि प्राइमरी शिक्षा कम से कम प्रत्येक व्यक्ति के लिये होनी चाहिये। इस बात को ज न कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि माननीय मंत्री महोदय को कम से कम इतना तो जरूर मालूम हो गया कि प्रजातंत्र में, जहां सरकारें वोटों के बल पर बनती हैं और बिगड़ती हैं, साक्षरता का होना आवश्यक है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने और माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि १५ लाख रुपये का प्राविजन कर दिया गया है, जिसमें ५० प्रतिशत फीस माफ कर दी जायगी और इसके अलावा एक दूसरी बात जो इसमें विशेषता से की गई है एक सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनके बालकों को इन्टर की कक्षा में आधी फीस माफ करने का प्रोविजन है, यह इसमें कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही कम लोग जो कि १०० रुपये से कम वेतन पाते हैं हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट तक पढ़ा सकते हैं। आज इस युग में हम यह देखते हैं कि हाईस्कूल इन्टरमीडियेट पढ़ाने के बाद वह नौकरी पाने में सफल नहीं होते हैं और उनकी शिक्षा सफल नहीं होती है। इसलिये जो यह प्राविजन किया गया है वह बहुत सुन्दर नहीं होगा और वह देश के लिये लाभदायक ज्यादा नहीं होगा। हम देखते हैं कि इस वर्ष १२ करोड़ रुपये का बजट रखा गया है जो शिक्षा पर खर्च किया जायगा। उस १२ करोड़ रुपये में पिछले वर्ष से करीब २ करोड़ रुपया अधिक प्रोवाइड किया गया है। इस १२ करोड़ रुपये में से हम देखते हैं कि करीब २ करोड़ १० लाख रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना की स्कीमों को चालू करने के लिये है। हम यह भी देखते हैं कि २ लाख ७० हजार रुपया इस वर्ष गत वर्ष से अधिक बढ़ाया गया है। इससे आगे माननीय मंत्री महोदय नहीं जा सके।

हम यह देखते हैं कि अभी पणिक्कर साहब ने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के दौरान में जो नोट आफ डिसेंट लिखा था कि उत्तर प्रदेश कम प्रगतिशील प्रदेश है उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान गया होगा। उनको मालूम होगा कि आज प्रदेश में शिक्षा की तरक्की करने की बहुत जरूरत है। जहां माननीय मंत्री जी गौरव के साथ कहते हैं कि यहां पर बहुत उन्नति की जा रही है, वह शिक्षा में उन्नति नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से प्रगति यहां पर शिक्षा में होनी चाहिये वह प्रगति माननीय मंत्री जी नहीं लाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस बजट को देखें जो कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है तो मालूम होगा कि किसी किसी स्टेज पर जो रुपया प्रदान किया गया है यूनिवर्सिटी एजूकेशन के लिये, माध्यमिक शिक्षा के लिये और प्राइमरी विद्यालयों के लिये, उसमें कोई सिद्धांत नहीं है। जब बजट की फिगर्स को देखा जाता है, तो यह पता चलता है कि १ करोड़ ४६ लाख रुपया आप यूनिवर्सिटी एजूकेशन पर खर्च करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम माध्यमिक विद्यालयों को देखते हैं तो हमको यह विदित होता है कि इन पर ४ करोड़ ५३ लाख रुपया माध्यमिक शिक्षा पर खर्च करने जा रहे हैं। उसके बाद जब हम प्राइमरी एजूकेशन को देखते हैं तो उस पर भी ४ करोड़ ५३ लाख रुपया प्राइमरी एजूकेशन पर खर्च होता है। जब हम इन

[श्री गंगाधर मैठाणी]

आंकड़ों को देखते हैं तो यह विदित होता है कि सरकार के पास कोई ऐसा अनुपात नहीं है जिस आधार पर माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजूकेशन पर बजट का रुपया अलाट किया जाय। मुझको पता है कि जहां तक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स का संबंध है, उसके लिये यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन है। उसके द्वारा यूनिवर्सिटीज को देखा जाता है। उसी के द्वारा यूनिवर्सिटी की शिक्षा के मुताबिक ग्रांट का प्राविजन किया जाता है। इसी प्रकार से मेरा एक सुझाव है। जिस प्रकार से प्राइमरी एजुकेशन के लिये माध्यमिक एजुकेशन के लिये और विश्वविद्यालय एजुकेशन के लिये एक कम्बाइन्ड कमीशन है तो उसकी एक सब-कमेटी हो, जो इस प्रकार से देखे कि प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा किस प्रकार देना चाहिये, इस बात को देखे और उसी प्रकार से प्राइमरी माध्यमिक और विश्वविद्यालयों की शिक्षा को बढ़ाना चाहिये और आगे चलना चाहिये। जहां तक कि माननीय मंत्री जी ने प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा है, उसमें उन्होंने सब बातें कही हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के प्रबन्ध के सिलसिले में अभी तक बहुत से कानून यहां पर पास किये गये हैं जो सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी ऐक्ट के रूप में पास किये गये हैं। हम देखते हैं कि इलाहाबाद, बनारस और आगरा यूनिवर्सिटी के लिये, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिये और बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है, इनके संबंध में कोई यूनिफार्मिटी नहीं है, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से यह सरकार चाहती है, उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी कानून ले आती है, और उसी को पास करती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो कानून है उसको आर्डिनेंस के द्वारा बदला जाता है, जिसमें कानपुर मेडिकल कालेज को एफिलियेट करने के लिये आर्डिनेंस द्वारा बदला जाता है। यह जो नीति है वह बहुत अच्छी नीति नहीं है। हमें तो इससे यह खतरा मालूम होता है कि जब सरकार चाहेगी यूनिवर्सिटियों के कानून को आर्डिनेंसेज के जरिये से बदल देगी। हम देखते हैं कि बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी का बिल यहां आ रहा है वह एक माडल माना जाता है, लेकिन उसके अनुसार अन्य यूनिवर्सिटियों के कानून नहीं हैं। हमारी एक स्पष्ट नीति इस बारे में होनी चाहिये।

इसके बाद में एक बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। थोड़े दिन पूर्व भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दक्षिण भारत में कहा था कि उत्तर भारत के जो विद्यार्थी हैं उनमें बिलकुल डिसिप्लिन नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री जी और सरकार के लिये यह बड़े शर्म की बात होनी चाहिये कि उन्हीं के पार्टी के प्रधान मंत्री इस प्रकार की बात उनके बारे में कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जो सरकार नीति बनाती है अगर उस नीति के द्वारा कोई इनडिसिप्लिन होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी माननीय शिक्षा मंत्री और चांसलर के ऊपर है। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा, अगर छात्रों का डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो वह उनको ठीक करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी और इस सदन से यह अनुरोध करूंगा कि अगर उनसे नहीं होता है तो चान्सलर महोदय और शिक्षा मंत्री जी अपने अपने पदों से त्यागपत्र दे दें तो डिसिप्लिन ठीक हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात दक्षिण भारत में जाकर कही जाती है तो उसका दोष किसके ऊपर होता है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि उसका दोष अन्य पार्टियों के ऊपर है। अगर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, अन्य पार्टियां या कोई और शिक्षा के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में अगर कोई बात होती है तो वह भी उनकी नीति के कारण से ही होती है, क्योंकि यह तमाम बातें उनकी नीति पर ही निर्भर करती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार की एक नीति होनी चाहिये। एक ओर तो गवर्नमेंट ज्ञानपुर बनारस में और रामपुर में डिग्री कालेजेज खोलती है और दूसरी ओर किसी स्थान के लिये उनके पास प्राइमरी स्कूल खोलने को भी पैसा नहीं है। यह हो सकता है कि ज्ञानपुर में पहले कमिटमेंट हो चुका था, इसी प्रकार से रामपुर के विषय में भी कहा जा सकता है, लेकिन वहां पर बी० ए०, एम० ए०

खोलने के बजाय उनको वहां ऊंचे दर्जे के टेक्निकल स्कूल खोल देने चाहिये थे। इस प्रकार से उनका कहना भी हो जाता और सरकार भी एक बड़ी भारी चीज कर सकती थी। इसी प्रकार बनारस युनिवर्सिटी के बारे में हम देखते हैं तो हमारी समझ में कोई भी बात नहीं आती है कि यह सरकार किस आधार पर चलती है। माननीय मंत्री जी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पर उनकी बड़ी कृपा है और वह यह कि यहां पर वे ३२ हजार बेसिक प्राइमरी पाठशालायें खोलने में समर्थ हुये हैं। वे बेसिक पाठशालायें कैसी हैं वह आपको आधारित विद्यालय असेसमेंट कमेटी, जो श्री रामचन्द्रन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में घूमी थी, उसकी रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी जिस प्रकार की बेसिक एजूकेशन या प्रारंभिक शिक्षा का सूत्रपात करना चाहते थे, उसका तो इसमें आभास मात्र भी नहीं पाया जाता। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सारे भारत में ३४ हजार बेसिक स्कूल हैं उनमें से ३२,००० यू० पी० में हैं। लेकिन जैसी बेसिक पाठशालायें यू० पी० में दिखायी पड़ती है अगर वैसी ही बेसिक एजूकेशन हो तो हम उसको नमस्कार करते हैं। रामचन्द्रन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि बेसिक प्राइमरी स्कूल्स में एक सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिये कि वहां जो लोग शिक्षा देते हैं वे बेसिक ट्रेंड अध्यापक हों, दूसरे उसमें इक्विपमेंट होना चाहिये। एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष के अन्दर ३४ हजार बेसिक प्राइमरी पाठशालायें हैं और उनमें से ३२ हजार उत्तर प्रदेश में हैं। अगर हमारी सरकार यह कहती है तो वह उत्तर प्रदेश को ही नहीं, भारत सरकार को भी धोखा देती है। यह बेसिक पाठशालाओं का ढांचा नहीं है। वहां कोई ट्रेंड अध्यापक या सामान नहीं है।

दूसरी बात की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से हमारा कोई द्वेष नहीं है। लेकिन जो शिक्षा की गतिविधि है उसे देख कर दुख सा होता है। साफ दृष्टिकोण से अगर न कहें तो हम उत्तर प्रदेश के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं निभायेंगे। जहां तक बेसिक स्कूलों का संबंध है, उनमें कोई फर्नीचर नहीं है। मास्टरों के बैठने के लिये चेयर्स नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय को स्वयं अनुभव होगा कि हमारी बेसिक पाठशालायें कैसी हैं और किस प्रकार वे चल रही हैं। सन् ३८ में जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो विश्वविद्यालय की एक प्वायनियर बिल्डिंग थी। वहां एक बेसिक पाठशालाओं का ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था। उस समय कांग्रेस सरकार थी और यह कहा गया था कि क्योंकि प्वायनियर बिल्डिंग में ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है, अतएव जो अध्यापक निकलेंगे वे शिक्षा के संबंध में प्वायनियर होंगे। लेकिन सन् ३८ से लेकर आज तक हम देखते हैं कि उनका ग्रेड आगे बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। जितने नार्मल स्कूल खोले गये हैं, वे शायद बेसिक शिक्षा में पाठशालाओं के अध्यापकों को प्रोड्यूस करने के लिये खोले गये हैं। लेकिन नार्मल स्कूलों के लिये प्रत्येक जिले में ट्रेंड प्रोफेसर्स नहीं मिलते। उनके पास अपना फर्नीचर और सामान नहीं है। इसलिये इस बात को देख कर दुख होता है कि किस ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को ले जा रहे हैं।

जूनियर स्कूलों की बात में उपाध्यक्ष महोदय कहता हूं कि उनमें साइंस और जनरल साइंस के क्लासेज खुलवा दिये, लेकिन वहां पर कोई जनरल साइंस का सामान नहीं है और न साइंस के क्वालिफाइड टीचर्स हैं। जब ऐसी व्यवस्था है तो क्यों इतने विषय खोले जा रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों के बारे में कहूं कि आंकड़ों को देख कर सन् ५३-५४ में ७ प्राइमरी स्कूल खोले गये तो १७७ जूनियर हाई स्कूल खोले गये। इस पुस्तिका में ऐसा लिखा हुआ है इसका क्या कारण था मेरी समझ में तो आया नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि माध्यमिक स्कूलों की प्रगति और कोड को ठीक करने के लिये आचार्य नरेंद्रदेव की रिपोर्ट के अनुसार बिल इस हाउस के अन्दर आना चाहिये था। आज तीन वर्ष से बराबर उसके संबंध में बातें हो रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह बिल क्यों नहीं आता। माध्यमिक शिक्षा को उसका ठीक रूप दे सकें

[श्री गंगाधर मैठाणी]

इसमें माननीय मंत्री को बतलाना चाहिये कि इसकी क्या गति है। एक बात का हमें बड़ा दुख है कि आफिसर्स के वेतन तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स का वेतन बढ़ाया गया लेकिन प्रोफेसर्स अध्यापकों का वेतन जो है, वह नहीं बढ़ाया गया। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, जो देश का भविष्य बनाने वाले हैं, उनका वेतन नहीं बढ़ा। उनको मौखिक सहानुभूति दे दी जाती है।

एक बात और कहूंगा। मारेल के संबंध में कहा जाता है कि लड़कों में डिसिप्लिन होना चाहिये। स्कूलों में गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर जाता है कि कोई भी व्यक्ति स्कूल में सिगरेट न पिये लेकिन जब उच्चाधिकारी या मिनिस्टर साहब स्वयं इंस्पेक्शन करने स्कूलों को जाते हैं, तो सिगरेट पीते हुये जाते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी—हमारे पास जो बहुत से सुन्दर-सुन्दर फोटो हैं उनसे यह बात सिद्ध की जा सकती है। मेरे पास फोटो में यह बात दिखलाई हुई है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम देश का एक स्तर हो। इतना ही नहीं, हम देश का स्तर उठावें, शिक्षा को ऊपर उठावें, देश की आत्मा को बढ़ावें लेकिन यह सब कब होगा? अभी प्लान्ड शिक्षा का एक बोर्ड बना था जिसमें मौलाना आजाद भी थे, और दूसरे मंत्री और एजूकेशनिस्ट्स थे, उसने कहा था कि अगर शिक्षा को नहीं बढ़ाया गया तो निश्चय ही हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना असफल होगी। यह सरकार शिक्षा के लिए न कुछ करने जा रही है और उसकी प्रगति बिलकुल बेकार है। यह जो फिगर्स एक्सटेंशन के हैं वह सब बेकार हैं, भूमि के फिगर यह सब बेकार हैं जो जमीन मिली है वह भी पड़ा पड़ा ऊसर और बंजर हो गई और बेकार हो गई है। इतना कहते हुए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं।

***श्री अवधेश प्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद है कि इस प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए, परन्तु जहां पर प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में अभी हमारे माननीय मित्र ने कहा है, उससे भी एक दर्जा पहले की बात मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं, और वह यह है कि इस प्रदेश में जहां पर नर्सरी या किंडरगार्डन शिक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है, वह ऐसी अवस्था होती है कि जिस समय हमें बालकों की एक सुव्यवस्थित नींव डालना होती है ताकि वह आगे चल कर मजबूत हो सकें। बेसिक एजूकेशन आपने रखी है लेकिन इससे इन्कार नहीं हो सकता कि बहुत सी जगह आपकी वह मनशा पूरी नहीं हो पा रही है। उसकी वजह यह है कि लोकल बाडीज इतनी आर्थिक सहायता नहीं दे पाती हैं जिस मात्रा में आप उन को देते हैं और यही नहीं, बल्कि वे वेतन इतने विलम्ब के साथ देते हैं कि वहां के शिक्षक गण इस अवस्था में नहीं रहते हैं कि वे भलीभांति अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकें। यह प्रसन्नता की बात है कि इस साल से फीस आधी की गई है और आइन्दा साल आप उसे निःशुल्क करने वाले हैं, लेकिन यह कहीं अच्छा हुआ होता कि अगर आप फ्री एजूकेशन प्राइमरी स्कूलों में इसी वर्ष कर देते।

मैं कुछ माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। समयाभाव के कारण मैं कितना कह सकूंगा यह तो समय ही बतला सकेगा परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मंत्री महोदय ने उन जूनियर हाई स्कूल्स को भूमि तो दिलवा दी है, और यह भी सच है कि बहुत-सी जगह जहां ऐसा नहीं था उस जगह भी आपने सहायता और सहयोग करके जमीन दी है, लेकिन आप यह देखें और माननीय मंत्री महोदय स्वयं खेतों से अपरिचित नहीं हैं जब बोने का समय आता है तो उस समय आपकी पाठशालाओं के शिक्षकगण जिस तरह से हरी-बेगारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ली जाती थी, उसी का दूसरा रूप दे कर वे उन लड़कों से मैनुअल लेबर लेते हैं। हमें बच्चों की उस डेलीकेट अवस्था को भी न भूलना चाहिए, आप उन को साधन दें ताकि वे फार्म्स को भलीभांति चला सकें और इस तरह से उनको लाभ हो सकता है। कहा गया कि इस तरह से देहात के लड़कों को भूमि में खेलने का एक अवसर तो प्राप्त होगा, देहात के लड़कों को क्या बल्कि शहरों के बच्चों को भी भूमि में खेलने का स्वाभाविक प्रेम होता है और देहात के बच्चों को बताना कि भूमि में कैसे खेला जाता है या खेती का काम कैसे किया जाता है उचित न होगा, वह तो पहले से ही उन के रक्त, भाव और स्वभाव में है उनके लिए तो यह नैसर्गिक बात हो जाती है, देहात में रहने वाले जो कि ८५ फी सदी देहात में रहते हैं। बच्चा जिस दिन से समझने लगता है उसी दिन से खेती के बारे में कुछ न कुछ जानता ही है। और यदि आप यह समझें उनके बच्चों को पढ़ा कर आप बाबू बनने से उन्हें रोक सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आप इसमें सफल न हो पायेंगे, क्योंकि उसके लिए वातावरण होना चाहिए। और जो वातावरण आपने क्रिएट किया है, या जिसका प्रादुर्भाव आप ऐग्रीकल्चर फार्म्स से करा रहे हैं, शहर के बच्चों के लिए जो धान और गेहूं नहीं पहचान सकते, अगर उनको सिखाना चाहते तो ठीक था। मुझे समझने में गलती न हो कि मैं इस स्कीम के विरोध में हूं। लेकिन जो कुछ आप करते हैं वह पूर्ण रूप से कीजिये। वह इस रूप से कीजिये कि उनको सब साधन और सामग्री प्राप्त हो जिससे वह सफलतापूर्वक चल सके।

जूनियर हाई स्कूलों के वृद्धि मशरूम गथ की तरह है। न उनके पास इमारत है, न प्रबन्ध है, न एनडाऊमेंट है और हर जगह दलबन्दियों के कारण आप बहुत सी पाठशालाओं को मान्यता देते चले जाते हैं। यह मैंने माना कि आपने उस अधिकार को छीन कर अब डिप्टी डाइरेक्टर के सुपुर्द किया है। पर साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि उस अधिकार का भी दुरुपयोग न होने पाये।

विश्वविद्यालय के बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। यदि अनुशासन विश्वविद्यालय में नहीं है तो विद्यार्थी कभी सुन्दर नागरिक नहीं बन सकते हैं। यदि आपने क्वांटिटी पर जोर डाला तो क्वालटी कभी न मिल पायेगी।

अन्त में मुझे यह कहना है कि जहां पर आप संस्कृत प्रोत्साहन के लिए एक संस्कृत विश्वविद्यालय कायम कर रहे हैं उसी के साथ मुझे आपको यह बताना है बहुत सी संस्कृत की पाठशालाएं बहुत सी रियासतों द्वारा चलायी जाती थीं। जमींदारी के जाने के बाद अब उनके पास कोई साधन नहीं, कोई आमदनी नहीं। दूसरे स्कूलों में कुछ फीस भी मिल जाती है लेकिन संस्कृत के विद्यालयों में तो छात्रों को आपको छात्रवृत्ति देनी पड़ती है, उनकी खिलाई-पिलाई और वस्त्र दान भी देना पड़ता है तब जा कर संस्कृत पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं। जो विश्वविद्यालय आप खोलने जा रहे हैं यदि उसका आधार मजबूत न रहा तो वह विश्वविद्यालय सिर्फ बनारस के पंडितों मात्र के लिए रह जायगा।

लड़कियों के पांच स्कूल खुल रहे हैं। मुझे यह भी स्वीकार है। केवल मुझे इतना कहना है—मैं फैजाबाद जिले का ही बता रहा हूं, वहां आपने गर्ल्स इंटरमीडिएट कालेज रखा है। लेकिन उस जगह एक भी बोर्डिंग हाउस नहीं है। शहर की लड़कियों के लिए तो आसानी है। लेकिन अगर कोई देहात का मनुष्य अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहता है, तो वह व्यक्ति या तो स्वयं आकर शहर में आबाद हो, नहीं तो उसके लिए कोई चारा नहीं है। इसलिए, जहां पर गर्ल्स इंटरमीडिएट कालेज हैं, वहां पर आप बोर्डिंग का प्रबन्ध अवश्य कर दीजिये। नहीं तो शिक्षा केवल शहरातियों के लिए सीमित रह जायगी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो वस्तुस्थिति सामने रखी जाय उसको किसी व्यक्ति विशेष की टीका-टिप्पणी न समझ कर पूरी व्यवस्था की टीका-टिप्पणी समझने की कोशिश करें। हम जो शिक्षा प्रणाली आज चला रहे हैं उसको जनतान्त्रिक पद्धति में उपयुक्त नहीं पाते हैं, क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आज इतनी दूर तक पोलिटिक्स धुस चुकी है कि उसका निराकरण जब बहुत ही मजबूत हाथ में लेकर करना होगा तभी हो सकता है। जहां देखा जाय हर क्षेत्र में मैं एक-एक घटना का निवेदन करूंगा और उसी घटना का विश्लेषण, अगर सदन के सम्मानित सदस्य करेंगे, तो स्वतः इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब शिक्षा का केन्द्रीयकरण हो जायगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी राजनीति बहुत नीचे तक प्रवेश कर जायगी तो उसी तरह अव्यवस्था फैलेगी। इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वह बेसिक एजूकेशन ली जाय, सेकेन्ड्री एजूकेशन ली जाय, चाहे हायर एजूकेशन ली जाय या यूनीवर्सिटी एजूकेशन ली जाय, हर जगह अराजकता व्याप्त है। मैं उदाहरण के रूप में इतना ही आप से निवेदन करूंगा कि यदि यहां देखा जाय, मोडल स्कूल्स के टीचर्स नियुक्त हो गये हैं, लेकिन स्कूल्स नहीं हैं। बिना स्कूल के वे टीचर कहां काम करेंगे? माननीय मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, और लखनऊ के अन्दर, जहां कि राजधानी है, इसके बाद यह देखा जाय कि जो अपग्रेडिंग होता है आफीसर्स का उनके ग्रेड को किस तरह बढ़ाया जाता है। ऊपर के लोगों के ग्रेड को बढ़ा दिया जाता है मगर जो सामान्य टीचर्स हैं उनकी तरफ सरकार की दृष्टि नहीं जाती। हमारे मैठाणी जी ने अच्छे तरीके से जूनियर बेसिक व्यवस्था के बारे में रोशनी डाली। क्या यह असत्य है कि आज जितने नार्मल पास टीचर्स है, जो लोग बेसिक की पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स है, उनको ट्रेन्ड करने वाले कौन हैं, वह कहां से शिक्षा पाये हैं? बेसिक कालेज के शिक्षित जो प्रोफेसर्स हैं, आज उनकी व्यवस्था वहां पर है? और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? वे दूसरी जगह क्यों रखे गये? और उसी तरीके से मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जब १९३८-३९ से यह व्यवस्था चल रही है और बेसिक एजूकेशन का नाम ले करके महात्मा गांधी के नाम में शोषण करने की हर तरह से सरकार की कोशिश होती है तो अच्छी तरह से देखा जाय कि ८-९ वर्ष तक, जो टीचर्स पढ़ाते थे, जो प्रोफेसर्स पढ़ाते थे, उनकी उस सर्विस को स्थायित्व प्रदान करने के लिये जोड़ा जाता है या नहीं। क्यों नहीं जोड़ा जाता है? यह उचित है या अनुचित है? मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था हो और शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था हो तो यह घोर आपत्तिजनक है।

उसी के साथ-साथ, श्रीमन्, आप यह देखेंगे कि जो आर्ट और क्रैफ्ट के टीचर्स है इंटर के पढ़ाने वाले उनकी तनख्वाह कम है और इसके पूर्व जो प्रणाली थी उस समय उनकी तनख्वाह क्या थी? इस समय उनकी तनख्वाह क्या है? उनकी तनख्वाह भी समुचित रूप से उनके समकक्ष होनी चाहिये जो दूसरे टीचर्स हैं। आप यह देखें कि कई तरह के जो शिक्षा में जे० टी सी०, एच० टी० सी० बी० टी० सी० यह सब जो हैं इनके जो प्रोफेसर्स हैं इनमें डिसपेरिटी है या नहीं? सरकार के नियंत्रण में जो स्कूल चलते हैं या जो सहायता प्राप्त इंस्टीट्यूशन्स हों, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हों, आखिर यह तमाम शिक्षा ही तो देते हैं। इन अध्यापकों के विभिन्न ग्रेड क्यों हैं? विभिन्न प्रणाली क्यों चलायी जाय? आज गणतंत्र को देखा जाय तो ६ठां वर्ष हो गया, शिक्षा मंत्री को भी ५ साल हो रहे, हैं सरकार को देखा जाय तो सन् १९४६ से काम कर रही है तो आखिर यह सारी बातें कब तक होंगी?

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बराबर सरकार की ओर से कोशिश होती है, सर्टिफाइड कापी मैंने आज ही के लिये मंगा रखी है, ताकि मंत्री जी की सेवा में भेज सकूं। यह राजकीय गजट में छपा है, उसके भाग ४, दिनांक ४ फरवरी, १९५६

में कि १८ प्रतिशत हरिजनों के लिये सीटें कहा जाता है कि रिजर्व हैं। विज्ञप्ति निकली है लोक सेवा आयोग की दो सीटें हरिजनों की सुरक्षित हैं। हरिजनों की ओर से, श्रीमन्, जरा समय कुछ और दीजिएगा क्योंकि यह शिक्षा का विषय है, पांच दस मिनट आप और देने की कृपा कीजिएगा, तो दो सीट सुरक्षित हैं और उसमें श्री जयश्री, रामजी और श्री होरी लाल जी ये हरिजन हैं। सात-सात वर्ष का अनुभव है ट्रेनिंग का। एक को श्री जयश्री राम को बुलाया भी गया। वह बी० एस-सी० और एल० टी० भी हैं, पूरी तरह क्वालीफाइड भी हैं। लेकिन जो लिस्ट निकली है उस लिस्ट को आप पढ़ें। उसमें एक भी हरिजन नहीं है। यह लिस्ट जो अथोराइज्ड कापी मेरे पास है, मैं माननीय मन्त्री जी की सेवा में भेज दूंगा कि ४ फरवरी को...

एक सदस्य—किसी दावत की लिस्ट है क्या यह ?

श्री राजनारायण—जी हां। आपके लिए तो दावत ही है। मुनिहिं हरियरिय सूझ।

इसके अलावा, श्रीमन्, आप देखें। बुलन्दशहर से हमारे पास अभी एक पत्र आया है। मुकर्रर इंटर कालेज है एक वहां। उस कालेज में एक अव्यवस्थित और गैरकानूनी तरीके से कमेटी काम कर रही है, मगर चूंकि उस कमेटी में कांग्रेस के लोग हैं, उसको मान्यता प्राप्त है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां पर कि यहां के शिक्षा अधिकारी जाते हैं और विरोधी दलों को कमजोर करने के लिए प्रिंसिपल को सहारा देते हैं। प्रिंसिपल गलत तरीके से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जारी कर देता है और फिर उसको जाली बनाने की कोशिश करता है। श्रीमन्, यह पूरी की पूरी फाइल, सर्टिफाइड कापीज की मेरे पास है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में रखूंगा। जरा इसको देखा जाय। रविकान्त शर्मा एक विद्यार्थी क्रिश्चियन कालेज का है। यह फेल होता है। उसका पिता प्रिंसिपल के पास दरख्वास्त देता है कि हमारे लड़के को तरक्की दे दो। अब इस तरक्की के मामले को लेकर प्रिंसिपल कहता है कि किसी नियम के मुताबिक वह तरक्की नहीं दे सकता। उसमें फिर डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, सेक्रेटरी, इंटरमीडिएट बोर्ड, सबकी सर्टिफाइड चिट्ठियां हमारे पास मौजूद हैं। नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के जरिये उसको प्रोमोशन दिया जाता है। फिर उसको प्रोमोशन देकर के जब वह समय बीत जाता है एडमीशन का तो यहां पर जो ताल्लुकेदार कालेज है उस कालेज में दिसम्बर के महीने में उसको भर्ती कराने के लिए कहा जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि हम क्यों भर्ती करें, नियम नहीं है तो उसको जबर्दस्ती और नाजायज तरीके से ऊपर के आदेश से कहा जाता है कि इसको इम्तहान में बैठने दो। श्रीमन्, हमारे पास चिट्ठी है उस टीचर की कि जो एग्जामिनर था। वह लिखता है कि यह एक्साइज इंस्पेक्टर के लड़के हैं। जब मैं नम्बर दे रहा था तो वह हमारे पास आये, पुलिस लेकर आये और हमको उन्होंने धमकी दी और कहा कि तुम हमारे लड़के को नम्बर बढ़ा दो। वह प्रिंसिपल को लेकर झा साहब जो डाइरेक्टर आफ एजूकेशन थे उस समय उनके पास गये और कहा कि हमसे नाजायज काम करने को कहा जा रहा है। आप हस्तक्षेप कीजिए। झा साहब कहते हैं, झा साहब के खत की भी सर्टिफाइड कापी हमारे पास है....

श्री हरगोविंद सिंह—श्रीमन्, मैं पूंछ सकता हूं कि बजट के किस अंग पर आप बोल रहे हैं ?

श्री रामनारायण—श्रीमन्, मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था, मैं बैठ गया कि शायद मंत्री जी कोई सफाई मांगते हों तो मैं दे दूं।

[श्री राजनारायण]

तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं, श्रीमन्, कि यदि इसी एक घटना को देखा जाय, विश्लेषण किया जाय तो इसमें पुलिस विभाग, एजुकेशन विभाग और एक ऐसा व्यक्ति जो कि डाइरेक्टर के पद पर रहा हो, उसके जब यह हाल रहे हों तो वह जब यहां से हटाया जाता है तो वाइस चांसलर बनाया जाता है तो फिर जब ऐसे लोग यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में रहेंगे तो कैसे शिक्षा का क्षेत्र राजनीति से अछूता रहेगा ? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह के ये काम कराये गए उसमें माननीय मन्त्रिगण का हाथ है और अगर हम यह कहेंगे तो माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि यह तो व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं । हुआ क्यों यह ? श्रीमन्, पूरी सर्टीफाइड कापीज मैं ले आया हूं उसे ले लें और देख लें कि आज शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या हो रहा है । श्री हरगोविन्द सिंह चाहे व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हों या न हों लेकिन जब एक पूरी व्यवस्था उनके हाथ में अकेले हो तो उनके ऊपर प्रेशर होगा । अब जहां तक लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर की बात है आज जिस निकम्मेपन से यह चांसलर यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में कार्य चला रहे हैं उसकी वजह से सारा का सारा प्रशासन बर्बाद होता चला जा रहा है इसलिये उस पर भी रोकथाम होनी चाहिये ।

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम शिक्षा बजट को पेश किया है वह बहुत सराहनीय है और इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

भारतीय संविधान में यह विधान है कि प्रारंम्भिक शिक्षा तक बच्चों की फीस माफ कर दी जायगी । मद्रास, बम्बई और मध्य प्रदेश, भूपाल में भी, प्रारंम्भिक शिक्षा फ्री भी है अनिवार्य भी है ।

श्री हरगोविंद सिंह---अनिवार्य नहीं है ।

श्री प्रभुदयाल---ठीक है, फ्री तो है । हमें यह आशा थी कि उत्तर प्रदेश में भी प्रारंम्भिक शिक्षा की फीस माफ कर दी जायगी । फिर भी, आधी कर दी गई है और आधी दूसरे साल तक तो होने वाली है । लेकिन यह बात मेरी समझ में अब भी नहीं आती है कि जब हमारी यूनियन में दूसरे आगे बढ़े हुये हैं तब हमी पीछे क्यों हैं ।

जूनियर हाई स्कूलों के विषय में मुझे केवल यह कहना है कि मुझे बहुत से जिलों में और देहातों में जाने का मौका मिला है । इन स्कूलों में इतने गरीब किसानों और मजदूरों के लड़के पढ़ते हैं । वहां फीस इतनी बढ़ी हुई है कि उन गरीबों के बस के बाहर है । मैं सोचता करता हूं कि यदि सरकारी कर्मचारियों के अलावा और सब लोगों के बच्चों की फीस भी आधी माफ हो जाती माध्यमिक शिक्षा में तो अच्छा होता । पर किसान और मजदूरों के बच्चों ने क्या अपराध किया है उनको कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं ? किसानों, मजदूरों और मध्यम श्रेणी के लोगों के जिनके पास कोई नौकरी का, कोई रोजगार का साधन नहीं है, उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते । दर्जा ४ भी नहीं पास कर सकते । हाई स्कूल में कैसे जा सकते हैं ? हमारे पूज्य नेहरू जी ने अमृतसर में कहा था कि यदि इस देश को बढ़ाना है तो हमें गांव के स्तर को देखना होगा । हैदराबाद में उन्होंने कहा कि एक चीज हमें तरक्की की तरफ ले जाने वाली है और उसके लिये हमें किसान, मजदूरों के हित को उन्नत करना होगा । मैं यह नहीं कहता कि आप सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं न दें । उनको सुविधाएं देनी चाहिये, क्योंकि उनके कंधों पर बोझ है, लेकिन जिन करोड़ों आदमियों के हाथों से इस देश का निर्माण होता है जिनके परिश्रम पर हम और आप चलते हैं, जिनके बल पर हम इस विधान भवन में तमाम माननीय सदस्य कार्य कर रहे हैं और जिन पर देश की सारी चीजें निर्भर हैं उनके बारे में हमें कुछ न कुछ व्यवस्था करनी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि यह सरकार किनके वोटों से बनी । महात्मा गांधी जी ने

कहा था कि जनतंत्र में राह चलनेवाले की बात सुनी जाय। मैं भी वही कर रहा हूं। इस प्रदेश के हिरजनों की बात नहीं कह रहा हूं कहीं कोई भाई यह कहने लगे कि तुम साम्प्रदायिक बात कहते हो। यह उस वर्ग की बात कर रहा हूं जिसके लिये पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हैदराबाद में कहा कि गांव के स्तर की बातें करो।

शिक्षा मंत्री जी ने जो बातें बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में कही हैं वह ठीक हैं लेकिन मुझको बेसिक स्कूलों में जाने का मौका मिला है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर होने की हैसियत से और मैं कह सकता हूं कि आज किस तरह से उनकी बर्बादी हो रही है। मैं नाम बहुत सुन रहा हूं और डाइरेक्टर आफ एजूकेशन महोदय की रिपोर्ट भी आती है कि वे बहुत सुन्दर हैं लेकिन वहां के अध्यापक को देखिये, वहां के बच्चों को देखिये, वहां खरिया, कपास, रंग और और चीजें खरीदने के लिए पैसा नहीं है और उन स्कूलों पर मैं कहता हूं कि एक पैसा भी आप खर्च नहीं करते हैं। अब आप उसे बढ़ा करके १०० रुपये करने वाले हैं। इसके लिये शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं। लेकिन आज के बाद हमारा भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम देखें कि वह पैसा कैसे खर्च होता है। २५ रुपये साल के आप देते हैं? उसका मेरा अनुभव है और आप भी उसका अनुभव करें अपने किसी विश्वासपात्र आदमी को देकर। आपको भी इसका उतना ही कटु अनुभव होगा जितना मेरा है, इस प्रदेश के किसानों का है और यहां के पढ़े-लिखे लोगों का है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं आपकी शिक्षा नीति पर, लेकिन मैं एक वास्तविक बात रखता हूं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिये।

हमारे माननीय मंत्री जी अगली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पुस्तकालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन केवल पुस्तकालयों की संख्या बढ़ा देने से ही इस देश के किसान और मजदूर बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती है। जब पिछले साल हमारे महान प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जी रूस ये थे तो वहां के बच्चों और पुस्तकालयों की हालत देखकर वे गदगद हो गये थे। इस प्रदेश में कुछ हजार पुस्तकालय और वाचनालय हैं, लेकिन उनकी हालत कैसी है? वहां कौन सी किताबें रखी जाती हैं, कौन लोग वहां पढ़ते हैं? आपकी एक बहुत बड़ी पत्रिका "पंचायत राज" भी हमारे गांवों में जाती है। हमारे गांव के सभापति पढ़े-लिखे नहीं हैं। बहुत से सभापति पढ़े-लिखे नहीं हैं। आज जनतंत्र की बहुत बड़ी बुनियाद इस देश में रख रहे हैं। आप पुलिस का भ्रष्टाचार, शिक्षा का भ्रष्टाचार और तमाम विभागों के भ्रष्टाचार की बात तो आप कहते हैं, लेकिन यह सब तभी रुक सकता है जब यहां के लोक चरित्रवान बनें और इसका एक ही तरीका है कि आप उनको अच्छी शिक्षा दें।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन हुये कि स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने यह मत प्रकट किया था कि इस प्रदेश में शिक्षा की प्रगति कम है। मेरे ख्याल से उन्होंने उन सब रकमों को नहीं देखा था जो इस अनुदान के अलावा, ऐग्रीकल्चर के अनुदान में और उद्योग के अनुदान में शिक्षा के भीतर खर्च होती हैं। कानपुर में एक एग्रीकल्चर कालेज है, रुड़की में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। उसी तरह से उद्योग ग्रांट के भीतर बहुत से छोटे-मोटे उद्योगों के स्कूल हैं। जो रुपया इन सब संस्थाओं पर खर्च होता है उन सबको इस ग्रांट के अन्दर अगर सम्मिलित कर दिया जाय तब आप देखेंगे कि अन्य प्रान्तों की बनिस्बत इस प्रान्त में अधिक रुपया शिक्षा पर रखा गया है और मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि इस प्रश्न पर विचार करें कि जो रुपया और अनुदानों के अन्दर शिक्षा के ऊपर खर्च होता है वह सब अगर शिक्षा अनुदान के अन्दर ले आया जाय तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा हो।

[श्री बेचनराम गुप्त]

माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने काशी में संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलने की योजना रखी है। काशी में, कहने की आवश्यता नहीं है, संस्कृत का बहुत प्रचार है मगर एक प्रश्न हमारे सामने है। यूनिवर्सिटी तो हम खोलने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो विद्यार्थी अन्य संस्थाओं से आयेंगे उनकी व्यवस्था इस बजट में नहीं है। कुछ दिन हुये जमींदार, सेठ, साहूकार, बड़े-बड़े काश्तकार संस्कृत पाठशालाओं को चलाते थे। आज उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और मैं मंत्री जी को बतलाता चाहता हूं कि उनके साथ साथ इन संस्कृत संस्थाओं की हालत भी बहुत खराब है। अधिकांश संस्कृत पाठशालाओं की कोई इमारत नहीं है। उनके अध्यापकगण पेड़ के नीचे बैठकर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनके पास न तख्ता सियाह है और न कोई सामान ही है। इस लिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि बजट के अन्दर जो रुपया मंत्री जी ने इन पाठशालाओं के लिये रखा है, वह बहुत ही कम है। मैंने देखा है कि किसी पाठशाला को ५००, किसी को ६०० और ज्यादा से ज्यादा १,००० रुपया पाठशालाओं को दिया गया है। यह रकम बहुत ही कम है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि संस्कृत पाठशालाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाय, और जो ग्रान्ट इन एड इनको दी जाती है, उनकी रकम बढ़ाई जाय, तभी संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनारस में अच्छी प्रकार से फले फूलेगी।

एक बात की ओर और मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बनारस जिले में ज्ञानपुर में एक डिग्री कालेज है। उसमें करीब ३०० विद्यार्थी हैं और टीचर्स तथा विद्यार्थियों के लिये मकानों की बड़ी दिक्कत है और वहां की आबादी भी ३,००० के करीब है। इसलिये वहां एक होस्टल की बड़ी आवश्यकता है। पारसाल मैंने उनका ध्यान इस ओर दिलाया था और इस साल भी दिलाता हूं कि एक छात्रावास अगर वहां बन जाय तो वहां पर कम से कम १,००० विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है। इसलिये कि ज्ञानपुर, इलाहाबाद और बनारस के बीच में है और बहुत से विद्यार्थी जो बनारस तथा इलाहाबाद में भर्ती नहीं हो पाते हैं वह यहां पर आ जाते हैं। लेकिन उनको छात्रावास न होने से बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिये वहां विद्यार्थियों की संख्या कम है।

माननीय मंत्री जी ने कृपा करके यह कहा कि वह लड़कियों के लिये हाई स्कूलों की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जब बनारस स्टेट की हुकूमत थी तो ज्ञानपुर में एक लड़कियों के स्कूल की व्यवस्था की गयी थी और दस हजार रुपया इमारत के लिये रखा गया था। लेकिन आज तक लड़कियों के लिये कोई हायर सेकेण्डरी स्कूल कायम नहीं हुआ। वहां पर एक स्कूल की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर प्रोफेसर्स भी काफी रहते हैं, टीचर्स भी रहते हैं और वहां की जनता में भी काफी पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं इसलिये वहां इस प्रकार की एक संस्था की आवश्यकता है जहां पर लड़कियां उच्चतर शिक्षा पा सकें।

एक दूसरी बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी हाल में जो राजकीय पाठशालायें थीं वह बनारस जिले में तथा अन्य जिलों में भी तोड़ दी गईं और जिस समय उनके टीचर्स वहां से हटाये गये तो उनके लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूलों में जाकर काम कर सकते और उनके लिये बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई थी। मगर हस्तक्षेप करने से थोड़ी-बहुत शिकायत दूर हुई। मगर उनके ग्रेड का प्रश्न अभी भी पड़ा हुआ है और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो राजकीय पाठशालाओं के टीचर्स हैं, उनके ग्रेड का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री हरगोबिन्द सिंह—प्रबन्ध हो गया है।

श्री बेचनराम गुप्त––धन्यवाद है। उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि जूनियर हाई स्कूल तथा सेकेंडरी हाई स्कूलों में जो खेती बारी का विभाग कायम किया गया है वह संतोषजनक नहीं है। जो हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं वह अप ग्रेडेड कर दिया जाय। चकिया में जो स्कूल है उसका भी उचित प्रबन्ध माननीय मंत्री जी को करना चाहिये। जो खेतीबारी के क्लासेज कायम किये गये हैं जूनियर हाई स्कूल्स में और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में, वह बिल्कुल संतोष-जनक नहीं है और उनमें कुछ काम नहीं हुआ है। बहुत से स्कूल्स को तो जमीन पर कब्जा तक नहीं मिला है और उनमें तरह तरह के झगड़े पैदा हो रहे हैं। तो यह कहना कि धूल से लड़के नफरत करते हैं, सही नहीं है। अगर सचमुच उनमें अच्छी तरह से शिक्षा दी जाय तो मैं समझता हूं कि हमारे लड़कों का ध्यान नौकरी की तरफ से हट कर इस तरफ जायगा और वे खेती-बारी में लग सकते हैं।

***श्री मुहम्मद तकी हादी** (जिला मुरादाबाद)––श्रीमन्, हमारे शिक्षा मंत्री जी, डाइरेक्टर आफ एजूकेशन और उसके डिपार्टमेंट के लोग काबिले मुबारकबाद हैं कि वह इस ऐवान के सामने १२ करोड़ ८१ लाख से ज्यादा का बजट एजूकेशन का लाये हैं। हमारे डिग्री कालेजेज में तरक्की हो रही है और हमारे इंटरमीडियेट कालेजेज भी करीब दुगुने के हो गये हैं और जहां तक प्राइमरी एजूकेशन का सवाल है अभी मंत्री जी ने बतलाया कि वह ५,००० स्कूल्स सेकन्ड फाइव-ईयर प्लान में खोलने वाले हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि तालीम की तौसीह का सवाल है, एक्सपेंशन का सवाल है, उसमें हमारे सूबे ने मुतमईन तरीके से तरक्की की है, लेकिन जहां क्वालिटी का सवाल है, मैं अर्ज करूंगा कि हमारा तालीमी स्ट्रक्चर और ढांचा ऐसा है कि जिसकी मिसाल एक ऐसे बाग से दी जा सकती है कि जिसमें हरे-हरे पेड़ भी हैं, फल भी हैं, कलियां भी हैं और हर तरफ बहार नजर आ रही है, लेकिन उसकी हरी-हरी शाखों में लचक नहीं है, कलियां हैं लेकिन उनमें महक नहीं है, फूल हैं लेकिन उनमें खुशबू नहीं है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि आखिर इस तालीम की तौसीह में जो इस वक्त तक हो चुकी है, क्या वजह है कि हम सब इस तरीके तालीम से मुतमईन नहीं हैं। जरूर इसमें कमजोरी है। मैं समझता हूं कि इस तौसीह के साथ-साथ हम यह देखते हैं कि जो तुलबा कालेज से बाहर आते हैं, उनमें एखलाकात, मारेल्स इतने अच्छे नहीं हैं कि जो होना चाहिये। उनका डिस्पिलिन इतना अच्छा नहीं है जितना कि हम उम्मीद करते थे। तो इन चीजों को इंप्रूव करने के साथ-साथ हमें यह देखना है कि आया हम जो हमारी तालीम का मकसद है वह हासिल कर रहे हैं या नहीं। अभी कल माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी तकरीर फरमा रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि बुनियादी बातों की तरफ भी हमें ध्यान देना है। इसमें कोई शुभा नहीं कि जहां तक फिरकेवाराना बात का ताल्लुक है वह सब तो पाकिस्तान बनने के बाद दूर हो गई, लेकिन इसके बाद जो चीज हमारी घुट्टियों में पड़ी हुई हैं यानी कास्टिज्म और फिरका बन्दी यानी जरा सी कोई बात हो गई तो सब लोग जमा हो जाते हैं और झगड़ा हो जाता है, तो हमें इस चीज को, इस जहनियत को दूर करना है और इसे हमें अपनी तालीम के जरिये से दूर करना है। इसमें कोई शक नहीं कि आइन्दा के लिये जो स्कीम बनी है उसमें शक्षा मंत्री जी ने ऐसा इंतजाम किया है कि इन बातों को दूर किया जाय।

मैंने साले गुजिश्ता में बजट के मौके पर एक सुझाव उनकी खिदमत में पेश किया था और मुझे खुशी है कि उन्होंने उस पर तवज्जह दी। मैंने अर्ज किया था कि जो तुलबा ऐसे माहौल में रहते हैं और ऐसे खानदान से आते हैं कि जिनमें अरसे से तालीम चली जाती है उनके लिये हमें अलग से स्कूल खोलने चाहिये, जैसे मांटेसरी सिस्टम के स्कूल हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी खुशी हैं कि ऐसे स्कूलों को इमदाद देने के लिये तैयार हैं। इसमें कोई शुभा नहीं कि लो पेड स्टाफ को भी हमारा एजूकेशन डिपार्टमेंट तरक्की दे रहा है। साले गुजिश्ता उन्होंने जे० टी० सी० के ग्रेड को बढ़ाया, गालिबन बढ़ा कर ६० रुपये कर दिया है। मैं एच० टी० सी०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद तकी हादी]

और वी० टी० सी० वालों की तरफ भी जो कि ट्रेंड हैं और जिनका तजुरबा ज्यादा है, उनकी तरफ उनकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। और वही प्राइमरी एजूकेशन के मालिक हैं। जरूरत इस बात की है कि उनकी तनख्वाह को ज्यादा किया जाय ताकि वह दिलचस्पी से पढ़ा सकें।

इसके अलावा मुझ माननीय मंत्री जी की तवज्जह अपने जिले की तरफ भी मबजूल करना है। मैंने २-३ वर्ष से यह कोशिश की थी कि अमरोहे के गवर्नमेंट हाई स्कूल को इन्टर कालेज में तब्दील कर दिया जाय। मुझे खुशी है कि वह कालेज बना दिया गया है। और साइन्स का इजाफा कर दिया गया है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको मैं माडेल स्कूल समझता हूं। उसमें तालीम के पढ़ने की कमी हो तो फिर हम यह दावा नहीं कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा को पढ़ाया जाय। दूसरे स्कूल भी कैसे तरक्की कर सकते हैं? वहां पर साइन्स ब्लाक के खोलने की जरूरत है। उनको अन्दाजा है और वह खुशकिस्मती से अमरोहा तशरीफ ले गये थे और उनको बतलाया था और उनके सामने अर्ज किया गया था। उन्होंने महसूस किया था कि साइन्स ब्लाक वहां पर जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जायगी।

इसके अलावा जो यहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल फार गर्ल्स है उसकी बिल्डिंग बहुत नाकिस है। वह इस काबिल नहीं है कि उसमें हाई स्कूल रन कर सके। मुझे खुशी है कि हमारे एक नेता साहू जगदीश शरण ने लड़कियों के स्कूल के लिये जमीन दे दी है। मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि इस काम को जल्द से जल्द शुरू कर दें ताकि इस काम को किया जा सके। इन चन्द अलफाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण को मैंने बहुत गौर से सुना और शिक्षा संबंधी जो पुस्तिका हम लोगों को प्राप्त हुई उनको भी देखने की कोशिश की, लेकिन एक बात की शिकायत जो मुझे ४ साल से शिक्षा विभाग से रही अर्थात् दिशाशून्य शैक्षिक नीति की शिकायत आज भी बनी हुई है: मैं समझता हूं शिक्षा की वह नीति एवं दिशा अभी तक स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हो पायी जिसकी तरफ शिक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश की जनता को शिक्षा मंत्री जी ले जाना चाहते हैं और इसीलिये हम इस बात को देखते हैं कि वह एक बार तो डिगरी कालेज के खोलने या ऊंची शिक्षा के प्रसार की ओर अधिक ध्यान देते हैं और कभी वह बेसिक और प्राइमरी स्कूल की तरफ ध्यान विशेषरूप से देते दिखाई देते हैं। उन्होंने आजमगढ़ के एक स्कूल में भाषण देते हुये कहा था कि हम बेकारों की संख्या बढ़ाकर देश में अशांति उत्पन्न करने के पक्षपाती नहीं हैं। शिक्षित बेकार समाज के लिये बहुत बड़ा खतरा होता है। इस खतरे से बचने के लिये हमें डिगरी कालेज की कक्षाओं पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। आज अगर माननीय मंत्री जी और उनके विभाग का यह मत है और वे इस मत पर भी दृढ़ रहें तो आगे कुछ दिन तक बेसिक शिक्षा का प्रसार होगा। जो आंकड़े हमको सरकारी पुस्तिकाओं से उपलब्ध हैं, उनमें हम देखते हैं कि शुरू में बेसिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया गया और बाद में उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस साल फिर उसके बढ़ाव की बातें कहीं जा रही हैं। तो परस्पर विरोधी बातें माननीय मंत्री जी की नीति में मुझे देखने को मिलती हैं।

महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण वातावरण के अन्दर ग्रामीण शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाय। सरकार ने उस तरफ उचित मात्रा में ध्यान नहीं दिया है। विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासनहीनता की बातें हम आये दिन सुनते हैं। हमारे राष्ट्र के ऊंची श्रेणी के नेता भी इस बात को कहने लगे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में एड्रेस देते हुये सर रामास्वामी मुदालियर ने कहा था कि जिस दिन नवयुवकों के लिये यह गारन्टी हो जाय कि उनके शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह बेरोजगार नहीं रहेंगे बल्कि उनकी इच्छा एवं क्षमता के अनुसार काम दिया जायगा जिस दिन सरकार इस बात की

व्यवस्था करेगी कि उनको सुरक्षित रूप में समाज में स्थान मिले, उसी से यह उछृंखलता दूर हो सकती है। असंतुष्ट अध्यापक को रखकर, चाहे वह प्राइमरी स्कूल का हो या किसी भी स्तर का हो, उनका वेतन कम रखकर, सरकार यदि यह समझती है कि वह शिक्षा का पूरा प्रबन्ध कर पावेंगे यह उचित नहीं होगा बल्कि यह एक बेकार प्रयास करना होगा।

हमारी मौजूदा शिक्षा नीति में ऐजूकेशनल प्लानिंग का पूरा अभाव है। हमारे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये। एक उचित प्लान हो, और उसी के अनुसार शिक्षा हो। दूसरी बात यह है कि शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध में विद्यार्थियों को कमेटियों में रखा जाय तो प्रबन्ध अच्छा चल सकता है और इससे अनुशासन में भी लाभ होगा। अगर मेरी स्मरण शक्ति ठीक है, तो इसी सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बार कृषि कार्य के संबंध में कहा था कि इसके जरिये वे स्कूलों को स्वावलम्बी होने की प्रेरणा देंगे। आज उन्होंने कहा है कि मैनुअल लेबर के प्रति आस्था का भाव हो, इसलिये वह कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ऊंची कक्षाओं में जाकर मैनुअल लेबर के प्रति घृणा पैदा होती है क्योंकि छोटी कक्षाओं में तो देहात के लड़के अपने घर का काम करते ही हैं। तो मैं चाहूंगा कि इधर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के लिये, जिसकी संख्या १४ करोड़ के लगभग आती है, शिक्षा मंत्री जी को बधाई देती हूं। मैं तो यहां तक कह सकती हूं कि अगर शिक्षा पर और भी अनुदान रख दिया जाता तो अच्छा होता। हमारे बच्चों के जीवन को बनाने के लिये शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। एक जन्म तो देते हैं मां बाप और दूसरा जन्म देती है शिक्षा। मां बाप के जन्म से भी अधिक महत्व शिक्षा द्वारा जन्म का है। हमारे जीवन को सबसे अच्छा बनाने के जो अच्छे मार्ग हो सकते हैं वे शिक्षा में अपनायें जाने चाहिये। जहां माननीय शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हो सकते हैं, वहां उनके ऊपर कुछ आलोचना करना भी आवश्यक है। वह एक ऐसे पद पर विराजमान हैं जहां से उन्हें अपने प्रदेश में लड़के और लड़कियों की शिक्षा को एक आंख से देखना चाहिये। लेकिन यह न होकर उनका स्वभाव सौतेली मां का सा लड़कियों की शिक्षा के साथ हो रहा है। मेरा अनुभव मुझे यह कहने पर विवश करता है कि वह लड़कियों की शिक्षा की अवहेलना करते हैं। हमारे मंत्री जी की विचारधारा यहां तक सीमित है कि लड़कियों को आधुनिक युग की शिक्षा देना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह इस आधुनिक युग के शिक्षा मंत्री हैं और अपने आपको इस आधुनिक युग के परिवर्तनशील कार्यों से संबंधित रखना चाहिये। प्राचीन युग के वे शिक्षा मंत्री होते तो उनकी यह विचारधारा अच्छी हो सकती थी। उनका शिक्षा में इस प्रकार भेद करना बहुत अरुचिपूर्ण हो सकता है और उनके इस पक्षपात से मेरे दिल को ठेस लगती है। मैं यहां पर एक अनुभव की चर्चा करना भी आवश्यक समझती हूं जिसके द्वारा मैं अपने जिले में ४ वर्ष के निरन्तर प्रयत्न से वहां एक राजकीय स्कूल चलाती हूं। उसमें अभी तक इन्टरमीडियेट क्लासेज खुलने के प्रयत्नों से मैं बंचित रही हूं। लड़कों के स्कूल में तो यह व्यवस्था कर दी गई है, तो वह लड़के और लड़कियों की शिक्षा में क्यों भेद करते हैं?

अब मैं दूसरी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि आज देहातों में सरकार की ओर से बिजली चमकाने की बात कही जाती है लेकिन उक्त संस्था में बिजली का भी अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। वहां पर कुछ टीचर्स रहती हैं जिन्हें गर्मी में किसी तरह से अपनी गुजर करना पड़ती है। शायद वे जिले में न होती तो अच्छा होता। यही नहीं, लखनऊ शहर में भी एक वीमेन्स ट्रेनिंग कालेज चल रहा है जिसमें भी यही हाल है। आज के इस विद्युतमय संसार में....

श्री हरगोविन्दसिंह––इसका प्रबन्ध हमने कर रखा है।

श्रीमती चन्द्रवती--तो अच्छा है। परीक्षा का जो हमारे देश में स्तर बनाया गया है मैं उसकी रीति से विरोध करती हूं। यह रीति बहुत ही दोषपूर्ण है, सारे साल विद्यार्थी क्लास में नहीं जाता और अपना जीवन बुरी चीजें सीखने में गुजारता है और वह परीक्षा के समीप होने पर यदि कुछ पढ़ लिया और सौभाग्य से जो उसने पढ़ा है वही परीक्षा-पत्र में आ गया तो पास हो गया। अवश्य यह उसके लिये सौभाग्य की बात हो सकती है। लेकिन मैं ऐसे परीक्षाफल को यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह उसकी मेहनत का फल है। इसलिये मैं यह चाहती हूं कि ऐसी परीक्षा पद्धति को हटा कर ऐसी परीक्षापद्धति रखनी चाहिये जहां विद्यार्थी के दैनिक कार्यों से परीक्षाफल निकाला जाय। इससे विद्यार्थी का जीवन ऊंचा उठ सकता है। उसके अन्दर कर्तव्य करने की भावना उठेगी और वह मेहनत भी करेगा।

अब दूसरी ओर एक और सुझाव की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, वह यह कि जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजों के जमाने से क्लर्क और नौकर पैदा करने के लिये अपनाई गयी थी उसको हमें आज बदलना है। हमें आज अपने देश के लिये भावी नागरिकों को बनाना है और वह कैसे बनने हैं उसी की तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिये। हमारे देश की आज मांग है कि हमारे विद्यार्थी स्कूलों से स्वावलंबी होकर निकलें।

इसके अतिरिक्त एक सुझाव मैं यह भी दूंगी कि प्रायमरी स्कूलों की शिक्षा को स्त्रियों के अधीन होना चाहिये। स्त्री टीचर्स वहां पर हों। अगर इस ओर ध्यान दिया जाय, तो मैं क्या, समय स्वयं ही आपको यह बतला देगा कि हमारे जो भावी नागरिक और हमारी जो संतानें हैं उनका चरित्र कहीं से कहीं ऊंचा हो जायगा, जो समय माता के द्वारा चरित्र बनाने का होता है उसमें माता ही भलीभांति सफल हो सकती है। यह वह समय है जब कि चरित्र का प्रथम पाठ सिखाया जाता है, और इस प्रकार वे चरित्र के प्रथम चरण का पाठ भी बड़ी सरलता से सीख जाते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात की तरफ और आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। वह यह कि आजकल जो शिक्षा दी जा रही है, और जैसा कि देश और प्रदेशों में जो आन्दोलन हो रहे हैं उनसे यह देखने में आता है कि हमारे यहां रोमियों जूलियट ही पैदा हो रहे हैं। जो चरित्र विद्यार्थियों का हमारे देखने में आ रहा है उससे हम अपने विद्यार्थियों को अच्छे विद्यार्थी नहीं कह सकते।

श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट में प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिये जो कदम उठाया गया है उसके लिये मैं सरकार को और खासकर शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। पहिला कदम तो यह है कि यहां प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क होने जा रही है वह चाहे ५७-५८ में ही क्यों न पूरा हो लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वह शीघ्र ही पूरा होने वाला है। दूसरे यह कि प्राइमरी स्कूलों के जो शिक्षक थे उनकी सालाना बढ़ोत्तरी की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले ली है। यह एक बड़ा भारी कदम है। इससे एक बड़े भारी गरीब वर्ग को राहत मिली है।

जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा की तरफ भी ऐसे ही ध्यान देने की जरूरत है। आज इस प्रदेश में काफी जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट मैनेजमेंट के अन्डर में चल रहे हैं। उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। वहां के शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है वह २०-२५ और ३० रुपया है। उन लोगों के पास रुपया भी नहीं है कि वे शिक्षकों को पूरा वेतन दे सकें। एक तो ऐसे स्कूलों को रिआर्गेनाइज

आपको करना पड़ेगा । जो स्कूल ठीक से नहीं चल रहे हैं या तो उनको बंद करना होगा या सरकार को उनकी सहायता करनी होगी जिससे वे उचित ढंग से चल सकें । जूनियर हाई स्कूलों के जो जे० टी० सी० अध्यापक हैं उनके वेतन के लिये कोई खास व्यवस्था नहीं की गयी है। उनकी तरफ भी सरकार को विशेष ध्यान देना होगा । अगर उनको ६० रुपया से तनख्वाह देना चाहते हैं तो सरकार को उनकी सहायता करनी होगी ।

इसके बाद मैं हायर सेकेन्डरी एजूकेशन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बहुत दिनों से यह सदन इंटरमिडियेट बोर्ड के अमेंडिंग बिल का इन्तजार कर रहा है । किन्हीं कारणों से उसके आने में देर हुई है जिसके कारण हाई स्कूल की जो प्रबंध समितियां है उनमें जो भ्रष्टाचार है वह बढ़ता ही जा रहा है । इंटरमिडियेट बोर्ड मान्यता देने में जो बेकायदी बरत रहा है वह बंद नहीं हुई। मैं तो एक ऐसे स्कूल को जानता हूं जो कि स्कूल नहीं था और उसको मान्यता मिल गई । जब डाक से मान्यता का कागज पहुंचा तो फिर स्कूल प्रारम्भ कर दिया गया । प्रतिस्पर्धा इन स्कूलों में चल रही है । एक स्कूल में एक बालक फेल होता है तो दूसरे स्कूल में अगले दर्जे में दाखिल कर लिया जाता है । इस को बन्द करना है । अगर हाई स्कूल ठीक तरह से नहीं चल सकते हैं तो सरकार को सोचना चाहिये कि उन्हें अपने हाथ में ले ले और जो स्कूल नहीं चल सकते हैं उन्हें बन्द कर दिया जाय, और जो ठीक से चल सकते हैं, उन्हें चलावें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि टीचर्स की तनख्वाह मुकर्रर करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि फिर से एक कमीशन मुकर्रर किया जाय जो कि हायर सेकेंडरी, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स के वेतन को ठीक से मुकर्रर करे । हायर सेकेंडरी स्कूल में जो इंटरमिडियेट के टीचर्स हैं वे नौकरी शुरू करने के ८ साल में अपने उच्चतम ग्रेड तक पहुंच जाते हैं । उसके बाद जीवन में उन्नति करने के लिये उनके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता। ऐसी सूरत में लगन से वह काम करें और उनके सामने कोई अच्छा रास्ता रहे तो यह सही है कि उनके ग्रेड को रिवाइज किया जाय । जो ग्रेड ट्रेंड ग्रेजुएट व बी० टी० सी० का है उसे भी रिवाइज करना है । मैं समझता हूं कि सरकार टीचर्स के वेतन को बढ़ाने के लिये उचित कदम उठाने के लिये कोई रास्ता बाकी न रक्खेगी चाहे हमें एजूकेशन के लिये कहीं से रुपया लेना पड़े । जब शिक्षक असंतुष्ट रहेगा तो शिक्षा ठीक से नहीं चल सकेगी ।

श्री हरगोविंद सिंह--श्रीमान, मुझे सचमुच बड़ा दुख है कि अधिकांश माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण यह अवसर नहीं मिल सका ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--मेरी दरख्वास्त है कि समय और बढ़ा दिया जाय, क्योंकि शिक्षा का मामला है। इतने कम समय में शिक्षा को खत्म कर देना अनुचित है । इसलिये एक घंटा और बढ़ा दिया जाय ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि शिक्षा को ५ बजे तक ले लिया जाय और अनुसूचित जातियों के लिये एक घंटा बढ़ाकर ७ बजे तक सदन का समय कर दिया जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवप्रसाद--उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय तो पहले ही निश्चित हो चुका है । ४ बजे के बाद अनुसूचित जातियों का अनुदान आने वाला है इसलिये समय ज्यादा बढ़ाना उचित न होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन का समय ७ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविंद सिंह--क्या निश्चय हुआ यह अनुदान कब तक चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--सात बजे तक सदन चलेगा और यह अनुदान ५ बजे तक चलेगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। जो प्रगति हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में हाल में दिखाई है वह सराहनीय है। जूनियर हाई स्कूलों में जो कृषि आदि की शिक्षा जारी की गई है और जो वहां बागवानी की शिक्षा का इंतजाम किया गया है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और इसके अलावा जो प्लानिंग शिक्षा में अब की जा रही है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देर आयद दुरुस्त आयद। उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी-बड़ी कमियां दिखलाई देती हैं उसके लिये हमें बड़ा खेद है और कहना पड़ता है कि हमारे देश में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लेकर प्रादेशिक सरकार तक किसी ने अभी तक यहां शिक्षा की नीति को निश्चित नहीं किया है, इस अनिश्चितता के लिये मुझे खेद है। सरकार को एक खास नीति अख्तयार करनी होगी और बहुत जल्द उसे इस अनिश्चितता को दूर करना चाहिये।

मुझे खेद है कि हमारे गढ़वाल में एक नार्मल ट्रेनिंग सेन्टर सरकार ने खोला है उसको अगर एक रिटायरिंग सेन्टर बना दिया जाय तो बेहतर होगा, क्योंकि जितने मास्टर वहां भेजे जाते हैं वह सब एक दो मास रहने के बाद रिटायर हो जाते हैं और यह रवैया है कि पहाड़ में खासतौर से ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिनको सरकार सजा देती है या तम्बीह करती है, उसको एक एसाइलम बनाना जो दोषी हैं प्रदेश भर के उनको वहां भेजना मैं समझता हूं कि इस तरह से पहाड़ के इलाके को इगनोर करना है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग का प्रबन्ध है उसमें भी बड़ी अव्यवस्था है और टीचर्स, जो टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट चाहते हैं उन को इलाहाबाद और लखनऊ जाना पड़ता है। यह ठीक नहीं है। हमें पावर्स का बटवारा डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला इंस्पेक्टर और रीजनल डायरेक्टर्स के बीच करना चाहिए और इस अव्यवस्था को खत्म करना चाहिये, इससे मैं समझता हूं कि जनता का हित होगा वर्ना लोग बड़े परेशान हैं और लखनऊ और इलाहाबाद के खर्च से वह दब गये हैं और लोगों का अहित हो रहा है। जहां तक कि उच्च शिक्षा का प्रश्न है उसमें मैं सरकार से मतभेद रखता हूं। देश के विकास के स्तर को देखते हुए हम उन चीजों का आवाहन कर सकते हैं, जो किसी समर्थ देश में हुआ करती हैं।

हम लोग बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिये इतने प्लान बना कर यूनिवर्सिटियां खोलने के लिए अपना मतदान करते हैं परन्तु जनता जो करोड़ों की तादाद में बेपढ़ी लिखी है। मैं चाहता हूं कि पहले सरकार का ध्यान उस जनता को शिक्षा देने की तरफ होना चाहिये जिसने उनको इस सदन में बिठाया है, जिसने उनको इन कुर्सियों पर आसीन किया है। यह हमारी जनता के प्रति बड़ा अन्याय होगा। मैं यह चाहता हूं कि जो प्राइमरी शिक्षा है इसको अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया जाय और बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। अगर हम गरीबों को छोटी से छोटी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो जनता ८५ और ९० फीसदी इस विस्तृत मुल्क में है तो हम क्या इन्तजाम कर सकते हैं? शिक्षा के हम अगुआ बनते हैं। हम शिक्षा के चौराहे पर जो खड़े हुए हैं इतने बड़े-बड़े लोग इस मुल्क में होते हुए भी केन्द्रीय सरकार में इतने बड़े-बड़े लोग होते हुए भी एक निश्चित नीति शिक्षा की नहीं बतला सकते

जो देश में लागू करना चाहते हैं। इसका क्या कारण है इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। हमारा एक गवर्नमेन्ट इंटर कालेज, पौड़ी में था उसको तोड़ दिया उसके लिए मैं पहिले गवर्नमेन्ट को बधाई दे चुका था।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, भूत पूर्व शिक्षा मंत्री अमेरिका भ्रमण करने के लिये गये और वापस आने पर बड़ी अच्छी शुभकामनाएं प्रकट की थीं। उन्होंने कहा था कि भगवान अगर मुझे छप्पर फाड़ कर रुपया दे दे तो अपनी प्राइमरी शिक्षा की हालत अमेरिका की तरह बना दूं। भगवान ने रुपया तो छप्पर फाड़ कर दिया, लेकिन हमारी प्राइमरी शिक्षा की हालत क्या है मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा।

अक्सर देखने में आता है कि देहातों में पचास फीसदी स्कूल खंडहर पड़े हुये हैं। पानी बरसा करता है। अध्यापक और बच्चे एक कोने में खड़े होकर समय बिताते हैं। पानी खत्म होने के बाद बच्चे अपने हाथों से पानी उलच कर कीचड़ में सन कर बैठते हैं। न बच्चों के बैठने के लिये टाटों का प्रबन्ध है और न अध्यापकों के लिए कुर्सी का प्रबन्ध है। यहां तक कि बच्चों के पानी पीने के लिये लोटा बाल्टी तक का प्रबन्ध नहीं है। जब प्यास लगती है तो बच्चे दरवाजे दरवाजे पर पानी के लिए घूमा करते हैं। यह देख कर कलेजा मुंह को आता है।

ऐसी सूरत में जब कि सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा लगा रही है वहां आज भी ग्रामीण अध्यापक ३५–४० रुपया पाता है। उसका जीवन पाप का जीवन है। सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी।

मान्यवर, स्कूलों में यह हालत है कि डिप्टी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर निरीक्षण करने जाते हैं। वह भली भांति जानते हैं कि किस अध्यापक से किस स्कूल की बहबूदी होगी। लेकिन जब तबादले का सवाल आता है तो यह इंतजाम चेयरमैन और मेम्बर करते हैं जो न शायद स्कूल पर गये होते हैं न उनसे अध्यापक परिचित होते हैं। होता क्या है? जिस अध्यापक से मेम्बर और चैयरमैन परिचित होते हैं वह तो करीब जगह पर रख दिया जाता है। लेकिन जो दूर रह रहा है वह हमेशा दुत्कारा जाता है। हमारा गाजीपुर एक गरीब जिला है। जहां पर २५ सौ हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, हर साल हजारों लड़के इंटरमीडिएट पास कर के निकलते हैं। लेकिन उनके लिए अगला दरवाजा बन्द है। गाजीपुर में कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। ऐसे जनतन्त्र में यह सरकार जो कि जनप्रिय सरकार कहलाती है और गाजीपुर में डिग्री कालेज का न होना इस सरकार के लिये कलंक की बात हो सकती है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे गाजीपुर में डिग्री कालेज के विषय में कुछ बात कहेंगे जिससे हमें शान्ति मिले।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान आज भवन के सम्मुख शिक्षा मंत्री ने उपस्थित किया है वह अनुदान हमारे देश की, समाज की और राष्ट्र की उन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये है, जो राष्ट्र निर्माण के कार्य करने के लिये किसी भी देश को पूरी करनी पड़ती हैं। आज का नौजवान कल का राष्ट्र का नायक, कल का राष्ट्र का अगुवा होगा और हम इस बात को देखते हैं कि और इस बात को समझते हुए अपनी शिक्षा पद्धति की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऐसा दिखलायी पड़ता है कि निरंतर सन् १९४६ से अब तक शनैः शनैः हम सीढ़ी ब सीढ़ी उस दिशा की ओर गये हैं जहां की ओर जाकर हम अपने देश में उस जनतंत्र की प्रणाली को, उस नये समाज की रचना को

[श्री हेंमवतीनन्दन बहुगुणा]

सम्पूर्ण रूप से ला सकते हैं और लाने का प्रयास करते हैं जिससे हमारे देश में न केवल भौतिक सुखों का आभास और उन्नति में हम पूर्णतया सफल होंगे बल्कि वहां हम मानसिक चेतना को बढ़ा कर मनुष्य के नाते मनुष्य को मनुष्य बनाने में सफल होंगे।

श्रीमान्, मैं दो एक बातें मौलिक रूप से शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आप के द्वारा श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि हमारी शिक्षा संस्थायें जिनमें आज जो शिक्षा दी जा रही हैं यह निश्चय ही, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ माने में अपूर्ण सी है, क्योंकि हमारे अध्यापक वर्ग को, जो जगह-जगह नये-नये स्कूल खुल रहे हैं, उसमें जिन लोगों को अध्यापन का कार्य दिया जा रहा है, वे उसके योग्य नहीं हैं। विभाग को अवश्य इस ओर ध्यान देना होगा कि जो शिक्षण संस्थायें हर साल बढ़ती जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो कि प्राइवेट कमेटियों के मातहत काम कर रही है, जो जन सेवा के नाते इस कार्य को शुरू करते हैं, उनके लिये कोई रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिये, जिससे टीचिंग स्टाफ का स्तर उठाया जा सके। मुझे खुशी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थोड़ा बहुत कार्य इस तरफ करने की योजना है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जो आपका जिला निरीक्षक का स्टाफ है, डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स हैं, वह आपने काफ़ी बढ़ाये, मैं यह मानने को तैयार हूं, फिर भी बहुत सारे स्कूल हैं जिनका इंतजाम ठीक नहीं है और यह ऐसा है जिला निरीक्षकों के फंसे हुये हाथों की वजह। हमारे इलाहाबाद के जिले में एक बदकिस्मत स्कूल है उसका जिक्र आज करना चाहता हूं। कर्मा में सुभाष महाविद्यालय नाम का एक स्कूल है आप ने उस को ऐग्रीकल्चर की शिक्षा के लिये कुएं की मदद दी थी। आपने बैलों के खरीदने के लिये पैसा दिया, जमीन उसकी अपनी थी। जमीन बिक गयी, बैल का पता नहीं, कुएं की तकावी का पता नहीं और वहां की मेनेजमेंट कमेटी मनमाना खेल उस स्कूल के विद्यार्थियों के जीवन और स्कूल के साथ कर रही है और सारे क्षेत्र मे बेचैनी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान दे और इस तरह के जो गलत मैनेजमेंट में स्कूल पड़ जाते हैं उनको उठाने के लिये कोई विशेष, यदि आवश्यकता हो तो मंत्री जी विधेयक द्वारा या किसी दूसरी तरह से ऐसी सोसाइटियों के चलाने वाले, जिनको स्कूल से कोई प्रेम नहीं, उससे कोई सम्बन्ध नहीं, जो स्कूल की उन्नति की तरफ कतई तवज्जह नहीं देते, उन पर कुछ कब्जा रख सकने की शक्ति अपने हाथ में लें। पारसाल इस स्कूल को कुछ दिनों तक ग्रान्ट बन्द रही। लेकिन ग्रान्ट फिर मिल गई और मिलने के बाद कहां कितना पैसा लगा है इसका कोई पता नहीं आपस में मुकदमेबाजी होती है। मैं यह नहीं कहता कि वही ऐसा अकेला स्कूल है, और भी हो सकते हैं, जिनकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी ऐसी संस्थाओं को डिपार्टमेंट के ऐडमिनिस्ट्रेशन में लेने की ताकत अपने डिपार्टमेंट में ले आयें।

जहां तक शिक्षा देने की पद्धति का सम्बन्ध है वह एक बड़ा विवादग्रस्त प्रश्न है। यहां मैं सिर्फ संकेत मात्र कर देना चाहता हूं कि जो आज की शिक्षा की प्रणाली है उस में जो वार्षिक इम्तहान का स्थान है उसको बदलना होगा। कम से कम मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हर महीने में विद्यार्थियों का एक इम्तहान हो और एक ऐग्रीगेट मार्किंग साल के आखिर में उनको मिले। इसके अलावा २५ प्रतिशत उनके व्यक्तिगत चाल चलन के ऊपर रखा जाय ताकि उनके लिये जितनी आवश्यकतायें हैं अच्छे राष्ट्र-नायक बनने के लिये, अच्छे राष्ट्रसेवक बनाने के लिये, वह सभी बातें उस में हों और इसी के बुनियाद पर वह उत्तीर्ण हों। मैं अब ज्यादा न कह कर एक दूसरे स्कूल की ओर उनका ध्यान दिलाऊंगा। मेरा मतलब गढ़वाल में एक जगह देव प्रयाग है वहां के एक स्कूल से है जिसका नाम है आर० के० हायर सेकेन्डरी स्कूल, देव प्रयाग, उसको टेहरी गढ़वाल में जो स्टेट थी उस ने वायदा किया था कुछ रुपया पैसा देने के लिये। माननीय मंत्री जी की सेवा में शायद वह लोग उपस्थित भी होने वाले हैं, या हुये हैं.....

श्री हरगोविंद सिंह--अब तो दे दिया उनको।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा––१ हजार सालाना बाकी है। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी उसे भी दे कर अनुगृहीत करेंगे। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि विलीन स्टेटों ने जो आर्थिक सहायता वगैरह देने का वचन ऐसी संस्थाओं को दिया था वह वचन सरकार को हमेशा पूरा करना चाहिये, क्योंकि अगर सरकार वह वचन पूरा नहीं करती तो लोगों की निगाह में उस की कदर गिरती है। इन शब्दों के साथ जहां मैं उनके बड़े बजट के लिये उनको मुबारकबाद देता हूं वहां मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ आमूल परिवर्तन इम्तहानों के सम्बन्ध में करने की कृपा करेंगे।

श्रीमती ब्रजरानी मिश्र (जिला कानपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस बजट के लिये माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने प्राइमरी स्कूलों को एक और डेढ़ मील की दूरी पर सारे प्रान्त में खोलने का प्रबन्ध किया है, जो कि जनतंत्र राज्य में सब से बड़ी आवश्यकता है ताकि हर एक इन्सान शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके लिये मैं हृदय से शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। इसके साथ ही साथ मैं थोड़े से सुझाव भी देना चाहती हूं क्योंकि जहां लड़कों के लिये इतनी बड़ी संख्या में इस साल एक हजार स्कूल खुलेंगे, वहां लड़कियों के लिये खुलने वाले स्कूलों की संख्या बहुत कम है। मैंने देखा कि जहां पूरे प्रान्त में जूनियर हाई स्कूल २६ लड़कों के लिये खोले जा रहे हैं वहां लड़कियों के लिये हैं केवल नौ। तो मैं यह एक निवेदन करना चाहती हूं कि जब हमें एक बार का अधिकार समान अधिकार है, पूरे देश के रहने वाले बराबर माने गए हैं तो हमारे वही अधिकार होने चाहिये। मैं तो ऐसा सोचती हूं कि अगर हमारी बहनें पूरी शिक्षित हों जायंगी तो समाज का वह बहुत बड़ा काम कर सकेंगी और राष्ट्र-निर्माण में बहुत बड़ी मदद कर सकेंगी। जैसा कि चन्द्रवती बहन जी ने कहा मैं उस से पूरी तरह सहमत हूं कि प्राइमरी शिक्षा बहनों के द्वारा ही होनी चाहिये। सही बात है कि छोटे-छोटे बच्चों को मां ही भली-भांति शिक्षा दे सकती है और वही उनका पालन पोषण कर सकती है। पुरुषों से यह नहीं हो सकता है और नहीं होगा। मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं कि अगर शिक्षा का प्रबन्ध अच्छी तरह से पूरा हो तो आज जो बेकारी और तमाम परेशानी है देश में, उसे दूर होने में देर नहीं होगी। क्योंकि आज जिस वक्त हम यह अनुमान करते हैं कि हमें ट्रेंड अध्यापिकायें चाहिएं, हमें आज मिडवाइफ़ की ज़रूरत है, हम स्वास्थ्य मंत्री से कहते हैं कि हमारे जिले में एक नर्स की ज़रूरत है, हमारे यहां मैटरनिटी होम खोल दीजिये, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जवाब देते हैं कि क्या करें? लड़कियां तो तैयार नहीं होती हैं मिडवाइफ़री सीखने के लिये। तैयार वे कहां से हों? हमारे पास वे सुविधायें नहीं हैं जो हम शहर में जा कर शिक्षा पा सकें और मिडवाइफ़ के योग्य हो सकें। मिडवाइफ़री के लिये लड़की की योग्यता हाई स्कूल या कम से कम नियर हाई स्कूल की होना लाज़िमी है। अगर वह इतनी पढ़ी नहीं है तो कुछ सीख ही नहीं सकती है। मैं स्त्रियों के लिये नहीं चाहती हूं, मैं तो कहती हूं कि सारे समाज के लिये आप बराबर का प्रबन्ध करेंगे जिनमें लड़के, लड़कियों को एक सी सुविधा हो तो कोई कारण नहीं है कि हमारे राष्ट्र एवं समाज की उन्नति न हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां लड़कों के लिये जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल में कृषि का प्रबन्ध किया गया है, वहां मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं और उनसे जानना चाहती हूं कि क्या लड़कियों के लिये भी कोई ऐसा प्रबन्ध है कि वे भी कोई ऐसी शिक्षा प्राप्त कर स्वावलम्बी बन सकें। अगर अभी तक ऐसा प्रबन्ध नहीं है तो वह होना चाहिये ताकि लड़कियां भी कुछ दस्तकारी शिक्षा पाने के साथ-साथ सीख सकें. ताकि अगर वे किसी की नौकरी भी न करें तो घर में ही बैठ कर कम से कम जो सिलाई वगैरह में पैसा बाहर जाता है। वह बचा सकें। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करती हूं।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सवेरे से शिक्षा विभाग के ऊपर बहस हो रही है। मेरी बहुत सी बहनें, जो मेरे से पहले बोलीं, उन्होंने बच्चियों की शिक्षा की ओर अपनी सरकार का ध्यान खींचा। बच्चे भी हमारे हैं और बच्चियां भी हमारी हैं, क्योंकि स्त्री तो मां होती है। उनके लिये लड़के और लड़कियां बराबर होती हैं। इसी तरह से कोई भी सरकार प्रदेश या देश में हो उसका मां का दर्जा होता है। आज अगर स्त्री शिक्षा की ओर यह सरकार पूरा ध्यान नहीं देगी तो याद रखो कि पुरुष जाति भी शिक्षा नहीं पा सकती है। पहली शिक्षा जो बच्चे को मिलती है वह मां की गोद में ही मिलती है। बहन ब्रजरानी जी ने जैसा कहा, आज टीचर्स के लिये, मिडवाइफ़ के लिये हमें लड़कियाँ शिक्षित नहीं मिलती हैं। अगर थोड़ी संख्या में शिक्षा पाने वाली बच्चियां मिल भी जाती हैं तो वे मिडवाइफ़ बन कर या ग्राम सेविका की ट्रेनिंग ले कर देहातों में काम करने में असफल होती हैं, क्योंकि उनका जीवन शहरी जीवन होता है और देहात में वे अपने आप को किसी तरह भी फिट नहीं कर पातीं। अभी पिछले दिनों मुझे तीन दफ़ा ऐडवर्टाइजमेंट करना पड़ा कि मिडवाइफरी की शिक्षा हम निःशुल्क देंगे, उस पर पूरा खर्च हम करेंगे, लेकिन कोई भी लड़की मुझे अपने प्रदेश में इस वक्त तक नहीं मिल सकी जो अंग्रेजी के साथ मिडिल पास हो। क्या हम अपने प्रदेश का सुधार करेंगे, क्या हम स्त्रियों का सुधार करेंगे जब देहातों के अन्दर आज हमें एक दायी भी नहीं मिल पाती? जब हमें देहात के अन्दर अक्षर ज्ञान देने के लिये स्त्री टीचर्स नहीं मिल सकती हैं तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि यदि वह प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं तो देहात की लड़कियों के लिये शहर में ही प्रबन्ध करें। अगर सरकार में कमजोरी है और देहातों में शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकती है और धन के अभाव से नहीं कर सकती है तो शहरों में ही स्कूलों के अन्दर होस्टल कायम करे और उनमें उनके रहने सहने का उचित प्रबन्ध होना चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का कल्याण हो, स्त्री और पुरुषों का कल्याण हो और बहुत सी मुसीबतों से हम छुटकारा पा सकें तो मेरा नम्र निवेदन है कि स्त्रियों को उचित शिक्षा दी जाय।

मुझे खुशी है कि आज जो शिक्षा विभाग के लिये बजट रखा गया है वह कहीं ज्यादा है और बहुत से नये स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसके लिये मैं सरकार को बधाई दिये बिना नहीं रह सकती। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन किये बिना नहीं रह सकती हूं कि यदि हमने लड़कियों को उचित शिक्षा नहीं दी और उनको इस योग्य नहीं बनाया कि वह देहातों में जाकर सेवा करें, तो इस प्रदेश में जो ८०, ८५ प्रतिशत जनता रहती है उसको इगनोर किया गया, तो मैं समझती हूं कि हमारे प्रदेश का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूं और आशा भी करती हूं कि इस ओर पूरा ध्यान दिया जायगा। और कहीं से धन खींच कर स्त्री शिक्षा की ओर क़दम बढ़ाया जायगा।

एक शब्द और कहना चाहती हूं जैसा कि मेरी बहिन चंद्रावती ने कहा कि प्राइमरी शिक्षा अच्छी होनी चाहिये। अगर हमारी सरकार यह नियत रखे कि हमारे बालकों को अच्छी शिक्षा मिल सके तो प्राइमरी शिक्षा स्त्रियों द्वारा बालकों को दिलायी जाय जिससे वह आगे चलकर अच्छे साबित होंगे और साथी ही साथ अनुशासन भी सीखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनको फिर से बधाई देती हूं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास में हमने बहुत बड़े आदमियों का नाम पढ़ा : और अशोक महान से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और हम ने मुहम्मद तुगलक का नाम भी पढ़ा है और इससे प्रेरणा हमारी सरकार और शिक्षा मंत्री जी लेते हैं। शिक्षा का यह हाल है कि पहले बेसिक, नान बेसिक और फिर बेसिक, यह हमारी मौजूदा सरकार की शिक्षा की नीति है। माननीय झारखंडे राय ने कहा था कि सरकार की कोई शिक्षा नीति नहीं है, इस सरकार की हर दशा में वही नीति है कि चार कदम चले और फिर वापस आये और फिर चले।

शिक्षा मंत्री जी ने अपनी तकरीर में शिक्षा की बड़ी सुन्दर तस्वीर खींची कि राज्य शिक्षा की ओर बड़ी तेजी से कदम उठा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम सरकारी आंकड़ों को ही देखें जो सही नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनको सही भी मान लें तो पता चलेगा कि इस प्रदेश की रफ्तार कितनी तेजी के साथ शिक्षा के सम्बन्ध में चल रही है। यदि हम स्कूलों और विद्यार्थियों की संख्या १९५२–५३ में देखें और उसका मुकाबला ५४–५५ से करें, स्कूलों की संख्या बराबर है और विद्यार्थियों की संख्या गिरती जा रही है, यह बढ़ती हुई शिक्षा की तस्वीर है या शिक्षा की दुर्गति की तस्वीर है।

श्रीमन्, आज सरकार का एक और कहना यह है कि स्कूलों में डिसिप्लिन घटता जा रहा है और स्कूलों और कालेजों में राजनीति बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी ओर हम देखें कि सरकार यूनिवर्सिटी में कहां तक हस्तक्षेप करती है। हमने और आपने सभी ने देखा है और रोज देखते हैं कि जो कालेज हैं, स्कूल्स हैं, या प्राइमरी स्कूल्स हैं उन सब में क्या हालत है। यूनिवर्सिटी में राजनीति पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है जहां के क्षात्र कुछ पढ़े लिखे हैं और राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले हैं। ऐसी जगह तो राजनीति पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश होती है, लेकिन प्राइमरी स्कूल्स में या दूसरे स्कूल्स में जहां पर राजनीति के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, समझ भी नहीं सकते, उनसे बराबर चुनाव में काम लिया जाता है। मैंने अपने जिले में भी देखा, रामनगर में देखा और हर दूसरी जगह भी कि उनसे काम लिया जाता है। तो यह दो जबान से बोलने वाली सरकार इस तरह से काम करती है। तहसील फतेहपुर, बाराबंकी जिले में भी यही बात नजर आई।

इसी प्रकार हमने १५ लाख की फीस माफ करने की बात की है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कांग्रेसी सरकार ने और कांग्रेसी नेताओं ने यह वायदा किया था कि दस वर्षों के अन्दर हम प्राइमरी एजूकेशन निःशुल्क कर देंगे। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस १५ लाख की छूट से क्या होने वाला है। पहले प्राइमरी एजूकेशन में स्कूलों में फीस दो पैसे थी, चौथे दर्जे की फीस ५ या ६ पैसा थी, आज उनकी फीसें एक आने से दो आने तक हैं। इस तरह से आप इस १५ लाख की सुविधा देने के बाद अपनी पुरानी जगह पर फिर आ जायंगे और लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं होगी।

सरकार ने एक और सुविधा देने की कोशिश की कि सौ रुपये तक पाने वाले सरकारी नौकरों के बच्चों को हायर सेकेन्डरी एजूकेशन में या जूनियर हाई स्कूल क्लासेज में कुछ सहूलियतें मिलेंगी। कुछ नीति का पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। कोई नीति है या रात में सपना देखा और उसके मातहत सुबह में काम कर डाला। इस सिलसिले में सरकार का पुनीत कर्त्तव्य यह था कि वह यह घोषणा करती कि जिसकी आमदनी सौ रुपया या उस से कम है, भले ही वह व्यवसाय करता हो या कोई दूसरी नौकरी करता हो या उसका और कोई जरिया आमदनी का हो, उन सब के बच्चों को यह सुविधा मिलेगी। लेकिन ऐसी कोई बात तो हमें इसमें प्रतीत नहीं होती।

इसके बाद स्कूलों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज उनके पास इमारतें नहीं हैं, डिस्पेरिटी चलती है, तनख्वाहों में। बी० टी० सी० और जे० टी० सी० की तनख्वाहों में बड़ा फर्क है। यहां तक कि टीचर्स में आपस में फर्क है। शिक्षा के क्षेत्र में पक्षपात इस कदर बढ़ रहा है कि कुछ कहा नहीं जाता। मै इसका एक ही उदाहरण देना चाहता हूं आपकी आज्ञा से कि एग्रीकल्चर कालेज कानपुर में एक अध्यापक हैं श्री मातादीन। वह एम० एस० सी० क्लासेस को पढ़ाते हैं और स्वयं शायद इस बार एम० एस० सी० कर रहे हैं और जिस जगह पर वह नियुक्त हैं उस जगह के लिये अभी तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्ष से शायद यह आशा की जा रही है और सरकार बाट जोह रही है कि कब वह सज्जन फाइनल कर लें उसके बाद उस जगह को एडवर्टाइज कर के उन्हीं को उस जगह

[श्री रामसेवक यादव]

पर नियुक्त कर लिया जाय। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की राजनीति और पक्षपात है तो इससे यह आशा कतई नहीं की जा सकती कि यह राज्य आगे बढ़ सकेगा और जो शिक्षकों की जिम्मेदारी है—देश को अच्छे नागरिक बना कर देना—वह उसे पूरी तरह से निभा सकेंगे। इसलिये श्रीमन्, मैं यह जो कटौती का प्रस्ताव है इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह कटौती का प्रस्ताव पास हो जाय।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो अनुदान आज भवन के सामने उपस्थित किया गया है उस का अनुमोदन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। इस अनुदान का शिक्षा का विषय, जिससे कि मनुष्य बनता और बिगड़ता है, और बहुत ही गंभीर है। इस समय हमारा देश आजाद हुआ है और देश की प्रगति से हमारी शिक्षा का जो स्तर ऊंचा हो रहा है वह स्तुत्य है, वह तारीफ के काबिल है, क्योंकि एक दिन में हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो कि सदियों का मैल जो जमा हुआ है उसको हटा सकें। हमारे देश को आजाद हुए अभी थोड़े दिन हुए किसी तरफ अभी तक ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सके हैं कि जिससे हमारे देश की आज जो मांग है वह पूरी हो सके। क्योंकि हर चीज के लिये पैसे की जरूरत होती है। आज हम क्रमशः देखते आये हैं कि हमारा बजट धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। हम आशा करते हैं कि इसी तरह से अगर यह बढ़ता रहेगा तो हम जनता की मांग को पूरा करते जायेंगे। शिक्षा का प्रसार भी ज्यादा अच्छा हो जायगा इसमें शक नहीं है। अभी शिक्षा के प्रसार में हमको कदम आगे बढ़ाना है। अभी पूरी मंजिल तो बहुत दूर है। अभी तो देश में हम स्त्री शिक्षा के लिये श्री गणेश ही समझते हैं। मैं इस बात को कहूंगी कि जहां पर ३ फीसदी था वहां ९ फीसदी हो गया है। यह बड़ी किस्मत की बात है इस महिला जगत के लिये लेकिन साथ-साथ हमारी जो मांग है वह तो होनी ही चाहिये। अगर हम चुप बैठ जायेंगे तो बिना रोये तो लड़का भी दूध नहीं पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह अपनी उदारता दिखायें और इस दिशा में कुछ आगे और बढ़ाते रहें।

दूसरी बात यह है कि हर साल किताबें बदलती रहती हैं। इससे गरीब लड़कों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। कोर्स को ऐसा बनाया जाय कि जो आज पढ़ता है दूसरे बच्चे उनकी किताबों को पढ़ सकें और वह उनकी किताबों को इस्तेमाल कर सकें। हर शख्स इस कोर्स बदलने से परेशान होता है गरीब जनता कहां से पैसा लाये। दूसरी बात यह भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब बहुत बड़ी क्रांति आ गयी है। हर शख्स चाहता है कि वह अपने बच्चों को पढ़ाये, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिलती है, जिसके लिये वह परेशान हैं। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय इतनी मेहरबानी करें कि जो कुछ उनको सुविधा दे सकें दें। शिक्षा के स्तर को भी ऊंचे करने की आवश्यकता है। आज कल शिक्षा का स्तर ऐसा है कि दसवीं कक्षा पास लडका एक दरख्वास्त भी नहीं लिख सकता है। अंग्रेजी तो अभी है ही, उसका अभी इतना महत्व तो नहीं रहा, लेकिन जो भी विज्ञापन निकलता है नर्स के लिये या किसी ट्रेनिंग के लिये कि कम से कम आठवीं पास तो होना ही चाहिये। इस दिशा में जो ग्रामीण बहनें होती हैं, उनको बड़ी कठिनाई होती है। वह गांव में रह कर पढ़ नहीं सकती हैं। यदि गांव में कोई ऐसी सुविधा हो जाय जिससे वह अंग्रेजी थोड़ी बहुत गांव में पढ़ सकें, तो उनके लिये कुछ सुविधा हो जाय और परीक्षा के कम्पीटीशन में बैठ सकें। लेकिन शहरों में रह कर तो उनके लिये पढ़ना मुश्किल है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगी कि जो बहनें गरीब हैं उनको कुछ छात्रवृत्ति दे कर ऐसी सुविधा दी जाय जिससे वह इंग्लिश पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें।

दूसरी बात यह है कि ग्रामों में अभी तक स्कूल का निर्माण होने का बहुत काफी काम पड़ा हुआ है। वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल हैं, वह तो ऐसी हालत में पड़े हुये हैं जिनको मैं यहां बता नहीं सकती हूं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगी कि जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल हैं वह सब सरकार ले ले और अपने विभाग से उनका प्रबन्ध

कराये । अब ऐसा है कि कुछ सरकार पैसा देती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देते हैं और कुछ म्युनिसिपल बोर्ड देता है । एक मालिक न होने की वजह से बड़ी भारी दिक्कत रहती है ।

एक और बात यह है कि कम से कम स्त्री शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाय, क्योंकि गांव में मां बाप इस बात से संकोच करते हैं कि लड़की को पढ़ायें । वह समझते हैं कि लड़का तो पढ़ जायगा तो वह उनको कमा कर देगा, लेकिन लड़की पढ़ेगी तो वह तो पढ़ कर अपनी ससुराल चली जायगी । इसलिये लड़कियों को वहां पर पढ़ाते हुये लोग संकोच करते हैं । शिक्षा के लिये लोग वहां पर वैसे बहुत उत्सुक हैं कि उनको पढ़ाया जाय, लेकिन उनके लिये सुविधा न होने की वजह से मुश्किल होती है । हमारी लड़कियां ऐसी अशिक्षित नहीं रहनी चाहिये जैसे कि हम लोग मूर्ख रह गये और न पढ़ सके । अब भी लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते संकोच करते हैं तो इसलिये यदि आप अनिवार्य शिक्षा कर देंगे तो उन्हें पढ़ाना होगा और पढ़ी लिखी औरतों के द्वारा राष्ट्रनिर्माण बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगा । मैं गांवों में जाती हूं और स्त्रियों से कहती हूं कि तुम अपना नाम बताओ ताकि वह वोटर्स लिस्ट में लिखा जाय तो वे शर्म के कारण संकोच करती हैं और नहीं बताती हैं । हमारी १०० में ९९ बहनें ऐसी हैं जो अपना नाम बताने में संकोच करती हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि वह इधर ध्यान दें, ताकि देश का स्तर ऊंचा हो और समाज आगे बढ़े ।

*श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं इस अनुदान का जो १४ करोड़ के लगभग शिक्षा मंत्री जी ने मांगा है हृदय से समर्थन करता हूं । मुझे बहुत हर्ष है कि दिन प्रति दिन शिक्षा का बजट बढ़ता जा रहा है । मैं खास कर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इन्डो-टिबेटन बार्डर की ओर दिलाना चाहता हूं जिनको उन्होंने आज सब से पहले देखा है और कुछ रुपया वहां के स्कूल खोलने के लिये रखा है । वहां के लोग बेपढ़े हैं और भले ही मनुष्य का रूप धारण किये हैं, लेकिन जानवरों की तरह उनकी जिन्दगी चलती है । ज्ञान की बात उनके समाज में कोई होती ही नहीं । वहां की गरीबी का भी सरकार को ख्याल करना चाहिये । वहां मुश्किल से १, २ परसेन्ट लोग ऐसे हैं जो बाहर भी भेजकर अपने बच्चों को नैनीताल या अल्मोड़ा में भेज कर शिक्षा दे सकते हैं मगर बाक़ी लोग ऐसे हैं , जो भेंड़ें ले कर इधर उधर घूमकर अपना जीवन चलाते हैं, और बच्चों की शिक्षा का भार नहीं सह सकते । उनके लिये निःशुल्क शिक्षा तो होनी ही चाहिये मगर साथ में किताबों इत्यादि की सुविधा जैसे यहां कुछ लोगों को होती है । होनी चाहिये । उनकी आजकल की जिन्दगी को यदि वैगैबान्ड की सी कहा जाय तो भी ठीक होगा, क्योंकि शिक्षा की ओर उनका ध्यान नहीं है और वे घूमते रहते हैं अपनी भेड़ों के साथ । उनके लिये आप जहां स्कूल खोलने जा रहे हैं तो एक क़दम और आगे बढ़िये और वह है उनकी फीस माफ करना और किताबों इत्यादि को देना, ताकि वे लोग शिक्षा की ओर आकर्षित हो सकें । इस एकेडैमिक क्वालीफ़ीकेशन के अलावा उनके लिये कोई हार्टीकल्चर की या कारोबार की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि वे लोग अपनी रोजी कमाना सीख सकें । मुझे खुशी है कि बहुत से सदस्यों ने सरकार का ध्यान स्त्री-शिक्षा की ओर आकर्षित किया है, मैं भी इस बात का हामी हूं कि जब तक स्त्रियों का समाज पुरुषों के साथ नहीं रहेगा तब तक सारा समाज प्रगति नहीं कर सकता है । खास कर जब कि एडल्ट फ्रैन्चायज, (बालिग़ मताधिकार) हमने कर दिया है तो स्त्रियों की राजनीतिक चेतना भी होनी चाहिये और यह शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है । पर्वतीय भाग में स्त्री-शिक्षा केवल नाममात्र के लिये ही है । वहां लड़कियों के स्कूल इतने थोड़े हैं कि वे उंगलियों पर गिने जा सकते हैं । इसके अलावा पिछड़े लोगों के लिये और हरिजनों के लिये भी उचित शिक्षा का प्रबन्ध वहां होना चाहिये । जो सुविधायें सरकार यहां उन लोगों के लिये दे रही है वे पर्वतीय प्रदेश में नहीं मिल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

रहीं हैं। मुझे अपनी कन्स्टीट्यूयेंसी कर पूरा ज्ञान है कि वहां कोई स्कालरशिप या किताबों की सुविधा नहीं है। वहां का सारा समाज ही पिछड़ा हुआ है, तो हरिजनों का भी कोई स्थान नहीं है। उनकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी उनका स्तर ऊंचा होगा।

एक बात और है जो विषयान्तर तो नहीं होगा। मैं मंसूरी नैनीताल इलाके में काफी रहा हूं और वहां के यूरोपियन स्कूलों की शिक्षा को मैंने निकट से देखा है। वहां आयरलैंड से ब्रदर्स और सिस्टर्स आ कर मिशनरी स्प्रिट से शिक्षा देते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से देते हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से पूर्णरूप से सहायता जैसे पहले मिलती थी वैसे मिलनी चाहिये भले ही उनमें हमारे अधिक बच्चे शिक्षा न पाते हों। उनको डिसकरेजमेन्ट नहीं मिलना चाहिये। उन लोगों की बड़ी इच्छा है कि वे हमारे देश की सेवा करें और हमारे बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दें, जैसी कि विदेशों में दी जाती है। उन पर अवश्य फ्री विद्यार्थी अधिक खर्चा करना पड़ेगा, परन्तु वह करना चाहिये। वह करने योग्य है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इधर ध्यान देगी और उन्हें पहले की तरह सहायता देगी।

*श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो चिन्तित था कि कल शायद दिन भर उठते-बैठते और आज भी मुझे, मौका मिलेगा या नहीं। ५ बजने में करीब ३५ मिनट रह गये हैं, मैं शिक्षा मंत्री जी से शिकायत करना चाहता हूं कि वह कान खोल कर सुनें। आज आप की जिम्मेदारी बहुत अधिक है। आज करप्शन की जिम्मेदारी बुरे इन्स्टीट्यूशन्स पर है और आप का कर्त्तव्य है कि आप उन्हें बन्द करें। उन्हें आप कन्ट्रोल में रखिये। जितने भी प्रिन्सिपल रखे जावें, ५० बरस की उम्र से कम कोई नहीं होना चाहिये। आज २८, २८ और २७-२७ बरस के नौजवान प्रिन्सिपल बने बैठे हैं, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है कि हमारी व्यवस्था क्या होनी चाहिये। अध्यापक जितना सीधा हो उतना ही उत्तम होता है। आज शिवा जी ऐसे लाल पैदा करने के लिये जीजाबाई जैसी मां होने की आवश्यकता है। मैं इसमें अपनी बहनों से सहमत हूं क्योंकि फारेन देशों में जेनेवा और क्यूबा में स्त्रियां शिक्षा पाती हैं। वाकई हंसने की बात नहीं है। मैंने स्वयं यह देखा है और मैं वहां हो कर आया हूं। मैं विरोधी दल के लोगों से भी कहता हूं कि आप पढ़िये तब आप को मालूम होगा कि सही बात क्या है। मैं माननीय राजनारायण की बात से सहमत हूं, शिक्षा मंत्री जी उस ओर ध्यान दें। हमारे प्राइमरी स्कूलों के नीचे जमीन और ऊपर आसमान है। छत नहीं है, बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। ३--३ महीने पीछे अध्यापकों को तनख्वाह मिलती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से इस शिक्षा को ले लीजिये। सारा समाज आप के साथ होगा। कांग्रेस पार्टी को कोई रोकने वाला नहीं है, सब लौट कर आयेंगे। सब शिक्षक और विद्यार्थी आप के साथ होंगे। दूसरे साल पूरी प्राइमरी शिक्षा फ्री कर दी जायगी ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया। लेकिन हमें आशा थी कि वह इसी साल हो जायगी जब ऐसा हो जायगा तभी सोशलिस्ट पैटर्न की सफलता समझिये।

हमारे यूनिवर्सिटीज में डिसिप्लिन बहुत खराब हो रहा है। मेरी सलाह है कि वहां न सोशलिस्ट जायं, न कांग्रेस वाले जायं, तब सब एक दम ठीक हो जायगा। वहां पर तो अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिये। इन बातों से उनको क्या मतलब? तब वहां से जवाहरलाल और पंत जैसे लोग निकलेंगे। राजनारायण जी भी निकलेंगे। आप सभी लोग यूनिवर्सिटीज से आये हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज आदर्श यूनिवर्सिटीज हों। शान्ति निकेतन की भांति हमारी यूनिवर्सिटीज हों।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गोरखपुर में यूनिवर्सिटी खोली है। जुलाई से पहले ही वह खोल दी जाय ताकि हम वहां एडमि-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शन ले सकें। पड़ोस में डिग्री कालेजेज भी होने चाहिये। उस के पड़ोस में बस्ती है। वह बड़ा क्षेत्र है। वहां पर सिर्फ दो लाख रुपये की जरूरत है जब सरकार ९०–९५ लाख रुपया खर्च कर रही है तो उसके लिये दो लाख दे दिये जायं तो क्या बड़ी बात है। हमारे लड़के और लड़कियों को लखनऊ और इलाहाबाद आना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो ढाई तीन सौ के करीब अध्यापक टेम्पोरेरी काम कर रहे हैं उनको परमानेन्ट किया जाना चाहिये। टीचर्स के लिये उचित स्थान का प्रबन्ध होना चाहिये। इलाहाबाद और लखनऊ में प्रोफेसर्स के ठहरने के लिये जगह नहीं है। जब तक आराम नहीं मिलता विकास कैसे हो सकता है। आप को जे० टी० सी० और बी० टी० सी० के अन्तर को भी दूर करना चाहिये। आजकल बहुत से डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर हो गये हैं। पहले एक ही डायरेक्टर सारे प्रान्त की देखभाल करता था। उस जमाने में काम कैसे होता था। जो आजकल बहुत सा गलत प्रचार होता है उसके लिये सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। जितने डैमोक्रेटिक देश हैं उनमें गवर्नमेंट वीक होती है और पब्लिक स्ट्रांग होती है, लेकिन हमारे यहां आप लोग उल्टा ही करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट वीक हो लेकिन पब्लिक स्ट्रांग हो। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं के विभाग में हरिजनों को सब से अधिक सहूलियत मिलती है। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री हरगोविंद सिंह—मैं भवन का बड़ा आभारी हूं कि उन सभी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अपने विचार इस अनुदान पर प्रकट करने की कृपा की, अच्छे सुझाव दिये। हां, प्रारम्भिक भाषण में विरोधी दल के सम्बन्ध में मेरे मुंह से यह जरूर निकल गया कि शायद आप लोगों को शिक्षा से प्रेम नहीं है और बजट को पढ़ा भी नहीं है। मैं तो समझता था कि विरोधी दल के प्रथम वक्ता बजट को और उसके साथ जो साहित्य होगा, या है उसको पढ़ कर ही कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। उनका कहना था कि हमारे जूनियर हाई स्कूल में जनरल साइन्स को पढ़ाने के लिये व्यवस्था नहीं की गई है। वे देखेंगे कि इसीलिये इस बजट में यह व्यवस्था की गई है कि उनको रुपया दिया जाय और इसके लिये इस बजट में जूनियर हाई स्कूल में जनरल साइंस पढ़ाने के लिये करीब-करीब ४ लाख १६ हजार रुपये प्रोवाइड किये गये हैं।

एक बात और उन्होंने अद्भुत कह दी और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक सम्मानित सदस्य इस भवन के ऐसी बात कह सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में. कि अभी एक आर्डिनेंस निकाला गया है। उस पर आक्षेप यह है कि आर्डिनेंस के द्वारा हम लखनऊ विश्वविद्यालय पर अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। अगर किसी माननीय सदस्य की ओर से ऐसा आक्षेप किया जाय तो उसमें सार होना चाहिये। हम किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं बोल रहे हैं। आखिर में मैं उनसे पूछता हूं कि वे बतायें कि जिस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी का बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत था वे जानते थे कि कानपुर में मेडिकल कालेज खुलेगा। गवर्नमेंट जो खोल रही है उसको ही इस बात का तनिक भी आभास नहीं था। जब यह पंचवर्षीय योजना बनने लगी और उसके लिये रुपया मिला तब यह सोचा गया कि एक मेडिकल कालेज स्थापित होना चाहिये। लखनऊ में एक मेडिकल कालेज था इस कारण दूसरा मेडिकल कालेज लखनऊ में तो बनाना ठीक नहीं था। अनेक दृष्टियों से उचित यही समझा गया कि वह दूसरा कालेज कानपुर में बनाया जाय। अब कानपुर कालेज को लखनऊ यूनिवर्सिटी के ढांचे में किस प्रकार रक्खा जाय यूनिवर्सिटी ऐक्ट बनाते वक्त तो उसका किसी को आभास नहीं था। उस समय हमारे विचारों में कानपुर के मेडिकल कालेज का जन्म ही नहीं हुआ था और जब यह कानपुर मेडिकल कालेज खोल दिया गया, उसकी पढ़ाई शुरू हो गई तो आवश्यकता यह हुई कि उसको किससे सम्बन्धित किया जाय। मेडिकल कालेज लखनऊ से सम्बन्धित किया गया तो इस हालत में जरूरी था कि बदलाव किया जाता ऐक्ट में और वह एक आर्डिनेंस द्वारा किया

[श्री हरगोविन्द सिंह]

गया यह भी जरा सोचने की बात है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो वर्तमान ऐक्ट है उसमें यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी किसी कालेज को जो १० मील की परिधि के बाहर है उसको अपना रिकगनीशन या एफिलियेशन नहीं दे सकती। आर्डिनेंस में यह कहा गया है कि वह दस मील का जो कायदा है वह लागू नहीं होगा एग्रिकल्चर कालेज के लिये, मेडिकल कालेज के लिये या टेक्निकल कालेज के लिये। बस यह है आर्डिनेंस के अन्दर। यह है उसका इतना सार।

इतना ही नहीं उसके ऊपर यह आक्षेप करना कि इनडिस्पिलिन इतनी बढ़ गई है कि शिक्षा मंत्री और चांसलर को स्तीफा दे देना चाहिए। मुझे इन्हीं की स्पीच का ख्याल है कि जब लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐक्ट भवन के सामने था तो मुझे उनका भाषण सुनकर कुछ ऐसा अहसास हुआ था कि यूनिवर्सिटी अटोनामी का समर्थक शायद दुनिया में उनसे बढ़ कर कोई नहीं है और उस वक्त उनके साफ शब्द यह थे कि हमें रुपया तो देना चाहिये लेकिन अब उन्होंने पता नहीं कहाँ-कहां से सर्टिफाइड कापी मंगा रक्खी है यह मैं नहीं जानता.....

श्री राजनारायण—मैं आपके पास भेज दूंगा।

श्री हरगोविंद सिंह—भेज दीजिए जहां पहुंचने वाली वह चीज होगी वहीं पहुंच जायगी। प्रश्न यह है एक तो कि आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी कह डाला। अव्वल तो यह बहुत अनुचित बात होगी कि इस भवन में ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं पर आक्षेप किया जाय जिनको अपनी बात कहने का इस सदन में अवसर नहीं मिलता। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम यहां अपने स्थान का दुरुपयोग करते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं या लोगों की यदि हम यहां भर्त्सना करते हैं तो उनको अवसर नहीं मिलता कि वह अपनी बात यहां कह सकें। लेकिन मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को जरा बराबर भी ऐसी चीजों से दिलचस्पी नहीं है। यह कहना कि डिप्टी डायरेक्टर को कोई अख्तयार नहीं है, गलत है। उनको अख्तयार है और जरूर है और हम चाहते हैं कि वह पूर्णरूपेण अपने अधिकारों का उपयोग करें। अगर किसी इग्जामिनर ने कम मार्क दिये तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि वह कापी मंगाकर देखें, क्या उनको अधिकार नहीं है कि वह दूसरी जगह कापी दिखलावें, क्या यह संस्था से नहीं कह सकते कि फलां लड़के के साथ ज्यादती हुई है। कठिनाई यह है कि अगर किया जाय तो कहते हैं कि हस्तक्षेप किया जाता है और अगर नहीं करते तो कहते हैं कि उनको अधिकार नहीं है। यह दोनों बातें हमारी समझ में एक साथ नहीं आ सकतीं।

उन्होंने योग्यता के निर्धारण के बारे में कहा तो मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्या कहूं, लेकिन अगर वह माफ करें तो मैं शायद इतना कहने का अधिकारी हूं कि माननीय राजनारायण ने शायद अपनी योग्यता के अनुसार योग्यता का निर्धारण किया होगा, लेकिन यह मान लेना कि पब्लिक सर्विस कमीशन हमसे और उनसे कम काबिल है, तो यह अक्ल की तारीफ नहीं है। सौभाग्य से अभी मुझे श्री रामलखन जी ने बतलाया कि वह व्यक्ति पहले किसी गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे, उनको बड़ा जोश आया, दस आदमी उनको जरा सलाम कर लेते थे, वह समझे कि हम एलेक्ट हो जायंगे, उन्होंने स्तीफा दिया और लाल टोपी पहन कर चुनाव लड़ डाला, नतीजा वही, हार गए। अब फिर कहने लगे कि हमको नौकरी दी जाय। अब उनकी शिकायत है, मैं उनकी शिकायत को अब खूब समझता हूं, हमारे अधिकारियों ने इस चीज को समझ लिया है और यह नियमों के विरुद्ध है और मैं जरूर उस पर कोई न कोई ऐक्शन लूंगा, मैंने अपने विभाग में सब से कह रखा है बिना अपने डाइरेक्टर के, अपने अतिरिक्त संचालक के पूछे

हुए हमारे विभाग का नियम यह जरूर है, लेकिन अगर आपको कोई शिकायत हो, अगर आप समझते हों कि आपके साथ अनुचित बरताव किया गया है तो हमारे अतिरिक्त संचालक ने स्पष्ट कह रखा है कि वह उनके पास जायं और कहें। वह उसके शिक्षा संचालक हैं। उनका फर्ज है कि वह यह देखें कि विभाग में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी के साथ न्याय हो। उसको यह विश्वास होता है कि हमारे साथ न्याय होगा और अगर उस पर भी उसको असन्तोष हो तो मैं भी बुरा नहीं मानता कि मेरे पास आकर बात कहें। लेकिन यह बात करना, भवन में कहलाना, तो मैं समझ गया जो उन्होंने हमारे सामने वादा किया था क्योंकि मैं चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाएं चाहे वे कांग्रेस के लोगों की हों, सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की हों, मैं कभी नहीं चाहता और जब तक मैं शिक्षा मंत्री हूं इस बात की कोशिश करता रहूंगा कि किसी प्रकार यह राजनीति शिक्षा संस्थाओं में न जाय। यह मैं देश के प्रति अपना फर्ज समझता हूं। देश की जो भावी सन्तानें हैं उनके प्रति भी अपना फर्ज समझता हूं। हां, इसमें हमारे भाइयों को जो इसको अखाड़ा बनाना चाहते हैं, जो इसके द्वारा अपना कार्य करना चाहते हैं, उनको बुरा मालूम हो सकता है। लेकिन मैं विवश हूं।

अभी हमारे बहुगुणा जी ने एक स्कूल की बात कही और वह बात ठीक है और मैं जानता हूं कि वह स्कूल ही नहीं पांच सात स्कूल ऐसे हैं। जो राजनीति के अखाड़ा हैं, और मैंने वह केस भी पुलिस को दे दिया है। इस तरह से यह कहना अनुचित है और कहना नहीं चाहिए बड़ी मौलिक बातें भी कही गयीं। यह कहा गया कि शिक्षा की प्रणाली—मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि कम से कम मेरा नाम अशिक्षित लोगों में रख लीजिये अगर माननीय राजनारायण जी को ऐतराज हो तो। लेकिन मेरा नाम रख लीजिये। मैं खुद नहीं जानता कि यह जो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की बात अखबारों में और भाषणों में सुनता हूं उसका अर्थ क्या है?

(इस समय ४ बजकर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री राजनारायण—अगर आप जानते हैं कि आप अशिक्षित हैं तो पहले ही छोड़ देते।

श्री हरगोविंदसिंह—किस तरह से आपने अपने स्थान को सुरक्षित रखा है यह मैं भली भांति जानता हूं क्योंकि आपके बगल का ही हूं।

शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन की बात कही जाती है, शिक्षा का एक ध्येय, एक लक्ष्य होता है, शिक्षा से संबंधित दो बातें हैं—एक तो लोगों को साक्षर बनाना और दूसरे लोगों को शिक्षित बनाना। दोनों को मिलाकर आप सोचते हैं, शायद इसीलिए गलती हो जाती है। जहां तक साक्षर बनाने का सम्बन्ध है वह शिक्षित बनाने से अलग सी चीज है। प्राइमरी शिक्षा में आप लड़कों को साक्षर बनाना चाहते हैं, शिक्षित आप नहीं बनाते। उनको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए तैयार करते हैं। तो अब कहा गया कि प्राइमरी शिक्षा के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे रावत जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी का अनुदान बन्द कर दिया जाय, वह तो ठीक नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि विश्वविद्यालय में केवल वही विद्यार्थी जायं जो इतने प्रतिभाशाली हों जो विश्वविद्यालय की शिक्षा से कुछ लाभ उठा सकें। यह अपनी जगह पर ठीक बात है। लेकिन अगर आप यह बजट देखिये तो आप देखेंगे कि कि इस बजट का अधिकांश तो प्राइमरी शिक्षा पर लगता ही है और इसकी अवस्था से संतोष है यह तो आज तक शायद किसी ने नहीं कहा। लेकिन हम आप यह भी जानते हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर है। यह मैं नहीं कहता कि सरकार के ऊपर नहीं है। हमको अनुदान देना चाहिए और हम अनुदान देते भी हैं। तो अभी हमारे एक भाई, मुसलमान भाई माफ करेंगे, नया मुसलमान प्याज

[श्री हरगोविन्द सिंह]

बहुत खाता है, वह अभी हाल ही बाराबंकी से चुनकर आये हैं। मैंने रिपवान विंकिल के नोविल में पढ़ा था उसमें एक जगह रीडिंग रूम था उस रीडिंग रूम में १२ वर्ष पीछे के अखबार पढ़े जाते थे और उसी पर बहस होती थी और समझते थे कि वही ताजा अखबार है। आपको यह तक पता नहीं कि ऐग्रीकल्चर कालेज ऐजूकेशन डिपार्टमेंट में है या ऐग्रीकल्चर में। एक मातादीन साहब कोई पहुंचे उन्होंने कहा तो यहां कह डाला। अब क्या फैक्ट है यह कोई नहीं जानता। आपने कहा कि गवर्नमेंट की नीति मुहम्मद तुगलक की है। मेरी समझ में नहीं आया वह एक बादशाह था आखिर उसकी उपमा मुझसे कैसे दी जा सकती है। मैं तो एक गरीब घर के किसान का बच्चा हूं।

अब आंकड़ों की कमी का जहां तक सम्बन्ध है तो मैंने कहा यह था कि जब अपने प्राइमरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ट्रांसफर किये तो उनको यह अधिकार दिया कि वह ऐडजस्ट कर लें और उस ऐडजस्टमेंट में अगर किसी स्कूल की आवश्यकता नहीं समझी गई तो नहीं रखा। क्योंकि यह कोई नीति तो है नहीं अगर हमारे पास १० रुपया है तो १,००० खर्च कर दें। और दो एक विलक्षण बातें और मालूम हुई कि जब स्कूलों का ऐडजस्टमेंट हुआ तो प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स की संख्या निर्धारित होती है लड़कों पर तो उन्होंने बहुत सों कायों ही नाम लिख लिया जो स्कूल जाते ही नहीं थे और मैंने तो यहां तक सुना कि मास्टरों ने अपने पास से २, ३ रुपया फीस तक के भी दिये और घर पर रहे। तो जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने रीआर्गेनाइजेशन अपने यहां किया तो उसके फलस्वरूप यह कमी हुई। तो मेरी समझ में यह ठीक किया गया लेकिन अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास हैं, उनमें वृद्धि हुई है। और फिर अगर स्कूल बढ़ायेंगे और लड़के नहीं रहेंगे तो क्या बिल्डिंग को पढ़ायेंगे। अब १० वर्ष सन् १९५८ में पड़ता है, प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई निःशुल्क हो जायगी। मैं समझता हूं कि इंडिया में किसी जगह अनिवार्य नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जो बहुत से आक्षेप किये गये विरोधी दल की ओर से वह इस कारण हुए कि उन्होंने साहित्य को पढ़ने का कष्ट नहीं किया।

स्त्री शिक्षा की बात कही गई वह अपनी जगह पर ठीक है। स्त्री शिक्षा होनी चाहिये। लेकिन यह समझना कि लड़कों की शिक्षा से स्त्री शिक्षा का सम्बन्ध नहीं है, यह गलत है। अगर पुरुष पढ़ा लिखा होगा तो वह समझेगा कि लड़कियों को पढ़ाना ठीक है। मैं बताऊं आपको देहात में जितने प्राइमरी स्कूल हैं वहां लड़के-लड़कियां पढ़ सकते हैं और ५, ६ साल के लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ने में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिये। और किसी भी गांव में लड़के-लड़कियों में ज्यादा फर्क भी नहीं होता। लेकिन लड़कों की ही संख्या अधिक होती है। तो स्त्री शिक्षा में जितनी प्रगति वांछनीय है उतनी इस कारण भी नहीं हो रही है कि लोग अशिक्षित हैं। तो इसलिये हमको यह समझना चाहिये कि स्त्री शिक्षा से पुरुषों की शिक्षा सम्बन्धित है और इसलिये लड़कियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा का एक अंग है। मैं एक बार फिर इस भवन के माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस अनुदान का स्वागत किया और मैं समझता हूं कि उनके सहयोग से इसमें जो योजनायें हैं उनकी सफलता भी हम प्राप्त कर सकेंगे।

*श्री गंगाधर मैठाणी--अध्यक्ष महोदय, आज इस अनुदान में करीब १२ माननीय सदस्यों ने भाग लिया लेकिन उसमें बड़ी प्रसन्नता यह है कि काफी बड़ी तादाद में इस सदन की माननीय सदस्याओं ने भी भाग लिया है और उन्होंने एक बात विशेष रूप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से कही, माननीया चन्द्रवती ने और उन लोगों ने भी कही कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा स्त्रियों के जरिये दी जाय तो ज्यादा अच्छा है। हम भी इसमें उनसे पूरी तरह सहमत हैं और यह अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो क्योंकि देहातों में आज कल बहुत सी लड़कियां हैं, जो पढ़ी-लिखी हैं। वह गांवों में अपने बाप के घर हों तब भी पढ़ाने का काम कर सकती हैं और ससुराल में जाने पर भी पढ़ा सकती हैं। तो इसका मैं स्वागत करता हूं। दसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने कही मुझे उससे प्रसन्नता हुई जब उन्होंने कहा कि शिक्षा के दो ही उद्देश्य हो सकते हैं एक साक्षर बनाना और दूसरा शिक्षित बनाना। लेकिन न तो इस शिक्षा से यह पूर्ण रूप से साक्षर ही बन रहे हैं और न शिक्षित ही बन रहे हैं।

दूसरी बात एक और है जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विकास किया जाना चाहिये। युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में तमाम लिटरेचर तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन उसे आप देखें। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यूनिवर्सिटी के विकास के लिए कोई बात नहीं हो रही है। उन्होंने अपने से गवर्नमेंट आफ इंडिया को कुछ अपने सिलसिले में लिख दिया तो वह जब आपके पास आता है अप्रूवल के लिये तो उसे आप इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपके द्वारा वह उन्होंने, गवर्नमेंट आफ इंडिया को रिफर नहीं किया गया था। मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिये था।

इसके बाद मैं एक बात की ओर और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं कि जैसे माननीय नरेन्द्रसिंह विष्ट ने कहा कि बार्डर एरिया के अन्दर कुछ कार्य हो रहा है लेकिन जिस तरह से होना चाहिये था उस तरह से नहीं हो रहा है। जो वहां शिक्षा दी गई है उसकी तरफ भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर जितने शिक्षा देने वाले लोग हैं वह लोग बेसिक ट्रेनिंग पास नहीं हैं, क्रैफ्ट्स वगैरह नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोग नियुक्त कर दिये जाते हैं तो वह क्या शिक्षा देंगे। उन पर जो रुपया खर्च होता है वह किस काम आयेगा।

फिर दूसरी बात यह है कि बार्डर पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है कि जो वहां टिक भी नहीं सकते हैं और वहां रह भी नहीं सकते हैं। इसलिये आवश्यक है कि वहां पर लोकल लोगों को ही रिक्रूट किया जाय जो कि अच्छा काम कर सकेंगे। एक बात माननीय शिवनारायण जी ने कही, यद्यपि उन्होंने बड़े विचित्र ढंग से कही, लेकिन मैं बहुत अच्छे ढंग से उसको समझा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके अध्यापकों को पार्टी लाइन पर कार्य नहीं करना चाहिए, इसके लिए आदेश हो जाना चाहिए। यद्यपि माननीय शिवनारायण जी ने कहा कि वहां पर जो प्रिंसिपल हों वह ५५ वर्ष की उम्र के बाद हों लेकिन मैं तो समझता हूं कि ५५ वर्ष में तो वह रिटायर हो जाते हैं और वह सठिया भी जाते हैं। इसलिये इससे तो मैं सहमत नहीं हूं लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल्स हों, जूनियर हाई स्कूल्स हों, या हायर सेकेंडरी स्कूल्स हों उनके प्रधानाध्यापक और अध्यापक किसी पार्टी से एफिलिएटेड न हों और व्यापक रूप से इसके ऊपर अमल किया जाय। तब शिक्षा में प्रगति हो सकती है।

इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात सिर्फ मैं और कहना चाहता हूं। हमारे यहां पर अभी ट्वायज एग्जीबीशन हुआ। यद्यपि एग्जीबीशन बहुत अच्छा था और होना चाहिए था लेकिन उस पर जितना रुपया खर्च किया गया उसकी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह कि उसका मैनेजमेंट इतना खराब था कि जितने भी व्यक्ति या जितने भी हमारे माननीय सदस्य वहां गये, मैं तो दुर्भाग्यवस वहां जा नहीं सका और भीड़ में मैं जा भी नहीं सकता हूं। लेकिन जो गये, उनको वहाँ से लौट आना पड़ा।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

इसलिये ऐसी अव्यवस्थाओं पर भी हमें ध्यान देना चाहिये कि जहां-जहां भी एक्जीबीशन हों, उनकी अव्यवस्था की तरफ ध्यान दें। इतना कहते हुये मैं अपना कटमोशन रखता हूं और आया करता हूं कि शिक्षा मंत्री शिक्षा की बागडोर को जरा धीरे-धीरे चलावें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि यह कागजात किससे प्राप्त हुये।

श्री अध्यक्ष---यह तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ।

श्री राजनारायण---उन्होंने घोषित किया है श्रीमन्, कि कागज जिससे मिला है उसको वे जानते हैं और उसके खिलाफ ऐक्शन लेंगे और सर्विसेज में वह व्यक्ति अब नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष---यह तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन की चीज नहीं है। कोई बात आपने कही हो और उसको उन्होंने मिसरिप्रेजेंट की हो तो वह पर्सनल एक्सप्लेनेशन में आ सकती है।

श्री राजनारायण---वही निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष---आप यह बताना चाहते हैं कि कागजात कहां से आये। यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन का सब्जेक्ट नहीं है।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---श्रीमन्, समय का भी खयाल किया जाय क्योंकि अभी एक बहुत महत्वपूर्ण अनुदान हमारे सामने आने वाला है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, उन्होंने कहा था कि जिस शख्स ने राजनारायण जी को यह कागजात दिये हैं वह एक बार लाल टोपी पहनकर सोशलिस्ट हो गया। सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार बना। चुनाव में पछाड़ खा गया तो हमारे पास नाचने लगे। फिर उनको सर्विसेज में लिया। लेकिन जिस शख्स ने इस तरह की कार्यवाही की है वह सर्विसेज में अब नहीं रहेगा तो मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जिसके लिये उनकी धारणा होगी उसने मुझे यह कागज़ात नहीं दिये हैं और अगर तानाशाही का दम उनका है तो हमारी घोषणा है कि अब वे शिक्षा मंत्री पद से हट कर रहेंगे, यह मैं घोषणा किये देता हूं।

श्री अध्यक्ष---यह बहस का समय नहीं है।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८---शिक्षा (लेखा शीर्षक---३६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८---शिक्षा (लेखा शीर्षक-३६ वैज्ञानिक विभाग और ३७-शिक्षा) के अन्तर्गत १२,८१,१४,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९ अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान लेखा शीर्षक ५७ के अन्तर्गत ८४,९१,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इस अनुदान को भवन के सामने प्रस्तुत करते हुये मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस अनुदान की ओर देखते हुये कहीं यह गलती न कर जायं कि बजट से काट कर ही यह डेवलपमेंट के अन्दर रखा गया है। एक तो यों अगर देखा जाय तो अनुदान में पारसाल की अपेक्षा इस साल प्रायः ११ हजार रुपये की वृद्धि है। लेकिन यह ठीक है कि जो बजट है उसमें बहुत सी मदों को काटकर डेवलपमेंट की मदों में शामिल कर दिया गया है और इससे यह भ्रम हो सकता है कि जो आज का अनुदान चला आया उसमें कमी हो गई और डेवलपमेंट में यह चीजें रख दी गई हैं। उसका कारण एक यह था कि हरिजन सहायक डिपार्टमेंट का जिस रोज से जन्म हुआ तो वह डेवलपमेंट का ही डिपार्टमेंट था, लेकिन चूंकि उस समय कोई पंचवर्षीय योजना नाम की चीज नहीं थी, इसलिये प्रापर बजट में ही उन चीजों को रखा जाता था। लेकिन प्लानिंग कमीशन का इन्स्ट्रक्शन यह आया कि हरिजन सहायक विभाग में जितनी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वे सब डेवलपमेंट के अन्दर रखी जायं। तो इस प्रकार से जहां तक अफसरों वगैरह की तनख्वाह का संबंध है या और ऐसी छोटी-छोटी मदें हैं वे ही प्रापर बजट में रह सकती थीं और वे मेरा ख्याल है कि ९—१० लाख रुपये की शायद थीं और बाकी सब डेवलपमेंट की ओर हस्तांतरित कर दी गयीं। इसलिये बजट के साहित्य में वह खाली है और वे चीजें डेवलपमेंट में हैं। मैं आपके समक्ष उन स्कीमों का वर्णन तो करना नहीं चाहता, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब से मुझे इस विभाग का अनुभव हुआ तब से मैं यह सोचता था कि प्रत्येक रुपया जो इस विभाग के अन्तर्गत बजट में हमको मिलता है वह किसी प्रकार हम अपने पिछड़े हुये हरिजन भाइयों की सेवा में अगर लगा सकें तो यह बड़ा उपयोगी कार्य होगा। इसलिये कई दफा हमारे उपमंत्री जी ने मुझसे कहा भी लेकिन मैंने कहा कि इसको सोच लीजिये कि स्टाफ में कोई वृद्धि करें या न करें लेकिन इधर मुझे यह अनुभव अवश्य हुआ कि जब तक जिले में हम अपना एक अधिकारी नहीं रखते हैं तब तक इस काम को जहां तक मेरा या मेरे विभाग का संबंध है शायद संतोषजनक रूप से नहीं चलाया जा सकता।

बहुत से जिलों से मुझे मालूम हुआ कि कुंयें का अनुदान पड़ा हुआ है, नहीं जा सका, और अनुदान पड़े हुये हैं अनस्पेंट और यह भी विश्वास नहीं होता कि जिन चीजों के लिये रुपया दिया गया वह वास्तव में उन चीजों पर खर्च भी हुआ या नहीं। तो यह सब देख कर इस बजट में एक नयी चीज जो रखी गयी वह यह कि हम एक डिप्टी डायरेक्टर, हरिजन सहायक और रखेंगे, दो असिस्टेंट डायरेक्टर्स रखेंगे २०० से ८५० रुपये के ग्रेड में और हर जिले में एक अफसर रखेंगे १२० वाले ग्रेड में नहीं बल्कि २०० से ४०० रुपये के ग्रेड में और उनको काफी अख्तियार देंगे ताकि वे हमारे कामों को अच्छी तरह से वहां चला सकें और इसलिये भी कि हम अपने कार्यों का मूल्यांकन कर सकें कि हमारा काम सुचारु रूप से हो रहा है या नहीं। इसके अलावा अभी ४—६ रोज हुये हमने एक कमेटी बनायी है और २० अप्रैल तक उसकी रपोर्ट भी मांगी है कि वह हमको यह बता दें कि हरिजन समस्याओं के लिये किस प्रकार, क्या क्या हम करें कि उन तक हम पहुंच सकें और उनका कुछ समाधान कर सकें। उस कमेटी में हमारे अनुभवी सदस्य लोग हैं और उनसे यह भी मुझको मालूम हो जायगा कि कितना काम हम प्रत्येक जिले में कर लें कि हमको कम से कम अपने स्थान पर यह संतोष हो जाय कि जो भी रुपया हमने उस पर खर्च किया उसका प्रतिफल हमारे हरिजन या बैकवर्ड भाइयों को मिल रहा है। और मुझे आपके सम्मुख यह स्वीकार करने में कोई खेद नहीं है कि हमको और हमारे

[श्री हरगोविन्द सिंह]

उपमंत्री जी को संतोष नहीं था जिस तरीके से हमारा यह काम चल रहा था लेकिन अब मैं आशा करता हूं कि इस थोड़े से स्टाफ के बढ़ा देने से और डिपार्टमेंट के रिआर्गेनाइजेशन कर देने पर हमारे लिये संभव होगा कि हम अगले साल आप से कह सकें कि इस साल प्रगति हमारे लिये संतोषजनक है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको आंकड़े के जाल में नहीं ले जाना चाहता हूं। वैसे आपने वह सब देखे ही होंगे और इसके अलावा आप जो सुझाव देंगे वह मेरे लिये शिरोधार्य होंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रयत्न करूंगा कि हम अधिक से अधिक सेवा हरिजन भाइयों की कर सकें।

*श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)---माननीय अध्यक्ष जी, हमारे शिक्षा मंत्री साहब ने जो अनुदान प्रस्तावित किया है मैं उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। हमारे सामने जो अनुदान है और इसमें इसके लिये जो रकम प्रस्तावित की गई है इस संबंध में एक सब से बड़ी बात जो मुझे कहनी है, वैसे इस संबंध में इस बजट की रकम का मुकाबला जब हम इस रकम से करते हैं जो हमारा कुल बजट है और यू० पी० के रहने वाले ६ करोड़ ३२ लाख आदमियों के लिये जो बजट पेश हुआ वह १४७ करोड़ का बजट हमारे सामने है। इस बजट को जब हम देखते हैं तो इन ६ करोड़ ३२ लाख आदमियों में हम अमूमन तीन तरह के लोगों को पाते हैं और सरकार ने भी अपने प्रकाशनों तथा स्पीचेज में स्वयं स्वीकार किया है कि वह तीन स्तर के लोग हैं। वह इस तरह से है एक तो हमारे पूज्य भाई हैं जो अग्रज कहलाते हैं और ऊंची जाति के हिन्दू हैं और यह १ करोड़ ३ लाख है और उसके बाद पिछड़ी जाति के हिन्दू भाई हैं वह ३ करोड़ १६ लाख है और फिर हमारे हरिजन भाई हैं उनमें एक करोड़ ४० लाख की आबादी है। इसके बाद हमारे सूबे में मुस्लिम भाई हैं और कुछ हिन्दुस्तानी ईसाई हैं। इन मुस्लिम भाइयों में ऊंची जाति के मुसलमान ७० लाख हैं और ५० लाख वह मुसलमान हैं जो हमारी सरकार की तरफ से मोमिन या अंसार कहलाते हैं और इनकी पिछड़ी जाति के मुस्लिम भाइयों में गिनती की गई है। इसके अलावा ३ लाख आदमी वह हैं जो हिन्दुस्तानी ईसाई हैं या क्रिश्चियन हैं। अब इस तरह पर कुल ६ करोड़ ३२ लाख आदमियों के लिये जो बजट पेश हो रहा है उसमें हमारी सरकार की तरफ से और हमारे मंत्रियों की तरफ से यह दावा है चूंकि अब हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी बनाने जा रहे हैं। यह तो बहुत ही अच्छा है लेकिन हम एक और स्टेप आगे बढ़ गये हैं और वह कहते हैं कि अब कुल सोसाइटी का ढांचा समाजवादी ढांचे के अनुसार बना रहे हैं। जब ऐसी चीज है तो यह तो बहुत अच्छी चीज है और अगर ऐसा हो जाय तो मैं कहूंगा कि फिर हमारे देश में स्वर्ग का सपना देखा जा सकता है। लेकिन अगर यह सही है तो मैं कहूंगा कि इस १ अरब ४७ करोड़ को ठीक प्रकार से बांटना चाहिये था। हमारे जो पिछड़े भाई हैं, अछूत हैं, मुसलमान हैं और कुछ इंडियन क्रिश्चियन्स हैं उन सब की तादाद को देखा जाय तो वह कुल मिला का ५ करोड़ २९ लाख की तादाद होती है। इनमें भी एक बात मैं अर्ज कर दूं कि २० लाख के करीब ऊंची जाति के मुसलमान हैं। उनको भी अगर हम निकाल दें तो ५ करोड़ ९ लाख आदमी जो हैं उनकी बहबूदी के लिये या उनके फायदे के लिये यह अनुदान भवन के सामने रखा हुआ है, यह कहां तक न्याययुक्त है? क्या यह समाजवादी व्यवस्था पर बनी है या पक्षपात की व्यवस्था पर? इसका अगर कोई जवाब है तो वह एक ही जवाब है कि हमारे जितने राजकीय अंग हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब में जो राज्य की बागडोर है, वह हमारे अग्रज भाइयों के हाथों में है। कुल ऊंची जाति के लोगों के हाथों में स्वराज्य का ढांचा है। मैं आपको अलग-अलग करके सारी बात समझाऊंगा।

हमारे राजकीय अंग ३ तरह के हैं। एक न्याय विभाग है, दूसरा लेजिस्लेचर है और तीसरा एक्जीक्यूटिव है, जिसको ब्योरोक्रेसी कह सकते हैं। इन तीन विभागों पर अगर मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठीक से अपनी बात कहूं तो मुझे कम से कम ४ घंटे का समय चाहिये, लेकिन यह बेबसी है, मैं समझता हूं कि मेरे लिये बेबसी है दूसरों के लिये भले ही न हो। लेकिन खैर जो समय है उसी के अन्दर मैं इस चीज को साबित करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले जिसका टेंजिबिल रिजल्ट सामने आ जाता है और जिसमें यहां के भाइयों को अधिक शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं, हमारे सभी भाई समझ सकते हैं, उसको लूंगा। जो हमारी मौजूदा सिविल लिस्ट है उसको अगर हम लें तो उसमें ५,८८२ गजटेड अफसर आज हैं, उसमें अछूत जाति के सिर्फ ४२ आदमी गजटेड रैंक के हैं। जो हमारी सरकार अछूतोद्धार का दावा करती है और इतनी बुलन्दी के साथ इतने शोरगुल के साथ इस बात को उठाये हुये हैं, उसमें आप ख्याल फरमाइये कि कुल ४२ गजटेड रैंक के अधिकारी पिछड़ी जाति के कुल यू० पी० में हैं और हमारी पिछड़ी जाति के जो अधिकारी है वह सिर्फ ३२ हैं। तो ३२ और ४२, आप स्वयं समझ लीजिये कि कुल इतनी तादाद हम लोगों की एक्जीक्यूटिव लाइन में है। यह हमारा गजटेड रैंक है, हमारी ब्योरोक्रेसी है, बाकी ५८४२ जगहें जो गजटेड रैंक की है वह सब ऊंची जाति के हाथों में है और उनमें एक दो क्रिश्चियन्स भी हैं। यह सारा नक्शा है ब्योरोक्रेसी, जो हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा अंग है। चाहे हमारा जनतंत्रवाद शुरू हो गया हो या कुछ भी हो गया हो लेकिन मैं तो कहूंगा कि प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में सारी बागडोर उन्हीं के हाथों में है। मैं मान लूंगा कि मुख्य मंत्री हैं, उपमंत्री हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। सब कुछ है लेकिन यह सब वैसे ही है, बी० ए० पास और एम० ए० पास लेकिन पास कुछ भी नहीं, पास में धेला भी नहीं। सारी गवर्नमेंट की बागडोर यह ब्योरोक्रेसी चलाती है। ऐसी शक्ल में आप समझ सकते हैं कि यहां यह तरह तरह की दुहाई कितनी अपनी जगह पर कोई मायने रखती है और यह हरिजनोद्धार की दुहाई और यह पिछड़ी जाति का बहुत बड़ा नारा जिसको कहा जाता है कि अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है, हालांकि श्रीकांत साहब जो कि इन क्लासेज के कमिश्नर हैं उन्होंने दावा सन् १९५१ में जरूर किया। कुछ अपना दावा किया है और कुछ उन्होंने कमेंट्स भी किये हैं विधान की धारा १६ के संबंध में। विधान की धारा १६ के मुताबिक हर स्टेट गवर्नमेंट अछूतों के अलावा और क्रिमिनल ट्राइब्स के अलावा अगर कुछ जातियों को यह समझती है कि वे पिछड़ी हुई हैं, तो उन जातियों के लिये सरविस रिजर्व है, और यह सब स्टेट गवर्नमेंट को दिया है।

बावजूद इसके जब इस शक्ल की तरफ हम आते हैं तो देखते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार यह कर रही है कि उसने लम्बी चौड़ी लिस्ट पब्लिश करदी, और वह लिस्ट है यहां पर कि ५५ हमारी पिछड़ी जाति हैं और २० मुसलमान जाति हैं। उसमें आंकड़े लिखे हुये हैं कि गडरिया, काछी, लोधी, नाई, कहार, तेली, तमोली, दर्जी, भुरजी, सुनार, लुहार कुरमी, चमार, कोली, धानुक, मेहतर और इसी तरह से मुसलमानों की जातियां भी लिख दी कि रंगरेज, धोबी और न मालूम कितनी मुसलमान जातियां लिख दीं। ६३ हमारे अछूतों की जाति लिख दी हैं और ५५ पिछड़ी जाति की लिस्ट और २० हमारे मुसलमान भाइयों की जातियां लिख दीं। यह तमाम लिखा। मैं कहता हूं कि यह जातियों की जहां लिस्ट लिखी थी तो उस वक्त यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो यह व्यवहार कर रही है वह भूल रही थी। उसको शायद ध्यान नहीं था कि इसी विधान भवन में जहां हमारे ८४ अछूत भाई आये हैं और ८४ अछूत भाइयों में शायद कोई स्वतंत्र सदस्य आये नहीं तो सब ज्यादातर रूलिंग पार्टी से ही आये हैं, क्योंकि अछूतों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि वह स्वतंत्र लड़ने में समर्थ नहीं हैं जब तक कि वे सरकार की मदद न लें वह लड़ नहीं सकते हैं। यह इस बात का सबूत है कि एक ही आदमी इस विधान भवन में अपनी ताकत से लड़कर आया है और बाकी ८३ सब राज्य पार्टी की तरफ से आये हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष की मारफत कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वह वितंडावाद खड़ा करने की कोशिश न करें। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहता हूं जिसका महीनों तक अध्ययन न किया हो। तो इसलिये मेरा कहना यह है कि जो लम्बी लिस्ट मैंने बतायी और जैसा कि मैंने आंकड़े

[श्री [वंशीदास धनगर]]

दिये हैं उसके हिसाब से यह ६ करोड़ ३२ लाख के लिये जो बजट है उसमें से ५ करोड़ २९ लाख का अगर इन्टरेस्ट सफर करता है, अगर उसके आनन्द में बाधा पड़ती है तो यह सारी अर्थ व्यवस्था १ करोड़ ३ लाख के लिये है। क्या यह समाजवादी व्यवस्था है? यह सिर्फ मैंने अभी तक ब्यूरोक्रेसी का किस्सा लिया है। इसके अतिरिक्त पक्षपात और जो जुल्म इन लोगों के प्रति होते हैं, वह मैं बाद को लूंगा या छोड़ दूंगा।

लेकिन पहले मैं लेजिस्लेचर की तरफ आता हूं वह भी सरकार का एक अंग है। मेरा दावा है मैंने इसमें सारे हिन्दुस्तान का अध्ययन किया है कि कितने आदमी किस सूबे की असेम्बली में किस तरह से, किस-किस जाति के रिप्रिजेन्टेटिव हैं। मैं मानता हूं कि ८४ आदमी यहां पर हैं और इसके अलावा कुल इस वक्त तक ४३ आदमी हमारी पिछड़ी जाति के यहां पर विधान सभा में कुछ स्वतंत्र सीटों से और आधे से ज्यादा राज्य पार्टी की तरफ से चुनाव जीते। उनमें भी आप देखें कि वह मेरे ख्याल से कान गही बकरी के समान हैं। इसी भवन में मैंने देखा कि हमारे एक अछूत सदस्य की ओर से नानआफिशल डे का प्रस्ताव आया। दो दिन तक बड़ी अच्छी बहस चलती रही लेकिन तीसरे दिन लोगों ने उसे बड़ी मानहानि समझी और ऐसा इशारा हुआ कि बेचारे को एक शब्द कहे बिना अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा।

जुडिशरी की तो मैं कहूं क्या क्योंकि बावजूद इतनी चिल्लीपों के केवल २ ही आदमी वहां पहुंच पाये हैं। लोग कहते हैं कि तैयार करो, मैं तैयार करूं क्या, समय ही इतना कम है हालांकि मैं तो इस पर दो महीने तक बोल सकता हूं। यही एक विषय है जिसमें ८२५ बरस की गुलामी हिन्दोस्तान ने भुगती क्योंकि अगर मुट्ठी भर पठान लाखों हिन्दुओं पर विजय पाता है तो इसका यही कारण था। हिन्दुओं में है क्या आखिर ?

श्री अध्यक्ष—यह असंगत हो रहा है। आप जाति के ऊपर आ रहे हैं।

श्री वंशीदास धनगर—अच्छा। वैसे और बहुत सी बातें हैं मगर मैं छोड़े देता हूं। कुछ थोड़े से सुझाव मैं अपनी सरकार को अवश्य दूंगा। अगर कमजोरी है तो अपनी है यह मैं मानता हूं। मेरे कहने का मतलब यही है कि अकलमन्द के लिये इशारा काफी है। हमेशा के लिये किसी को कोई अपने अधिकार से वंचित नहीं रख सकता है। इसका नतीजा उसके लिये बहुत बुरा होता है, इसे सभी मानते हैं और इतिहास भी हमारा बताता है। जो जिसका अधिकार है, जो जिसका स्थान है, समाज में वह उसे मिलना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। इसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे मिनिस्टर साहबान को और सभी को इन पिछड़ी जातियों का और हमारे अछूत भाइयों का उद्धार करना है तो उनको चाहिये कि अपने दौरों में अछूत भाइयों के यहां ठहरें चाहे वह सरकारी पैसे से हों क्योंकि वह शायद खर्चा न सह सकें, आखिर है तो वे गरीब ही। हमारे मिनिस्टर साहबान को और दूसरे दौरा करने वाले साहेबान को चाहिये कि वे अछूत भाई के हाथ का परसा खावें ताकि वहां की सारी जनता जाने कि अछूतों के हाथ का खाने से किसी का धर्म नहीं बिगड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से आज हमारे मंत्रिगण और बड़े-बड़े लोग इस भावना को, जातिवाद को, बढ़ावा दे रहे हैं।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज जो यह अनुदान हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में उपस्थित किया गया है, मैं उसके बारे में धन्यवाद दूं या उसके बारे में कुछ कहूं, वैसे तो जहां तक धन्यवाद देने की परिपाटी है, वह तो सभी लोग देते हैं, लेकिन समय बहुत थोड़ा है।

श्री हरगोविंद सिंह—आपको तकलीफ होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयपाल सिंह—ठाकुर साहेब ने कहा है कि आपको तकलीफ होगी। तो मैं तो यह समझता हूं कि अगर तकलीफ होती है तो वह ठाकुरवाद में ज्यादा होती है, उसके स्थापित करने में। तारीफ करने वाले तो बहुत लोग हैं, हमारे काफी भाई आपके सहयोगी भी हैं। तो उस समय उन्होंने आपकी काफी तारीफ की और मैं समझता हूं कि वही काफी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का यह कहना है कि पांच साला योजना में डेवलपमेंट ऐक्टीविटी के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से यह रक्खा गया है। उनका कहना है कि ग्रान्टों को पंचवर्षीय योजना में आना चाहिये। अगर यह बात सत्य है तो सारी की सारी चीजों को ही पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आना चाहिये। मेन बजट में उनको आने की क्या जरूरत है? मैं यह साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि यह सिर्फ भुलावे में डालने की बात है। एक तरफ तो कहा जाता है कि यह नई चीज है और दूसरी तरफ से उसको अगर देखा जाता है तो वह पुरानी की पुरानी होती है। जब वह पुरानी ही है तो नये रूप में क्यों रक्खी जाती है, और उसको नया क्यों कहा जाता है? इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति ठीक नहीं है और यह अक्ल को भी अच्छी नहीं मालूम होती। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है? अगर यह सही बात है तो प्लानिंग कमीशन ऐसा क्यों कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ११ करोड़ रुपया खर्च करती है अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना पल्ला पीछे खिसका ले तो प्लानिंग कमीशन कहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। पिछड़े हुए लोगों को आगे ले चलने के लिये आज हमें उद्यत होना है। आपने यह वायदा किया है कि पांच सालों के अन्दर पिछड़े हुए लोगों की हमें चौमुखी उन्नति करना है। अगर हर मामले में आप उनको आगे बढ़ा देते हैं और आपके यह शब्द ठीक उतरते हैं तो स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक हैं। लेकिन अगर यह शब्द पूरे नहीं उतरते और वे ज्यों के त्यों रह जाते हैं तो मैं समझता हूं कि काले अक्षरों में ही लिखे जायेंगे, और उसका जो असर इस सदन और मंत्री महोदय पर पड़ेगा, वह यही होगा कि मंत्री महोदय वायदा तो करते हैं लेकिन करते वही हैं जो वह चाहते हैं। ऐसी दशा में अगर आपको वह वायदा पूरा करना है, जो आपने लिखा है या कहा है तो आप वह उस तरह से पूरा न कर सकेंगे जिस प्रकार कि आप चल रहे हैं। आपको उसके लिए एक प्लान बनाना होगा कि इतने दिनों में पिछड़ी हुई जातियां सब बराबर आ जायेंगी। आज तो यह समझा जाता है कि जो रुपया उन पर खर्च किया जा रहा है वह सब दान में दिया जा रहा है, और १५ साल तक ऐसा करना है। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि अधिकारियों की यही भावना होती है कि मानों वे दान दे रहे हैं। यहां तक नहीं देखा जाता कि उनको वह रुपया मिलता भी है या नहीं। आप किसी नाम से क्यों न दें, लेकिन यह पता नहीं लगाया जाता कि यह रुपया कहां जा रहा है। कुछ रुपया तो फेवर गेन करने के लिये ही खर्च किया जाता है। यद्यपि मैं कांग्रेस मैन हूं लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है। आज जो प्लानिंग आफीसर हैं वह इसी तरह का व्यवहार करते हैं, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। एक-एक इंस्टीट्यूशन में ८६-८६ लड़के होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़के को भी स्कालरशिप नहीं दिया जाता है। जब कि उनकी काफी तादाद वहां पर होती है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और ऐसे स्थानों पर ऐसे आदमियों को रखना चाहिये जिनसे उनका कल्याण हो सके।

जहां तक हरिजन सहायक बोर्ड का संबंध है उसकी कुछ पालिसी ही जाहिर नहीं होती है। कई रिजोल्यूशन हुए और प्रेस किये गये और कमीशन से भी उसकी सिफारिश हुई कि अछूतों को आबादी के अनुपात मे अलाटमेंट होना चाहिये लेकिन आज तक उस प्रस्ताव पर अमल नहीं हुआ है। पता नहीं गवर्नमेंट के पास तक वह पहुंचा भी या नहीं। यह सब पालिसी की वजह से है, उसी का असर है। बोर्ड की पालिसी तो केवल टी० ए० और डी० ए० देने के लिए ही रह गयी है, लेकिन और भी जो कुछ दिया जाता है वह सब ऐसा

[श्री जयपाल सिंह]

समझा जाता है कि दान ही दिया जा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस मामले में अपनी पालिसी स्पष्ट करने की जरूरत है।

जहां तक इस डिपार्टमेंट के रिआर्गनाइजेशन का सम्बन्ध है मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने रीजनल डायरेक्टर रखने की जो बात कही है तो दूसरे जो गजटेड आफिसर्स हैं, उनका तो ३०० से ले कर १,२०० तक का ग्रेड है लेकिन शेडयूल्ड कास्ट के लिये, बैकवर्ड क्लासेज के लिये जो डायरेक्टर साहब को रक्खा है, उनको २०० से ५०० रुपये ही दिये जायंगे। तो इतनी कम तनख्वाह पाने वाले आफिसर को क्यों रखा गया है? डिपार्टमेंट का जो एक इन्चार्ज है उसको एक्सपीरियंस तो होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारे पास एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं हैं लेकिन पिछड़ी जातियों के लिये जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जिनका रहन-सहन पिछड़ा हुआ है उनके उत्थान के लिये तजुर्बेकार आदमी की आवश्यकता है और ऐसे आदमियों की जरूरत है जो ठीक से काम कर सकें। जो आदमी २०० रुपये वेतन पाने वाला होगा वह किस तरह से काम कर सकेगा। वहां पर २५० से १,२०० रुपये की तनख्वाह पाने वाले आदमी की जरूरत है। जहां तक कि सुपरवाइजर्स का सम्बन्ध है उनको ३० रुपये के वेतन पर रक्खा जायगा जब कि सेक्रेटेरिएट के एक पचरासी को ५०–५५ रुपये मिलते हैं। तो क्या अछूतों के लिये, बैकवर्ड जातियों के लिये यह किया गया है कि उनकी तनख्वाह कम कर दी जाय। यही आर्गनाइजेशन करने का तरीका है? यह तरीका बिलकुल नामुनासिब है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सर्विसेज में जो लोग हों, वे बराबरी के दर्जे पर हों, समानता के दर्जे पर हों ताकि वे अक्लमन्दी और नेकनियती के साथ काम कर सकें।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा की प्रणाली का संबंध है स्कालरशिप्स की संख्या बहुत थोड़ी है। जो रुपया आपने रक्खा है उसे ६ हजार स्कालरशिप में बांट देंगे और इस प्रकार कितनी सहायता आप दे सकेंगे। यह नीति है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही मानी में चाहते हैं उनकी तरक्की करना, तो उनको अच्छी स्कालरशिप दी जाय और तीसरी बात यह है कि जहां सवर्ण जाति वालों के लिये होस्टल बनाने की नीति अपनाई जाती है तो हरिजनों के लिये भी होस्टल्स बनाये जायं ताकि ठीक वातावरण में रह कर अच्छी शिक्षा हरिजनों के बच्चे प्राप्त कर सकें और शारीरिक, बौद्धिक बल को बढ़ा सकें और योग्य हो कर निकल सकें। तो जब मुकाबले की बात करते हैं, बराबर करने की तो फिर फर्क क्यों करते हैं? इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों के उत्थान के लिये अच्छी खासी रकम रखने की जरूरत है और यह कहना कि पैसा नहीं है, यह मत कहिये, बल्कि यह कहिये कि जैसा एडजस्टमेंट चाहेंगे वैसा करेंगे, पैसा कम होने का बहाना न होना चाहिये, न देने का बहाना किया जाय तो बेहतर है। सर्विसेज के मामले में यह स्पष्ट है कि जितने आफिसर्स हैं, कमेटीज के मेम्बर्स हैं, जब सिलेक्शन होता है तो अगर बलदेवसिंह, डाक्टर सीताराम, या धर्मसिंह जी कमेटी में हुए तो कोटा पूरा हो जाता है और जब बनारसी दास जाते हैं तो कोटा पूरा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वैयक्तिक हमला नहीं हो सकता। आप नाम ले कर हमला न कीजिये।

श्री जयपाल सिंह—अच्छी बात है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि जहां तक छात्रवृत्ति का सम्बन्ध है इस तरह से जो दान दिया जाता है उस भिक्षावृत्ति को छोड़ दिया जाय और इस तरह से उसे सहायता दी जाय कि वह खड़ा हो सके। टैक्निकल इंस्टीट्यूशंस एक कानपुर, एक गोरखपुर और एक लखनऊ में हैं। प्रदेश के दूसरे हिस्सों की सुविधा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व के लोग पश्चिम आना पसन्द नहीं करते, और पश्चिम के लोग पूर्व जाना पसन्द नहीं करते। इसलिये ये जो चीजें हैं, सरकार इनको हल करे और इस ओर ध्यान दे।

श्री तुला राम (जिला लखनऊ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष भी हमारे हरिजनों के उत्थान के लिए इतना रुपया बजट में स्वीकृति के लिए पेश किया है। मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने यह जो भावनायें आज इस सदन में व्यक्त की हैं और श्री धनगर ने जो अपना विचार पेश किया है कि हमारे यहां केवल ४२ गजटेड आफिसर हरिजन हैं और ५,८४२ सवर्ण अफसर हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें या हमें इस चीज को पेश करने से पहले यह देखना चाहिए कि हमारे हरिजन भाई कितने पढ़े लिखे हैं। अब भी हमारे हरिजन भाइयों में पढ़ने-लिखने की प्रवृत्ति इतनी कम है कि शहरों और देहातों में बहुत कम हरिजन पढ़ते लिखते हैं। ऐसा देखा जाता है कि सवर्ण अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए बड़े-बड़े कष्ट सहते हैं और अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन हरिजनों में अभी इस प्रवृत्ति का अभाव है, वह पैसा कमाने के काम बच्चों से करायेंगे और पढ़ने नहीं भेजेंगे। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा का स्तर पहले से जितना ऊंचा हुआ है वह इससे भी और अधिक ऊंचा होगा। लेकिन मैं आंकड़े दे दूं ताकि उनका यह भ्रम मिट जाय कि हरिजनों की संख्या कितनी ऐसी है। सन् ५१ की सेन्सेस रिपोर्ट के अनुसार हमारे सूबे में २१.५ हरिजन पढ़े लिखे हैं जिसमें से १३.११ फीसदी शहरी इलाके के लोग हैं और ७.९ देहाती इलाके के। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा की प्रगति कितनी है, हम अगर इस हालत में सवर्णों से मुकाबला अफसरों का करें तो कहां तक उचित है। फिर भी यह जरूर कहूंगा कि नौकरियों में पक्षपात किया जाता है, यह जानकर कि यह हरिजन है। उस पक्षपात को दूर करने का हमारे शिक्षा मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी हमें इस चीज का आश्वासन दे चुके हैं कि ऐसा पक्षपात न होगा। वे किसी कम्पटीशन में जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि तुम योग्य नहीं हो और उनसे भी अयोग्य सवर्ण लड़के ले लिए जाते हैं, ऐसा न होना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहता, अभी हाल में एक विभाग में कई लड़के ऐसे थे जो सवर्ण लड़कों से अधिक योग्य थे लेकिन उनको अयोग्य कह कर नहीं लिया गया, बहुत कोशिश की, लेकिन उनको निकाल दिया गया। इसलिए यह कहना गलत है कि पक्षपात नहीं होता, वह तो होता है।

मैं आपके द्वारा एक बात और कह दूं कि हमारे हरिजन भाइयों में, हमारे शिक्षा विभाग में, जो सुपरवाइजर रखे गए हैं, और जो स्कालरशिप हरिजनों को दिया जाता है, उसमें वह सुपरवाइजर लोग धांधली करते हैं। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी और डाक्टर सीताराम साहब से कहा है कि सुपरवाइजर बड़ी धांधली कर रहे हैं, यहां तक कि जब लड़कों को स्कालरशिप दिया जाता है तो वे दस दस और बीस बीस प्रतिशत रुपया लेते हैं तब स्कालरशिप देते हैं, और जो स्कालरशिप के लिए हरिजन कमेटी होती है, उसमें हमारे भी आदमी होते हैं, तो वहां पर पहले से सुपरवाइजर लोग ऐसी लिस्ट लाते हैं कि मेम्बरों की एक न मानकर अपने ही चुने हुए लड़कों को वह वजीफा दिलाने की कोशिश करते हैं। लड़के हम लोगों के पास पहुंचते हैं। वह कहते हैं कि हमसे इतना रुपया मांगते हैं। हमारे यहां डेवलपमेंट एक्टीविटीज में भी कुएं और घरों के लिए हरिजनों को रुपया दिया जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि सुपरवाइजर लोग, अगर पांच सौ रुपया दिया जाता है, तो उसमें से दो सौ, तीन सौ, या डेढ़ सौ रुपया घूस ले लेते हैं। बाकी रुपया गरीब हरिजन को देते हैं। इस चीज को रोकने के लिए मेरी विनम्र प्रार्थना है। हरिजन सुपरवाइजर लोग डी० पी० ओज० के अन्दर न रख कर के ऐसा कोई अफसर हर जिले के अन्दर नियुक्त किया जाय ताकि इस भ्रष्टाचार को रोका जाय। कई जगह ऐसा पाया गया है—मुझे इस बात को सदन में न कहना चाहिए था, हमारे उच्च अधिकारी भी जो कि जिले के कर्णधार हैं, जिनके अन्दर सुपरवाइजर रहते हैं, वह खुद उसमें हिस्सा लेते हैं, जो पैसा सुपरवाइजर लेते हैं। मैंने सुपरवाइजरों से कहा कि आप ऐसी बात क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकारी हमको

[श्री तुला राम]

बरखास्त कराने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि ऐसा न करो, चलो शिक्षा मंत्री साहब से यह बात कही जाय। मैंने चार पांच जिलों के सुपरवाइजरों से बात की। उन्होंने बताया कि हमारे डी० पी० ओज० और ए०डी० पी० ओज० खुद भ्रष्टाचार में शरीक होते हैं। श्रीमान् जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस चीज को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करें और उनके खिलाफ भी अगर किसी किस्म की शिकायत हो तो उनको भी बाहर निकालने की कोशिश करें। एक चीज और मैं आपके द्वारा कह दूं। हमारे यहां हरिजनों में इस चीज का बहुत ज्यादा असंतोष है कि एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए जो ग्रांट है, वह केवल पासी जाति या उससे सम्बन्धित जो जातियां हैं वही आते हैं और हमारे रैदास भाई उसमें नहीं आते हैं। इसलिए उसकी ग्रांट जो है वह केवल पासियों या पासियों से सम्बन्धित जो जातियां हैं उनको दी जाय और चमार, धोबी आदि को न दी जाय।

श्री हरदेवसिंह (जिला सहारनपुर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया है, आपका बहुत आभारी हूं। मैं दरअस्ल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हरिजन बजट चल रहा है। मैं आपको यह सुझाव देता हूं। हमारे जिले में तकरीबन ५० अंग्रेजी स्कूल हैं। उनमें हरिजन बच्चे अधिक पढ़ते हैं; लेकिन उन स्कूलों में वजीफे बहुत कम दिये जाते हैं। मैंने नैनीताल में भी यह सुझाव दिया था कि हमारे हरिजन बच्चों को वजीफे दिये जायं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जिले में कुछ वाचनालय और छात्रालय खुले हुये हैं। मैं उनके बहुत खिलाफ हूं। क्योंकि उनमें जो रुपया खर्च किया जाता है वह दो चार आदमियों की जेब में जाता है। उन वाचनालयों और छात्रालयों को बन्द कर उनके बच्चों को जिन छात्रालयों में सवर्ण जाति के बच्चे रहते हैं उनमें ही दाखिल किया जाय। उनसे फीस न ली जाय और उन बच्चों की खाने की फीस आधी ली जाय ताकि छूतछात दूर हो सके। जब तक हमारे बच्चों के अलग छात्रालय खोले जायेंगे तब तक छुआछूत दूर नहीं हो सकती है। इसलिये मैं यह सुझाव दे रहा हूं। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो वह वाचनालय हमारे यहां चार पांच चल रहे हैं, वाचनालयों में कोई भी हरिजन पढ़ने नहीं जाते। बल्कि वह एक दो आदमी की पाकेट में पैसा जाता है वह बन्द करके उन बच्चों को वजीफा दिया जाय। हमारे जिले में आपको मालूम है बहुत अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से १५,१६ हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और मास्टर भी १५० के करीब हैं जो कांग्रेस की ही बदौलत काम कर रहे हैं जहां अंग्रेजों की हुकूमत में एक भी टीचर नहीं था। हमारे जिले में पक्षपात भी लोग करते हैं जो हरिजन मिडिल पास, इन्ट्रेंस पास और बी० ए० पास हैं उनको नहीं रखा जाता है बल्कि दूसरे-दूसरे जिलों से लड़कों को, मेरठ से और दूसरे जिलों से बुलाकर रखा जाता है और हरिजन बच्चों को नहीं रखा जाता है। हमारे जिले में कई दरोगा रखे गये लेकिन दूसरे जिले के रखे गये। तो हरिजन सहायक अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह हमारी रहनुमाई करे।

मैं आपको बताऊं कि हमारे जिले में दो हजार दरजी हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। हमारे यहां हजारों बान बंटने का काम करते हैं और उससे बनिये लोग फायदा उठाते हैं। भाभर कम्पनी यह जो पेपर मिल वाले हैं उन्होंने भाभर का ठेका ले कर उनके रोजगार को बन्द कर दिया वरना हमारे लोग बहुत कमा सकते थे। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि जिस तरीके से यह लोग पहले जंगल से भाभर लाते थे वह फिर लाने की इनको इजाजत हो। मैं कहता हूं कि हमारे लिये जो पहले द्वार बन्द थे उनको कांग्रेस सरकार ने खोल दिया। लाला लाजपतराय ने सन् १९२१ में हमारे लिये रास्ता खोला था। उसके पहले हमारे विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे। आपको मालूम है कि गुरुकुल कांगड़ी के एक स्नातक हैदराबाद में मिनिस्टर हैं जो हरिजन हैं, चमार हैं। इसलिये मुझे बड़ी खुशी होती है और डाक्टर सीताराम जैसे कांग्रेस की मेहरबानी है, कि जो हमारे सामने ऐसे ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं, उनकी शक्ल को देखें कितने सुन्दर नजर आते हैं।

मैं आपको दूसरा सुझाव देता हूं कि जो हमारे लड़के सैकड़ों की तादाद में खाली हैं उनमें से कुछ को अमोन रखा गया लेकिन उनको दोष लगा करके निकाल दिया गया। मेरा सुझाव है कि हमारी तादाद के अनुसार हमको सीट मिलनी चाहिये। जय हिन्द।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय जो सदन के सामने कटौती का प्रस्ताव उपस्थित है उसका समर्थन करता हूं। हमारे सम्पूर्ण बजट का यह अनुदान १७३ वां या १७४ वां हिस्सा है जिसे मंत्री जी ने अनुसूचित और पिछड़ी जाति के उत्थान के लिये इस बजट में रखा है।

मान्यवर, अभी-अभी माननीय सदस्यों ने अपने मुंह से इस सरकार की और इस कांग्रेस की भूरि-भूरि प्रशंसा की कि सदन में सामने कुछ लोगों को बैठे हुये देख रहे हैं और कुछ ऐसे सफेद पोश हैं उनको देखकर के उनकी दशा सुधर गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़ी हुई जाति में और हरिजन जाति में जो हैं उनकी दशा को देहातों में जाने के बाद पूरा-पूरा नक्शा सामने आ जाता है कि वह सचमुच इस राज्य में उनका उत्थान हो रहा है और कहां वह जा रहे हैं? आज तक जो उनका शोषण हुआ था वह एक ही तरह का शोषण नहीं हुआ था। उनका आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण और नैतिक शोषण हर प्रकार से उनका शोषण हुआ था। आज भी जब उनके यहां जाने का मौका मिलता है, या उनके बीच में रहने का मौका मिलता है तो मालूम होता है कि आज भी उनके रहने के लिये घर नहीं, आज भी उनके पहनने के लिये वस्त्र नहीं, आज भी उनको खाने को नहीं मिलता।

आज जिन सारी सुविधाओं के लिये सरकार की तरफ से कह कह कर प्रसंशा की जा रही है की उनकी स्थिति सुधर गई, उनको हर तरह की सुविधा है, और फलां-फलां नौकरियों में वह लोग लिये गये हैं, मैं आपके द्वारा यह सदन से बतलाना चाहता हूं कि देहात में अब भी ऐसे हरिजन हैं, ऐसा हरिजन समाज है, जो दर-दर जाकर ठोकर खाता है, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उनके घर में खाने को नहीं है, आप कहते हैं कि आपने उनके लिये बिलकुल फ्री शिक्षा कर दिया, लेकिन जब खाने को नहीं मिलता तो लड़का पढ़ेगा कहां से? पहले तो सरकार को चाहिये था कि उनके खाने की व्यवस्था करती। जब तक उनके लिये रोटी की व्यवस्था नहीं होती तब तक और जो कुछ भी आप करेंगे उससे उनकी हालत में कोई फर्क नहीं आयेगा। आज आप देहातों में जायं, वहां आपको ऐसे कितने ही लोग मिलेंगे जो कि एक ही घर में गुजारा करते हैं, उनको दिन-दिन भर मजदूरी करने के बाद भी खाने भर को भी नहीं मिलता और माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्य कहते हैं कि उनका उत्थान हो रहा है। इसमें दिया गया है कि उनके लिये कुयें बनवाये जा रहे हैं। २२ सौ नये कुयें उनके लिये बनवाये गये हैं। लेकिन मैं आपसे बताता हूं कि देहात में बहुत से हरिजन, जिन बस्तियों में वे रहते हैं वहां अपने घर के पास कुआं बनाने के लिये दरख्वास्त दिये पड़े हैं लेकिन उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। एक नाम दे दिया जाता है कि हरिजनों के नाम पर कुयें बनाये जा रहे हैं लेकिन उनको उनसे कोई सहूलियत नहीं पहुंचती। सवर्णों के कुओं में उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है। अब भी वह उनके कुओं पर पानी भरने नहीं पाते। अध्यक्ष महोदय, सभी देहात के रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन यहां आकर सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। अब भी उनके लिये देहातों में मकान नहीं हैं। हो सकता है कि कस्बों में या नगरों में कुछ लोगों के लिये हों लेकिन देहात में अब भी वह अपनी उसी टूटी मड़ैया में ही रहते हैं। इसलिये उनके उत्थान से हमें अभी संतोष नहीं करना है और बजट में जो कुछ उनके लिये रखा गया है वह काफी नहीं है। मैं तो कहता हूं जिस तरह से देहातों में दौड़ का खेल होता है, दो चार आदमी उसमें दौड़ते हैं और जो तेज दौड़ने वाला होता है वह आगे निकल जाता है और जो कमजोर होता है वह पीछे रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह समाज है। यह हरिजन समाज सबसे पीछे कमजोर होकर के पड़ा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन्हीं की कमाई पर, इन्हीं के परिश्रम पर मौज उड़ाते हैं, और जो इस समाज में आज मजबूत हैं, उनको

[श्री रामसुभग वर्मा]

रोका जाय और जो कमजोर हैं उनको सहारा दिया जाय आगे बढ़ने के लिये। तब उनके मुकाबिले में वे वहां पहुंच सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक उसी तरह से वे भी पड़े हुये हैं, यह जो थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन मिला है उसका लाभ उन्ही को मिलता है जो मिलने जुलने वाले होते हैं। उन्ही को स्कालरशिप मिल जाता है। हमारे यहां एक हरिजन के लड़के ने मैट्रिक करके बहुत कोशिश की कि कहीं उसको रोजी मिल जाय और वह जूता वगैरह भी बनाना बहुत अच्छा तरह से जानता है लेकिन उसको किसी प्रकार का काम नहीं मिला। तो देहात में आज ऐसी हालत है जिसको सुधारना चाहिये उनका सुधार नहीं हो रहा है। मैं इस सदन में बैठा हुआ हूं, मेरे लिये तो थोड़े समय के लिये उत्थान हो गया है या और जो हरिजन भाई यहां बैठे हैं उनका कुछ दिनों के लिये उत्थान हो गया है, अध्यक्ष महोदय मैं भी पिछड़ी जाति का हूं, लेकिन हमारी कौम के जो लोग देहातों में हैं, उनकी वही हालत आज भी है जो पहले थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। उनके पास न घर है, न खेती है, न उनके लिये रोजी है तो जब तक उनके लिये इन चीजों का प्रबन्ध नहीं होता तब तक शिक्षा में या कहीं भी उत्थान नहीं हो सकता।

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जो इस सदन के समक्ष हरिजनों के लिये अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो इस वर्ष परिवर्तन हुये हैं, या जो निकट भविष्य में होने जा रहे हैं उससे हमें कुछ आशा की किरण मिली है। जिससे मैं यह समझता हूं कि जो गत साल में विभाग में कुछ गन्दगी फैली थी वह दूर की जायगी।

इससे पहले कि मैं कुछ सुझाव पेश करूं मैं पिछले वर्ष हरिजन कल्याण विभाग की जो प्रगति रही है उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। पिछले साल अनेकों प्रयत्नों से हरिजन उत्थान के कार्यों में रोड़े अटकाये गये और उसका कारण जब मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सही अधिकारियों के उच्च पदों पर न होने के कारण वह हुआ। इस वर्ष दो औद्योगिक शिक्षण केंद्र खोले गये, एक नैनीताल में और एक गोरखपुर में। इन दोनों केंद्रों पर अब तक उचित संख्या में अध्यापक नहीं हैं। बिल्डिंग कांस्ट्रक्शन के लिये मार्च सन् ५५ में ही रुपया ले लिया गया था लेकिन वह कांस्ट्रक्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ। लड़कों को किताबें और ड्राइंग बोर्ड आदि के लिये जो प्राविजन रखा गया था उन्हें आज तक वे चीजें नहीं मिलीं। इसी वर्ष में यहां से वहां पचीसियों कर्मचारियों का ट्रांस्फर हुआ, बहुतों का सस्पेंशन हुआ, बहुत सी संस्थाओं को तोड़ा गया, बहुतों की ग्रांट को बन्द किया गया यह सारी चीजें जो पिछले साल हुई इसकी सूचक हैं कि जो गलत आदमी चुने जाते हैं वे किसी भी विभाग को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वे उसको गड्ढे में डालना चाहते हैं।

बड़ी खुशी हुई और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस वर्ष हमारी सरकार हर जिले में जिला हरिजन सहायक अफसर नियुक्त करने जा रही है। हमारी बहुत पहले की मांग जो बराबर प्रस्तुत की जाती रही है उसको सरकार ने स्वीकार किया है। मैं उसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इन स्थानों पर जहां तक संभव हो सके वहां तक हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोगों को ही प्रोत्साहन दिया जाय क्योंकि मैं समझता हूं कि हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोग ही भले प्रकार समझते हैं कि हमारी क्या समस्यायें हैं और हमें क्या करना चाहिये? "जाके पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर परायी" इस कहावत से हमें कुछ सीखना पड़ेगा। इस संबंध में इतना मैं और कहना चाहता हूं कि अभी तक जो रीजनल हरिजन सहायक अफसर थे उनके लिये दफ्तर और रहने का एक ही स्थान रहता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह प्रथा नहीं रहना चाहिये और उनका दफ्तर रहने के स्थान से अलग होना चाहिये क्योंकि मैंने देखा है कि जो कर्मचारी दफ्तर में कार्य करते हैं और जिनका

रहने का स्थान भी वहीं होता है वह मुश्किल से दफ्तर का काम एक घंटा करते हैं और सारा समय अपने परिवार में ही लगा देते हैं जिससे हरिजनों के काम में बाधा पड़ती है। इसलिये इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार का ध्यान गैर सरकारी संस्थाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। जब मैंने बजट को देखा तो पता चला कि सरकार इस संबंध में कुछ उदासीन सी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जो गैर सरकारी संस्थायें काम कर रही हैं वह इस प्रकार हैं—२७९ स्कूल हैं, १०४ वाचनालय हैं, १३५ रात्रि पाठशालायें और १३० छात्रावास हैं और उन सबके लिये ४ लाख १५ हजार और ३०० रुपये का प्रावीजन किया गया है। अगर हम औसत लगायें तो फी संख्या ६३१ रुपये ढाई आने पड़ता है। इसी में वह काम चलाती हैं, लेकिन हमें दुख होता है जब डायरेक्टर की तरफ से सस्थाओं के चलाने वालों पर दोष लगाया जाता है और उनको गलत तरीके से बन्द किया जाता है। मैं सरकार से कहता हूं कि इस ग्रांट में कई वर्षों से बढ़ोत्तरी नहीं हुई? इसके दो कारण मैं समझता हूं। एक तो यह कि सरकार चाहती है कि ऐसी जाति के आधार पर ज्यादा संस्थायें न खुलें और दूसरा कारण शायद यह हो सकता है कि सरकार समझती है कि यह गैर सरकारी संस्थायें सब बेईमान हैं और उन्हें पैसा देना फिजूल है। जहां तक पहले कारण का संबंध है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जातियों के नाम पर चलने वाली संस्थायें खत्म हों और मैं उस दिन का इन्तजार कर रहा हूं जब मैं देखूंगा कि कोई भी संस्था जाति के नाम पर नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं में छुआछूत का प्रश्न नहीं होना चाहिये। लेकिन होता है और मैंने पहले भी बताया होगा। इटावा में इसी मामले में कुछ लड़कों का रेस्टीकेशन हुआ और आगरा ट्रेनिंग कालेज में यह शिकायत है कि मेस में खाना थाली में कर दिया जाता है और मेस में अन्य विद्यार्थियों की भांति खाना खाने का अधिकार नहीं है। जब तक शिक्षा संस्थाओं में यह चीज मिट नहीं जायगी तब तक इन हरिजन संस्थाओं की ओर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि जहां तक संभव हो सके इन संस्थाओं की ओर ध्यान दें।

श्री श्रीनाथराम (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान के लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो बजट इस संबंध में हमारे सामने प्रस्तुत है वह पिछले बजट से ११ लाख रुपये ज्यादा का है। हम यह जानते हैं कि इसी प्रकार हर वर्ष कुछ न कुछ रुपया जैसे अन्य अनुदानों में वृद्धि होती है, वैसे ही इसमें भी हुई है। आज अगर हम इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम बजट को देखें और हमारे सामने अगले पांच वर्षों के आंकड़े भी मौजूद हैं जो अगले पांच वर्षों में इस विषय में खर्च किया जायगा तो पायेंगे कि उसकी कुल रकम करीब-करीब ५ करोड़ के है। इस ५ करोड़ रुपयों में जो इस वर्ष खर्च किया जायगा उसकी तादाद लगभग ८५ लाख की है। अभी कहा गया, माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो कि अलग से दूसरे नाम से खर्च किये गये हैं और बहुत से आइटम्स को छोड़ दिया गया है। इससे यह न सोचा जाय कि रुपयों में कमी की गई है बल्कि पिछले साल से ११ लाख रुपयों की वृद्धि हुई है। ७४ लाख का पिछले साल का बजट था, लेकिन हम यह देखें कि अभी-अभी हमने अनुपूरक बजट पास किया है जिसमें २५ लाख रुपया इसके लिये पास किया गया कुछ खर्च किया गया और कुछ खर्च नहीं किया गया जो कि खर्च करने के लिये था। तो इस प्रकार हम देखें कि पिछला बजट १ करोड़ का हो गया और यह बजट ८५ लाख का है।

हम इसमें यह देखते हैं कि इसमें जो धन खर्च होता है वह खास तौर से शिक्षा में ज्यादा होता है। मैं अभी यह सब नहीं बतलाना चाहता, जैसा कि धनगर साहब ने सारी जातियों और उपजातियों का नाम ले डाला और उनका वर्णन कर दिया कि फलाँ फलाँ जातियां इतनी-इतनी

[श्री श्रीनाथराम]

हैं। उनकी गहराई में उतनी दूर तक मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह देखना जरूर चाहता हूं कि जो पैसा इस विषय में खर्च होता है वह पूरी जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त है, उपयुक्त है या नहीं। इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं और हम यह साथ में सुनते हैं अपने प्रतिनिधियों से अपने नेतागणों से कि हरिजनों के लिये जो रुपया यहां रखा गया है उनके नाम से उससे तात्पर्य यह नहीं है कि केवल उतना ही रुपया उनके लिये खर्च किया जाता है, बल्कि अन्य विभाग में भी है और उनसे भी उनके लिये कार्य होते हैं, उनके लिये खर्च होता है। इंडस्ट्रीज विभाग अलग है, उससे भी उनको सहायता होती है, शिक्षा का विभाग अलग है, उससे भी उनकी सहायता होती है, स्वास्थ्य विभाग है, वह भी उनकी देखरेख करता है, पुलिस की भी जरूरत उनको पड़ती है और इसलिये उनको जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वह उसका फायदा उठाते हैं। ऐसे ही सड़कें हैं और दूसरे विभाग हैं। मैं मानता हूं कि सड़कों पर हम चलते हैं, पुलिस की भी हम को जरूरत पड़ती है, कोर्ट्स में भी हम जाते हैं कलक्टर का भी हम उपयोग करते हैं, रेवेन्यू, सिंचाई आदि विभागों की भी हम को जरूरत है। यह मैं मानता हूं और यह भी मानता हूं कि जो कुछ उन विभागों में खर्च होता है उसका कुछ न कुछ अंश हरिजनों पर खर्च होता है, लेकिन इसको मानते हुये भी सरकार ने यह सोचा है और हमारे विधान में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि हरिजनों के लिये अलग से सहायता देनी आवश्यक है। जब हम इस नीति को मानते हैं कि हमें इस जाति को, इस संप्रदाय को, इस वर्ग को उठाना है, तो हमें अलग से इसके लिये व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जब हम इस नीति और व्यवस्था को मानते हुये अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें सारे आंकड़ों को और संख्या को सामने रखना पड़ेगा। इस सारी परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद हमें धन व्यय करना होगा ताकि हम सचमुच उससे अधिक प्रगति कर सकें।

आज हरिजनों की संख्या १ करोड़ ४० लाख की है और हमारा बजट ८५ लाख का है। इसमें सब रुपया हरिजनों पर ही खर्च नहीं होता, बल्कि इसमें पिछड़ी जातियां भी शामिल हैं, मोमिन, अंसार भी इसमें शामिल हैं और मुसलमानों का बैकवर्ड क्लास भी इसमें शामिल है। तो यह रुपया भी पूरा का पूरा हरिजनों के ऊपर खर्च नहीं होता। मैं यह नहीं बतलाना चाहता कि एक व्यक्ति के ऊपर हरिजन विभाग की ओर से कितना धन खर्च होता है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि यह धन अपर्याप्त है और इसमें वृद्धि होने की आवश्यकता है। मैं यह तो नहीं मानता, जैसा कि अन्य सदस्य कहते हैं, कि सरकार यह नहीं चाहती कि हरिजनों का का उत्थान हो, सरकार तो चाहती है, यह कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस संगठन चाहता है और हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उसका पालन किया जाता है, लेकिन मैं इस बात को मानते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो खर्च किया जा रहा है वह अपर्याप्त है और इसमें वृद्धि की आवश्यकता है। इसके लिये मैं सारी परिस्थिति को आपके सामने नहीं रखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि बार-बार उसको यहां दोहराया जाय। बार-बार कहा जा चुका है कि हरिजनों की क्या दशा है। पिछड़ी जातियों की क्या दशा है और उनकी आर्थिक दशा कैसी है। यदि हम ठीक प्रकार से देखें तो यह मालूम होगा कि हरिजनों की दशा बहुत चिंतनीय है दयनीय है और शोचनीय है। जब ऐसी परिस्थिति है कि हमको अपने प्रदेश के अन्दर समाजवाद का ढांचा लाना है और प्रगति करनी है तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि इस जाति को इस वर्ग को बड़ी तेजी से उठायें। इनकी दशा खराब है, यह गन्दगी में रहते हैं और आर्थिक दशा खराब है मकान गन्दे हैं, आने जाने के लिये उनके पास कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। इसलिये हम देखते हैं और सम्पूर्ण सामाजिक वातावरण को हम सब जानते हैं कि उससे वह निकल नहीं पाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान थोड़ा सा इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रस्तुत बजट में कुछ रुपये की व्यवस्था खानाबदोशों और अपराधशील जातियों के लिये की गयी है और उनके लिये कुछ रुपया रखा गया है। पिछले समय में जो बजट आते रहे उनमें अलग से इनके लिये खर्च नहीं रखा जाता था बल्कि हरिजन सहायक फंड से ही हरिजनों के नाम पर ही खर्चा किया जाता था लेकिन इस बार इसमें खाना बदोशों और अपराधशील जातियों

के लिये अलग से ४० हजार रुपया रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाना बदोश और अपराधशील जातियों के सही आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। यह जातियां करीब-करीब १२ महीने इधर उधर घूमती रहती हैं और इनके घूमते रहने के कारण और एक स्थान पर न रहने के कारण जब कभी इनकी गणना की गयी है तो ऐसा पाया गया है कि वहां से उठ कर वह दूसरी जगह चले गयेहैं और उनकी गणना नहीं हो पायी है। नतीजा यह होता है उनकी बहुत बड़ी संख्या छूट जाती है। इस प्रकार से सही आंकड़े हमारे पास इनके नहीं हैं। लेकिन हम देखें कि यह ऐसी जातियां हैं और इनकी इतनी संख्या है जिसको उठाने की जरूरत है। इनका रहन-सहन, सामाजिक व्यवस्था और रस्म रिवाज इतने खराब हैं कि सचमुच उसको देखकर बड़ी घृणा होगी। हम चाहते हैं कि सरकार इनके लिये कुछ व्यवस्था करे और इनके रहने और खाने पीने का प्रबन्ध करे, जिससे इस जाति का उत्थान हो सके

श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो आज अनुसूचित या पिछड़ी जातियों का अनुदान माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। इससे पहले अभी एक भाई श्री धनगर साहब बोले थे, मुझे कुछ ऐसा लगा कि जनता के प्रतिनिधि और उनसे निर्वाचित होकर आने वाले ऐसे लोगों के विचार यदि इस प्रकार के हों, आज जनतान्त्रिक प्रणाली के युग में परिवार के आधार पर जो बजट को देखते हों, तो मैं यह समझता हूं कि आज के भारत में ऐसे दकियानूसी विचारों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के विचार रखने वाले लोगों से न तो देश आगे बढ़ सकता है और न पिछड़े लोगों को ही ये विचार आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं कि ५ करोड़ २९ लाख लोगों के लिये पूरे बजट का हिसाब लगा कर उन्होंने बताया कि ८४ लाख रुपया इस पिछड़ी जाति और हरिजनों के लिये सरकार ने रखा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और उनकी बुद्धि पर बड़ा दुख होता है। कहां से उनकी बुद्धि के लिये और समझाया जाय, उनको यह बात मालूम नहीं है कि गड़रिया भी पिछड़ी जाति के लोगों में हैं, और उन गड़रियों को उन्होंने इस तखमीने में लगाया होगा। जो आज एक भाई भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होकर दूसरे राष्ट्रों में गये हैं, आवश्यकता पड़ने पर मैं उनको बतलाऊंगा। ऐसे लोगों को भी उन्होंने बताया होगा जो उसी पिछड़ी जाति के हैं, जिनकी लम्बी-लम्बी दीवारें और अट्टालिकायें हमारे प्रदेश में मौजूद हैं, उनका नाम भी उनकी लिस्ट में होगा और उनका नाम भी उसमें होगा जो एक से अधिक तादाद में झोपड़ियों में निवास करते हैं। मैं समझता हूं कि इस आधार पर बजट का तखमीना रखना देश के लिये और उस वर्ग के लिये बहुत अनुचित सी बात है। जहां तक हरिजनों के उत्थान की बात है, पिछड़ी हुई जातियों की तरक्की की बात है, यह सरकार तो अपनी ही सरकार है, हर पांचवे वर्ष जनता उसको इस बात का अधिकार देती है, फिर उसके आगे इस तरह की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। उसके रहते हुये इस तरह का प्वायजन उगलना देश और जाति के लिये घातक बात है। पहले हमें देश और प्रदेश की ओर देखना है। पहले हमें अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना होगा। यह सरकार जनता की है, अपनी ही सरकार है, जनता ने जब सरकार को बनाया है तो अवश्य ही वह उसका कल्याण करेगी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ायेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। जहां तक हरिजनों की शिक्षा की बात है, हम समझते हैं कि सरकार यह जानती है कि ये लोग अशिक्षित हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा आदमियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसी बजट में ५६ लाख रुपया हरिजनों की शिक्षा के लिये रक्खा गया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों को आगे बढ़ाने के लिये काफी धन रक्खा गया है। इससे हमें यह मालूम होता है कि उनके भविष्य के लिये यह धन रक्खा गया है। यही नहीं अगर आवश्यकता हुई तो उसको १० करोड़ ही नहीं ५० करोड़ तक भी बढ़ाया जा सकता है। यह सरकार अपनी सरकार है और उसको आवश्यकतानुसार हमारे ऊपर व्यय करना होगा। देहातों में खेती की तरफ, सड़कों की तरफ, कचहरियों की तरफ,

[श्री शिवप्रसाद]

दवाओं की तरफ और भिन्न-भिन्न प्रकार के विकासों की तरफ, जो व्यय होता है, वह केवल एक करोड़ ३० लाख आदमियों पर ही व्यय नहीं होता। उन्होंने कहा कि सब बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का ही शासन है। यह तो डेमोक्रेसी है, यहां किसी के परिवार या जाति का सवाल ही नहीं पैदा होता। जितनी स्वतंत्रता उनको मिली है उतनी ही हमें भी मिली है, ऐसी हालत में ऐसा वातावरण यहां पैदा करना उन लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करना है जिनके द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसलिये आज ऐसे विचारों और ऐसी प्रवृत्ति की आवश्यकता इस देश को नहीं है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने देश को आगे बढ़ायें। अगर हरिजन पिछड़े हुए हैं, या और कोई पिछड़ा हुआ है, तो हमें किसी जाति के आधार पर नहीं बल्कि मानव जाति के आधार पर उनको आगे बढ़ाना है, तरक्की के रास्ते पर उनको ले चलना है और यही तरीका हमारे बढ़ाने का हो सकता है। विकास के जितने भी कार्य हैं उनको हमें इसी आधार पर आगे ले चलना है। हरिजनों की बात जयपाल सिंह जी ने कही। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीजों का साम्प्रदायिकता के आधार पर ग़लत प्रचार करते हैं। जितनी स्वतंत्रता उन लोगों को है उनसे ज्यादा हम लोगों में है। वह भी हरिजनों के परिवार से आते हैं और हम भी उसी परिवार से आते हैं, लेकिन मेरे विचार से किसी भी हरिजन को ऐसे दकियानूसी विचारों की आवश्यकता नहीं है। आप के बच्चे तो बड़े-बड़े कालेजेज़ में पढ़ रहे हैं, आप के घर वाले एम० पी० हैं, आप एम० एल० ए० हैं, एम० एल० सी० की कोशिश में हैं। लेकिन उसी दृष्टि से आप सब लोगों के लिये सोचें तो यह इस देश और प्रदेश के हित की बात नहीं है। अगर हमारा देश आगे बढ़ता है तो हम भी चाहे जिस जाति के हों, आगे बढ़ेंगे। आज़ इस प्रदेश और देश के शासन में चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चमार हो या वैश्य हो और और किसी पिछड़ी जाति का हो, अगर वह देश के हित को देख कर चलता है तो उस में सब का हित होता है। देश की आजादी में सब लोगों ने मिल कर काम किया है। लोगों ने कुरबानियां की हैं फिर हमारे और आप के बीच में ऐसे विचारों की आवश्यकता कहां है? यह सही है कि हरिजन पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, दबे हुए हैं, और ऐसे लोग जो आज दबे हुए और पिछड़े हुये हैं, उनका उत्थान करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का काम है, लेकिन जात-पांत और साम्प्रदायिकता के आधार पर, परिवार के आधार पर इस विकास के युग में हम इस प्रकार सोचें तो न तो देश के विकास में ही उन्नति हो सकती है और न उस जाति का ही विकास हो सकता है, बल्कि देश के अन्दर साम्प्रदायिकता की भावना उत्पन्न होगी और ऐसी विचार धाराओं को हमें छोड़ देना है।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के अनुदान पर मैंने बहस सुनी और इससे यह प्रतीत हुआ कि आज हरिजनों में कितनी हाय है, जिससे वे चाहते हैं कि समाज ऊंचा उठे और समाज ऊंचा उठे इसके लिये कई पहलू हैं। हमें देखना यह है कि समाज का जो पिछड़ापन है उस की जिम्मेदारी सरकार पर है और अगर बजट में बढ़ोतरी होती है तो सरकार कोई हरिजनों पर अहसान नहीं करती। बल्कि वह हरिजनों के उत्थान के प्रति जिम्मेदार है और अपनी सरकार को कायम रखने के लिये उसे ऐसा सोचना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि समाज को उठाने के लिये सरकार ने जो योजनायें बनाई हैं उनमें मैं समझता हूं कि बहुत सी कमियां हैं।

अभी शिक्षा के बारे में जो बातें कही गईं मैं समझता हूं कि उस शिक्षा से समाज उठता नहीं। उन्हें वजीफे मिलते हैं, लेकिन जितने वजीफे मिलते हैं, उतनी ही बेकारी मिलती है क्योंकि वे लड़के पढ़ कर किसी भी लायक नहीं हो पाते सिवाय इसके कि नौकरी का मुंह ताकते हैं। जहां तक आर्थिक स्थिति को सुधारने का सम्बन्ध है, ज्यादा से ज्यादा लड़कों को गृह उद्योग की शिक्षा दी जाय, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ समाज बड़ा मेहनती और

परिश्रमी रहा है और हमेशा उसने दूसरे समाज की सेवा की है लेकिन पिछड़े होने के नाते वह आज सरकार की ओर देखता है कि सरकार उसे ऊंचा उठाये जब कि उसने अपने बल पर दुनिया की चीजों को बनाया है। आज मुझे दुख होता है कि जब सरकार ने छुआछूत को दूर करने के लिये एक सोशल डिसएबिलिटीज कानून बना दिया है तो उस कानून के द्वारा वह उन दकियानूसी लोगों को, जो छुआछूत मानते हैं, दंड क्यों नहीं देती। मैंने नहीं देखा कि कहीं भी इस कानून का उपयोग किया गया हो। छुआछूत मिटाने के लिये हरिजनोद्धार के नाम पर किसी तरह की सहायता देने से मैं समझता हूं कि छुआछूत बढ़ती जा रही है।

जहां तक रिजर्वेशन की बात आती है हम देखते हैं कि जहां हम लोगों में छुआछूत है वहां हरिजनों में भी बड़ी छुआछूत है। धोबी है, वह नहीं चाहता कि मेहतरों के कपड़े धोये लेकिन जिरर्वेशन के लिये सब से पहले आता है। फिर छात्रावास अलग बनाये जायं, स्कूल अलग बनायें जायं, इससे छुआछूत बढ़ती ही है। फिर जितने कौम के नाम पर स्कूल व कालेजेज हैं, मैं समझता हूं कि उनके नाम मिटा कर शिक्षा के नाम पर उन संस्थाओं के नाम रक्खे जायं। मैं देखता हूं कि स्कूलों में अनटचएबिलिटी वीक मनाया जाता है और इससे यह भावना उभड़ती है कि छुआछूत है और उसे मिटाने के लिये वह वीक मनाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा एक भावना यह भी पैदा होती है कि लड़ने तक की नौबत आती है। इसके मनाने से कोई समस्या का हल नहीं होता। जब एक कानून बना हुआ है उस के द्वारा छुआछूत मिटाना चाहिये। अगर कोई शख्स किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो फिर उसे इस कानून के जरिये दण्ड क्यों नहीं दिया जाता। मैं धन्यवाद देता हूं कि जिलों में एक आफिसर नियुक्त किया जायगा कि जो प्रान्त का संचालक है, उसके अन्दर ये भावनायें पैदा हों कि वह अपनी दृष्टि पर चश्मा लगाये और देखे कि कौन व्यक्ति है, किस तरह से बातें करें। जो जिले की सब कमेटी बनती है उसके निर्णय पर वह ध्यान न दे और अपना ही व्यक्तिगत निर्णय करे। इस बात की एक शिकायत आई कि जब जिले की सब कमेटी से निर्णय हो कर आता है तो क्या वजह है कि आप निर्णय करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम इसमें इंटरफियर न करें। क्या वह नफरत नहीं करते? जब सरकारी आदेश जाते हैं तो क्या उनके अनुसार कार्य करने को वह तैयार होते हैं? दूसरे सरकार ने उनको गाड़ियां दी हैं लेकिन हम देखते हैं कि वह आगरे जाते हैं और ताजमहल देखते हैं और संस्थाओं का वह निरीक्षण करते हैं और साथ में उनके बीबी बच्चे भी जाते हैं। मैंने अपने यहां की बात आप को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी लिखी थी, वह हमारे यहां अलीगढ़ जा रहे थे, और बिना खबर दिये हुए हमारे यहां आये, और हमारा अपमान हुआ, जिसके यहां ग्रान्ट दी गई हो उसके यहां निरीक्षण करने जायं। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहा था, ऐसे डायरेक्टर जहां हों, जिनको पता नहीं किस को ग्रान्ट दी गयी है और जिनको कुछ पता नहीं और किसी व्यक्ति के यहां इस तरह से अचानक पहुंच जाना और ऐसे व्यक्ति का निरीक्षण किया जाय जहां कोई चीज न हो कहां तक उचित है। सरकार ने जवाब दिया था कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में प्रश्न भी लाया था लेकिन नियम १५४ के अनुसार वह नहीं माने गए, मैं समझता हूं कि ऐसे दकियानूसी अफ़सर न रहने चाहिए और उनको ऐसे पद से हटा देना चाहिए, जिनकी ऐसी मेन्टेलिटी हो और समाज को उठाने के बजाय जिनकी और उसको बदनाम करने की नीति हो। वह समाज का कल्याण क्या कर सकते हैं और क्या उस को उठा सकते हैं, यह सोचने की बात है। इस तरह से हमारी आत्मा को दबोचा जाता है और इस तरह से वह उल्टा हमें कलंकित करने की चेष्टा करते हैं। इस से तो यही उचित है कि अनुदान न दिया जाय।

मैं चाहता हूं कि हरिजनों को प्राइमरी एजूकेशन से दसवें दर्जे तक की किताबें दी जायं और हमारे केन्द्र स्थापित किये जांय, क्योंकि हम परिश्रमी इतने हैं कि हम सड़कें,

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

इमारतें और रेल आदि में मेहनत के कार्य करते हैं और हमें विश्वास है कि हम लोगों को जहां भी लगाया जाय उस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं।

*श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आज के इस अनुदान पर माननीय शिक्षा मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन्होंने बहुत ही कृपापूर्वक ११ लाख अधिक रुपया पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष हरिजन उत्थान के लिये बजट में रखा है। जहां तक बजट में अनुदान का प्रश्न है हम सदैव ४–५ वर्ष से यह देखते आए हैं, कि रुपया कम जरूर रखा जाता है, लेकिन जब-जब आवश्यकता पड़ती है तब-तब उस रुपये की पूर्ति कर दी जाती है, और हमारी आवश्यकताओं को दूर कर दिया जाता है।

जहां तक इस हरिजन कल्याण विभाग का सम्बन्ध है, उसके एक वर्कर के नाते और यहां के सदस्य के नाते, मैं यह कह सकता हूं कि जितना कार्य इस विभाग के द्वारा हुआ है, वह आप मानें या न मानें आप की इच्छा, बहुत काफी काम हुआ है, जिससे हम लोगों को संतोष तो मान ही लेना चाहिये, आ ही जाना चाहिये। हमारी शिक्षा में सुधार हुआ, व्यापारिक धन्धों में हमें सहायता दी गई लेकिन इससे पहले के जमाने में कितनी सहायता दी जा रही थी? कौन से विशेष कार्य हमारे लिये किए जा रहे थे? जब आदमी बुद्धि से काम लेता है तो वह आगे और पीछे दोनों तरफ देखता है। आप देखें कि हमारी पीछे क्या दशा थी और अब क्या दशा है? हमें समझना चाहिये कि कितना सुधार हो रहा है और यह जरूर है कि हम इससे ज्यादा सुधार चाहते हैं, लेकिन सब बातों को दृष्टि में रख कर हमें बात कहना चाहिए। अभी हमारे माननीय सदस्य धनगर जी ने एक बात कही थी निर्धनता के कारण हरिजन सदस्य स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र में चुनाव के लिये खड़े नहीं हो सकते हैं और पार्टी का सहारा उनको लेना पड़ता है। मैं अपने जिले की बात कहना चाहता था कि ऐसा कहने से पहले उनको यह मालूम करना चाहिये था कि मेरठ जिले में ही हमारे यहां १९ सदस्य हरिजन खड़े हुये थे और केवल दो तीन किसी पार्टी से खड़े हुए थे और उन्होंने अपना पैसा खर्च किया, लेकिन कांग्रेस का प्रभाव जनता पर अधिक था, इसलिये वह सफलता प्राप्त न कर सके। तो हमारी तरफ स्वतंत्र रूप से हरिजन एलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन वह उनके कहने के अनुसार इतने निर्धन या कमजोर नहीं हैं जितना वह समझते हैं। आज हरिजनों का कौन सब से ज्यादा शोषण करता है और कितने खेतिहरों के झाड़े हैं आज उनके लड़के विलायत में, यूरोप में शिक्षा पाने जाते हैं, उन पिछड़ी जातियों के लोगों के लड़के, और वह अपने पैसे से भेजते हैं। लेकिन आज हरिजन का कोई बच्चा नहीं जा सकता, क्योंकि वह वास्तव में निर्धन है, उनके पास पैसा नहीं है।

अभी हमारे भाई साहब ने डाइरेक्टर साहब पर दोषारोपण कर दिया। भाई, अगर किसी विभाग के मुताल्लिक़ निरीक्षण करने की आवश्यकता हुई, मान लिया कि नहीं मालूम था, लेकिन वह चले गये तो इसके यह मानी नहीं होते कि वह दोषी हैं। अगर कोई आदमी इन्क्वायरी करता है तो उसको दोषी ठहराएं, इसके यह मानी नहीं हैं। आप के यहां हो या न हो, वह बात दूसरी रही। लेकिन हाऊस में इस तरह से किसी आदमी के लिये कहना यह उचित नहीं है। मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। श्रीमान् जी, वाकई में मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं कि जो सरकार को कार्य करना चाहिये वह अभी नहीं हुआ है और हम प्रत्येक साल कहते आये हैं, लेकिन आज तक सरकार के पास लिस्ट नहीं आयी कि हमारे कितने विद्यार्थी प्रान्त में पढ़ते हैं, किस-किस क्लास में हैं, कितने बेकार हैं, कितने सर्विस में हैं, और कितने उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, कितनों के पास मकान हैं और कितनों के पास नहीं हैं? आज भी लिस्ट नहीं बतलायी जा सकती। हम बार-बार कहते हैं कि रखिये ताकि मालूम हो। जिस तरह हरिजन पहले रहते थे आज भी रहते हैं। आज एक करोड़ ८४

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाख का बजट है। दस बारह करोड़ रुपये का बजट कम से कम होना चाहिये हर साल। जहां तक उनकी बेकारी का सवाल है इसके लिये उद्योग धंधों का प्रबन्ध किया जाय। उसके लिये काफ़ी रुपया रखिये ताकि वे उद्योग धंधे सीख सकें, क्योंकि जमीन इतनी नहीं है कि जमीन सब में बांटी जाय। आप के पास एक लिस्ट होनी चाहिये जिससे मालूम हो कि आप के विभाग के द्वारा कितने आदमियों को नौकरियों में भर्ती किया गया। यह खेद की बात है कि १८ आदमी चाहिये, लेकिन चार लिये जाते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—मैं, अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—तो अब ८ बजे तक बैठेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हरिजन बजट की बात है वैसे देखने में आंकड़े सालाना बढ़ते गये हैं लेकिन इस पूरे बजट पर अगर दृष्टि डाली जाय तो १४८ करोड़ के बजट में सिर्फ ८४ लाख रुपया हरिजनों के लिये निर्धारित करना ऊंट के मुंह में जीरा है या जिसे अंग्रेजी में "ए ड्राप इन दी ओशन" कह सकते हैं। इतने बड़े बजट में इतना थोड़ा रुपया हरिजनों के लिये रखा जाना बहुत न्यूनतम है और इससे हरिजनों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई नहीं दे सकता हूं कि उन्होंने सालाना कुछ न कुछ रुपया बढ़ाया है क्योंकि इस तरह से रुपया बढ़ा कर थोड़ा-थोड़ा हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री या सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या हरिजनों के लिये जो छुआछूत है या जो अस्पृश्यता है क्या वह मिट चुकी है? या कोई अस्पृश्यता को नहीं मानता है तो इसका उत्तर हम 'न' ही में दे पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आप जोरावर वर्मा लेते हैं और मैं भी लिखता हूं। यह सन् १९४० की बात है। मैं लिखना चाहता था जोरावर सिंह तो प्रिन्सिपल को धमकी दी गई और मुझे भी धमकी दी गई.....

श्री अध्यक्ष—अगर आप चाहें तो मैं यह नाम अपने यहां दर्ज कर लूं।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इसके दर्ज करने का नहीं है बल्कि इसी प्रकार से मैं बता रहा हूं आज भी वही परिस्थिति है। हमारे एक पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी साहब कहीं गये थे दौरे पर, उनके लिये जो पार्टी अरेन्ज की गई उन्हें भी पत्तों में खिलाया गया। उनके साथ एक पंडित जी थे तो उन्होंने कहा पंडित जी मुझे आप पर दया आती है मेरे पीछे आपको भी पत्तों में खाना पड़ा। उनके साथ और भी हमारे साथी थे तो उन्होंने कहा कि यहां "सिंह" लोग काफी रहते हैं तो कृपा करके अपने नाम के पीछे सिंह न लगायें तो यह आज भी परिस्थिति है। अध्यक्ष महोदय, मुझे शादी विवाहों में जाने का मौका मिलता है और मेरे साथियों ने कहा कि मैं सब के साथ बैठकर खाऊं, लेकिन समाज की परिस्थिति ऐसी है कि समाज के साथ आज हम भोजन नहीं कर सकते, यह हाल है। हमारे कुछ लोग कृतज्ञ हैं कि समाज में हमको उचित स्थान मिल गया है। यह तो है अस्पृश्यता की बात।

[श्री जोरावर वर्मा]

जहांतक सर्विसेज की बात है यद्यपि यहां १८ फी सदी अर्ध सरकारी आदेश के हिसाब से जगहें देने का आदेश है। लेकिन यहां रोज प्रश्न होते हैं और उनका उत्तर मिलता है कि हरिजन बहुत ही नाम मात्र के लिये गये हैं। जो उनका कोटा है १८ फी सदी उनके अनुसार उन्हें लिया गया। इसका कारण क्या है? वह यह है कि सर्विसेज के विषय में हम यह नहीं कह सकते कि हमारे यहां बहुत प्रोग्रेस हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक दिन बहुत ही बुरा लगा जिस समय उपमंत्री नियोजन से पूछा गया था कि ग्राम सेवकों में हरिजनों की संख्या कितनी है तो मालूम हुआ बहुत थोड़ी है और कारण यह बताया कि वे आयोग्य हैं। तो मुझे याद आता है कि अंग्रेजों के जमाने में आई० सी० एस० के इम्तहान में हमारे भारतीय भाई बैठा करते थे तो अंग्रेज कहा करते थे कि हिन्दुस्तानी काला आदमी जो है वह ठीक से पढ़ना लिखना नहीं जानता है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवकों में हरिजनों के नम्बर कम आये? मैं कहता हूं कि गांव का जितना अच्छा काम हरिजन कर सकते हैं वह दूसरे नहीं कर सकते हैं। मैं इसके लिए चैलेंज करता हूं। तो इस तरह से कह देना, मैं कहता हूं कि आप मुझे अप्वाइंटिंग अथारिटी कर दें, तो मैं माननीय पंत जी को और फूल सिंह जी को फेल कर दूं और झाड़ू लगाने वाले को पास कर दूं क्योंकि यह तो अप्वाइंटिंग अथौरिटी के ऊपर है जिसको चाहे नियुक्त करे जिसको न चाहे न करे। जिस प्रकार हमारे यहां सदन में ८३ हरिजन सदस्यों की सीटें हैं और इतने आपको पोलिटिकल सफरर नहीं मिले, पढ़े लिखे नहीं मिले, लेकिन तब भी हमारे यह जैसे चाहे सदस्य आ गये भवन के सदस्य होकर, तो जब आप इस विषय में सचमुच कांस्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव को मानते हैं, उसी प्रकार सर्विसेज में भी मानना चाहिये, यह मानते हुए भी कि हम लोग ऐसे हैं।

अध्यक्ष महोदय, छुआछूत के बारे में हमारे यहां इतने मंत्री, उपमंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, तो मेरा तो यह दावा है कि अगर एक आदमी चपरासी हरिजनों में से रख लें तो छुआछूत बहुत कुछ दूर हो जाय और इनकी भावनाओं का पता लग जाय कि सचमुच में वे छुआछूत में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे बेचन राम जी, एम० एल० ए० बनारस वाले बैठे हुए हैं वे इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण हैं कि छुआछूत दूर नहीं हुई है। मन्दिरों में हरिजनों को घुसने नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय डाक्टर साहब सीताराम जी उपमंत्री शिक्षा का लिखा हुआ मेरी नजरों के सामने एक लेख आ गया तो मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़ देना चाहता हूं। बापू जी की क्या इच्छा थी कि हम अस्पृश्यता किस तरह से दूर कर सकते हैं यह उन्होंने लिखा है।

"अस्पृश्यता-निवारण स्वराज्य से कहीं अधिक गहरे मूल्य की वस्तु है और मैं कहूंगा कि स्वराज्य से निर्मित हुआ शासन विधान व्यर्थ का भार होगा यदि उसकी नींव नैतिक बल पर आधारित नहीं है और यदि वह आज लाखों पददलितों के हृदय में इस आशा का संचार नहीं करता कि यह भार उनके कंधों पर से उठाया जा रहा है।"

क्या मैं माननीय डा० साहब से और सभी इस भवन के सदस्यों से पूछ सकता हूं कि जिस प्रकार स्वराज्य की लड़ाई में सब ने जाकर के अंग्रेजों की गोलियों का मुकाबिला किया, कितने लोग उसमें बलिदान हुए, इनमें से कोई भी माननीय सदस्य यह कह सकता है कि हरिजन उद्धार के लिए, इस छुआछूत को दूर करने के लिये, अभी मैंने जिनका नाम लिया माननीय बेचनराम जी का, उनको छोड़कर किसी ने भी हरिजनों के लिये कुछ किया? क्या उन्होंने इस बात की कोशिश की कि जहां

हरिजनों को अधिकार नहीं है वहां उनके लिए कुछ लड़ाई लड़ें ? अगर सचमुच में गांधी जी की इस बात को आप मानते हैं कि हमें अस्पृश्यता को मिटाना है तो क्या इसी तरह से अस्पृश्यता मिटेगी ? यहां तो अध्यक्ष महोदय, बात ऐसी है कि चूंकि हम कांग्रेस सीट से आये हैं, इसलिये हमें कुछ न कुछ अहसान तो निबाहना ही है, इसलिए खड़े होकर कुछ न कुछ कह दिया । माननीय तुलाराम जी ने कहा कि हरिजनों के लिए बहुत किया गया, मैं तो उनको सुन रहा था आखीर में उन्होंने खुद कह दिया कि सर्विसेज में उनके साथ पक्षपात किया गया, इसी को कहते हैं कि सिखाया पूत दरबार कहीं जाता ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके यह वापस ले लीजिए । उनको सिखाया हुआ आप न कहिए ।

श्री जोरावर वर्मा—मैंने उनके लिए नहीं कहा । फिर भी मैं वापस लिए लेता हूं । वह तो मैं यह कह रहा था कि कोई कितना ही कहे कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन जो सच्ची बात होती है वह निकल ही आती है । तो इसी प्रकार कुछ बातें और कही गईं । हमारे भाई हरिसिंह जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे जो हरिजन भाई देहात में बिना घर के हैं उनके लिए आप रहने का तो इन्तजाम कीजिए । अभी हमारे नियोजन मंत्री जी हमारे यहां मौदहा गए थे, उन्होंने वहां लोगों से पूछा तुम्हें क्या तकलीफ है, लोगों ने कहा कि कोई तकलीफ नहीं । लेकिन मैंने उनसे कहा कि हरिजनों के रहने के लिए मकान नहीं हैं, दूसरों के मकानों में वह रहते हैं, उनके लिए रहने का तो बन्दोबस्त किया जाय । वह दूसरों के मकानों में रहते हैं और वह दो चार रुपये महीना में उनसे काम कराते हैं । अगर वह काम नहीं करते तो उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं । आप गावों में जाकर देखिए हर गांव में ५, ६ हरिजन ऐसे मिलेंगे जो मार्गेज किये जाते हैं, रेहन रक्खे जाते हैं । आज भी दास प्रथा गांव-गांव में मौजूद है । एक किसान से वह रुपया लेते हैं तो उसके यहां मार्गेज हो जाते हैं और जब वह रुपया ट्रांसफर किया जाता है, तो वह दूसरे के यहां मार्गेज हो जाते हैं । इस प्रकार मैं यह निवेदन करूंगा कि हरिजन विभाग के लिए जितना रुपया दिया गया है उससे और अधिक दिया जाना चाहिये ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं.....

श्री अध्यक्ष—पिछले दिन आप हरिजनों की बात कर रहे थे, अब करिए ।

श्री सीताराम शुक्ल—इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मगर इसके साथ-साथ मैं समय बढ़ाने वाले साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि अगर समय उन्होंने न बढ़वाया होता तो मुझे मौका न मिलता । समय इतना कम है कि हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता है । इसलिये संक्षेप में.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप जवाब देने के लिये नहीं खड़े हुए हैं । वह मिनिस्टर साहब जवाब दे लेंगे । आप अपनी राय रखिए ।

श्री सीताराम शुक्ल—संक्षेप में मैं अर्ज करता हूं । अफसोस कि शिक्षा मंत्री जी चले गए हैं । लेकिन अब तो वह आ गए । अध्यक्ष महोदय, आपने अभी देखा है कि कितने जोश और कितने गुस्से के साथ माननीय धनगर साहब ने स्पीच दी और मैं उनसे सहमत हूं एक प्वाइंट पर आपको व्याख्यान देने का चार घंटे का समय मिलना चाहिये, बशर्ते विषयान्तर न हो; क्योंकि लीपापोती से काम नहीं

[श्री सीताराम शुक्ल]

चलता । दिल खोल कर बात करने का मौका मिलना चाहिए । मुझे अफसोस है कि हमारे सवर्ण भाई इस वक्त यहां बहुत कम हैं । यह क्या तरीका है कि अगर कोई बात हमसे कही जाय तो हम सुनें नहीं। हमें उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिये और अगर शिकायत सही हो तो उसे मंजूर करना चाहिये।

दूसरी बात जो आपने फरमायी कि ऊंची जाति वालों में शादी होनी चाहिये। पहले यहां एक जाति थी जिसने जबर्दस्ती ऊंची जाति वालों से शादी की थी मगर झगड़ा बढ़ता गया । तो यह मत कहो, यह कहो कि जाति पांति का ख्याल किये बगैर शादी होनी चाहिये । कालेजों से लड़के लड़कियां निकलते हैं वे तो अपने पसन्द की शादी कर रहे हैं । यह कहो कि बालिग लोगों में शादी हो और लड़कों लड़कियों की राय से शादी हो। और मैं कहता हूं कि अगर योग्य हरिजन होगा तो सवर्ण की लड़की उसे जरूर पसन्द करेगी।

दूसरी बात आपने यह फरमायी की इतना बड़ा बजट है लेकिन हरिजनों पर बहुत कम खर्च हो रहा है । तो क्या आप समझते हैं कि सड़कें जो बनायी जा रही हैं उन पर हरिजन नहीं चलते हैं? अस्पताल जो खोले जा रहे हैं वहां हरिजनों को दवा नहीं मिलती या और जो काम हो रहे हैं उनसे हरिजनों को फायदा नहीं है? वह तो जितने काम हो रहे हैं उनसे हर जाति वाले को फायदा मिलता है । जरा यह हिसाब जोड़िये तो आपके आंकड़े गलत हो जायेंगे ।

कुछ लोगों का खयाल है कि छुआछूत मिटाने के लिये अगर हरिजनों को सरकारी नौकरियां मिल जायं तो आसानी से मिटायी जा सकती है। ठीक है सामाजिक स्तर ऊंचा होने पर उसका असर पड़ता है। चूंकि आजकल धनी और गरीब की जाति है। धनी सवर्ण के यहां अगर एक धनी हरिजन आता है तो उसके स्वागत में वह सैकड़ों रुपये खर्च कर देता है। लेकिन अगर गरीब सवर्ण उससे पांच रुपये कर्जा मांगने के लिये जाता है तो वह कहता है कि मेरे पास हैं नहीं। इसी तरह से और किसी धनी हरिजन के यहां धनी सवर्ण जाता है तो उस पर वह सैकड़ों रुपये खर्च कर देता है, लेकिन अगर कोई गरीब हरिजन उससे कर्ज मांगने जाता है तो कहता है कि मेरे पास रुपये नहीं हैं। सवाल धनी और गरीब का है इसलिये नौकरियां पाने से कुछ तो फायदा मिल सकता है, लेकिन पूरा फायदा नहीं मिलेगा । इसके लिये जरूरत है प्रचार करने की । सरकारी नौकरी कौन कहे यहां पर तो मुसलमान बादशाह थे, लेकिन छुआछूत नहीं गयी । यहां पर तो अंग्रेज हुकूमत करते थे, गवर्नर लाट थे, बड़े-बड़े अफसर थे, मगर छुआछूत नहीं गयी यहां से । इसलिये सिर्फ ऊंची नौकरी दे देने से ही छुआछूत नहीं मिटेगी, कम हो सकती है, मगर मिटने के लिये जरूरत है प्रचार करने की न सिर्फ ऊंची जाति वालों में बल्कि हरिजनों में भी । एक शिकायत हमारे भाइयों ने की और सही की कि बाज बोर्डिंग हाउसेज में जहां हरिजन भाई भी रहते हैं वहां सवर्णों के लड़के कहते हैं कि हम खाना नहीं खायेंगे । अध्यक्ष महोदय, कानपुर की बात है एक कालेज में ऐसा ही हुआ तो हरिजनों ने एतराज किया। तो उन्होंने कहा, अच्छा। एक भंगी से खाना बनवाया गया । तो हरिजन कहने लगे कि हम नहीं खायेंगे ब्राह्मण से ही बनवाओ । तो छुआछूत हरिजनों में भी है और ऊंची जाति वालों में भी है। तो छुआछूत मानने से ब्राह्मणों का भी नुक्सान हो जायगा, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है कि आदमी आदमी से नफरत करे। हमारे शास्त्र भी विरोध करते हैं । कुछ लोग यह ऐतराज करते हैं कि ब्राह्मण ने ठगने के लिये शास्त्र बनाये हैं लेकिन वह भूल जाते हैं कि वे अगर एक पेज उलट

दें तो दूसरा मतलब भी निकल आता है। जैसे कहा है कि "विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तिनि निचैश्वपाके च पंडिता समदर्शिनः", अर्थात विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चान्डाल को विद्वान लोग सम भाव से देखते है।

इसके आगे ही है—"सियाराम मय सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुग पानी" यह तुलसीदास ने कहा है। लोग एक चौपाई पढ़ लेते हैं और याद रहती है लेकिन दूसरी भूल जाते हैं या पढते ही नहीं है। शास्त्रकारों की तो आज्ञा है कि ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों से नफरत न करें और यह उनको जेबा नहीं देता है। इसी प्रकार से मेरा कहना यह है कि इस बात का ऊंची जाति वालों में और हरिजनों में भी प्रचार करना चाहिये। हुजूरवाला, यह कानून से दूर नहीं हो सकती है। कानून तो बन गया है और अगर कोई छुआछूत मानेगा तो उसे सजा मिलेगी।

यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोग कांग्रेस की टोपी पहनते हुये भी उसके कुछ मेम्बर्स छुआछूत मानते हैं। कागज पर लिख देते हैं कि मैं नहीं मानता लेकिन फिर भी मानते हैं। पढ़े हैं, लिखे हैं और दर्जा पास है और मैं सबूत दे सकता हूं कि वह छुआछूत मानते हैं। इसलिये यह चीज प्रचार से ही ठीक हो सकती है और इसके लिये आर्यसमाजी प्रचारक ज्यादा ठीक होंगे। इस काम के लिये आप एम० ए०, बी० ए० न देखें बल्कि यह देखें कि कैसा बोलता है और चरित्र कैसा है? ऐसे लोगों को रखकर फायदा उठाया जा सकता है।

अंत में मैं यह कह देना चाहता हूं कि अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी देने से क्या नुक्सान होगा? मान लीजिये तीन डाक्टर आये। एक फर्स्ट क्लास दूसरा सेकिंड क्लास और तीसरा थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास वाले डाक्टर साहब की बिरादरी के बहुत से आदमी हैं नौकरी पर, सेकिंड क्लास वाले के भी हैं और थर्ड क्लास वाले के नहीं हैं और उसे रख लिया गया। किन्तु अगर डाक्टर साहब गलत दवा दे देंगे तो दवा यह नहीं देखेगी कि यह बिरादरी का मरीज है या दूसरी जाति वाले का, उससे ऊंची जाति वाले को भी नुक्सान पहुंचेगा और नीची जाति वालों को भी नुक्सान होगा। एक थानेदार रखना है अगर उसका कद वगैरा नहीं देखा गया तो चोर भाग जायगा। लिहाजा कहिये कि हमें काबिल बनाया जाय। हमें टयूटर दिये जायं, सुबह शाम पढ़ाया जाय और बचपन से ही हमें खाना मिलना चाहिये उसके लिये मैं आपके साथ हूं। लेकिन नौकरियां तो उसी को मिलनी चाहिये जो योग्य और फिट हो और गलत आदमी को देने से नुक्सान होगा। हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर हमारे डाक्टर सीताराम साहब बैठे हैं आपके लिये अमरीका से ३,००० रुपये माहवार का औफर आया है कि हमारे यहां नौकरी कीजिये परन्तु आपने मंजूर नहीं किया। योग्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि दुनियां में होती है। लिहाजा डाक्टर साहब डिप्टी मिनिस्टर ही नहीं बल्कि माननीय मिनिस्टर भी होंगे क्योंकि योग्यता की कदर होकर रहेगी, तभी सब का कल्याण होगा।

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस आदरणीय सदन का बहुमूल्य समय लूं क्योंकि यह मौका ऐसा है कि हरिजन साथियों में से जितने साथी अपनी बात कह सकें उतना ही अच्छा है पर एक दो बात से जिससे मेरे महकमे का संबंध है, उनको कह देना आवश्यक समझता हूं। हरिजनों का मसला देश का मसला एक तरह से है। इसमें जितनी सहायता हो रही है उसमें हेर-फेर और इजाफे की गुंजायश है पर, मेरे नजदीक जो साथी इस मसले की आड़ में गलत बात कहते हैं, वह हरिजनों

[श्री फूलसिंह]

की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि उनसे उनका उलटे अहित होता है। मैं समझ नहीं सका कि क्यों सिंह नाम रखने से वहां दिक्कत हो रही है। मेरे जिले के दो मेम्बर्स हैं जिनके सिंह नाम हैं।

(इस समय ७ बज कर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री महीलाल पीठासीन हुये।)

और इतने व्यक्ति हैं, उनको शायद ठाकुर कहते हों। मैं नहीं समझता कि इसमें क्या दिक्कत है। अगर है तो हमारे साथी को हिम्मत करनी चाहिये, सख्ती बरदाश्त करनी चाहिये, उसका मुकाबिला करना चाहिये। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात कहां हो सकती है, पर खैर।

मैं एक बात कहने जा रहा था हरिजनों के रेक्रूटमेंट के सिलसिले में। यह सही है कि जितनी संख्या में हरिजनों को नौकरी मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पायी है। यह भी सही है कि कुछ जगहों में सरकारी कर्मचारी भी ऐसे हों शायद, कि जो अपने फर्ज को पूरी तरह से अदा न कर सके हों इस सम्बन्ध में। जहां तक मेरे महकमे का ताल्लुक है हमने तो यह हिदायत खास तौर से जारी कर दी है कि जितनी वेकेन्सीज होंगी उनमें कुछ करो, लेकिन रखो हरिजन को और वह किसी शर्त पर भी गैर हरिजन को नहीं रख सकेंगे। मेरी समझ में जो रेक्रूटमेंट हुआ है उसमें हरिजन अपनी तादाद से कम आये हैं। लेकिन यह अच्छा नहीं लगता कहना कि वह इसलिये कम आये हैं कि जो बोर्ड के मेम्बर हैं वह बेईमान हैं। इससे हरिजन का कोई नफा नहीं होता है। मैं यह कह सकता हूं कि न तो बोर्ड को यह मालूम था और न किसी और को ही मालूम यह था कि कितने नीचे नम्बर तक के हरिजन लिये जायंगे और जब फेहरिस्त सामने आई और यह सोचा गया कि ४० जिसके नम्बर आये हैं उसको ले लिया जाय और उसमें देखा यह गया कि हरिजनों के नाम १०, १५ नीचे हैं, तो उनके नामों को वहां तक के ले लिया गया। जहां सवर्णों के ४० नम्बर हैं वहां हरिजनों के ३० ही हैं। एक जगह मैंने ५५वें नम्बर तक के नाम रखे थे। यह कहना भी ठीक नहीं है कि सब हरिजन लायक हैं और बाक़ी सब नालायक हैं। यह लायकी और नालायकी बिरादरीवार बंटी नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि दो एक हरिजन लड़के ऐसे हैं महकमे में कि जिनको जगह-जगह बदलता हूं लेकिन वह खपते ही नहीं हैं। यह कहना कि सब नालायक हैं, मैं समझता हूं जोरावर वर्मा जी ही कह सकते हैं। यह कहना कि सब नालायक हैं, ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप में सौ फीसदी ईमानदारी हो, औरों में ५, ७ फीसदी ईमानदारी ही हो। अगर ऐसा सोचा जाय कि बाकी सब बेईमान हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है और आप को यह शायद जानकर खुशी होगी कि हरिजनों की कम संख्या को देखकर हमने यह तय कर लिया है कि अब की रेक्रूटमेंट बैकवर्ड और हरिजन क्लास का ही होगा। अखबारों में छप गया है, दरख्वास्तें ली जा रही हैं। तो अगर इस सम्बन्ध में कुछ अच्छे शब्द कह दें तो उससे हरिजनों का फायदा भी होता और काम करने वालों की हिम्मत भी बढ़ती। अगर आप यह कहते रहें कि सब बेईमान हैं तो चलते बैल को और मारने से फायदा न होगा। हम इस बात को देखेंगे कि जो रेक्रूटमेंट का बोर्ड है उसमें हम हरिजनों को रखें। इसकी हम कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जिस काम को करना है और जिस पर सब को इत्तफाक है उसके बारे में इस तरह की बात करने से नुकसान ही हो सकता है, फायदा नहीं। इसमें क्या नफा है कि गंदा शब्द कहा जाय। गांव के लोग कहते हैं कि गंदा शब्द मुंह से निकालने से मुंह से बदबू निकलने लगती है। मैं नहीं जानता कि बदबू निकलने लगती है या नहीं, लेकिन जब काम यूं ही हो जाता है तो गंदा शब्द मुंह से निकालने की जरूरत भी क्या है? आप अपनी बात को सीधे शब्दों में ही कहां रखें और मुझे और आशा है कि हमारे साथी मिनिस्टर साहब भी जो इस महकमे के हैं वह सब इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजों को देखा जाय। तो यही दो एक बातें मुझे आपके सामने रखनी थीं।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप ने जो मुझे अनुदान पर बोलने का मौक़ा दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अधिष्ठाता महोदय, यह जो अनुदान प्रस्तुत है इसमें जो माननीय मंत्री जी ने बढ़ोत्तरी की है, उस के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। हमारे देश में वर्गविहीन और जाति विहीन समाज कायम करने के लिये हमारे नेताओं की, सब दलों की इच्छा है और बापू जी की भी यही इच्छा थी। अब इस देश में वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज कायम करने के लिये वह वर्ग जो जाति-पांति के कारण अपमानित था, वह दबाया गया और वही वर्ग जो देश की सभी दौलत पैदा करने वाला वर्ग था, जसने खेती में अच्छा काम किया है, कारखाने में दौलत पैदा की और अच्छे कारीगरी में काम किये हैं, यह पिछड़ा हुआ वर्ग और हरिजनवर्ग है और देश की दौलत पैदा करने वाले वर्ग का यदि शोषण न किया जाय और ठीक तरीके से इसकी कमाई को उसको ही उपयोग करने दिया जाय, तो उनको किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यह रहा कि जाति पांति के कारण देश में कमजोरी आई, इसी कारण देश गुलाम हुआ हमारे देश से जाति-पांति को मिटाना हम सब का फर्ज है। हम सब लोगों की यह इच्छा है कि इसको मिटाया जाय और सब से ज्यादा उस वर्ग की इच्छा है जो जाति-पांति के कारण पददलित और शोषित होता रहा है और उन्नत वर्ग आगे बढ़ता रहा है। जो समझदार हैं और विचारवान् हैं, जो न्यायप्रिय हैं वह जाति-पाति के भेद को मिटाना पसन्द करते हैं और वे लोग जो असमानता का भाव रखते हैं और जाति पांति के कारण, जिन लोगों ने लाभ उठाया है, उसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं, जो यह चाहते हैं कि यह बना रहे। हमारे सरकारी कर्मचारियों की मनोवृत्ति वही कायम है और सरकार को ऐसे कर्मचारियों के दिमाग से इस प्रकार की मनोवृत्ति निकालने का प्रयत्न करना चाहिये। तभी हमारे देश की उन्नति और जातिविहीन समाज की स्थापना हो सकती है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में इसलिये कहना चाहता हूं कि जो हरिजनों को सुविधा दी गयी है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। उनको ज्यादा सुविधा देनी चाहिये क्योंकि वह वर्ग सब से ज्यादा दबाया गया है। पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह से सरकारी नौकरियों में जाने के लिये मैं इसलिये जरूरी समझता हूं कि जो सामाजिक असमानता है उस का गांव-गांव में असर पड़ता है। जिस बिरादरी के लोग सरकारी नौकरियों में ज्यादा होते हैं, अगर वह गांव में जाते हैं, तो वहां के बिरादरी के लोग सोचते हैं कि यह हमारे वंशज हैं। इसलिये गांव की जो सामाजिक असमानता है उसको मिटाने के लिये सरकार को नौकरियों में हर वर्ग के लोगों को लेना चाहिये।

दूसरी बात सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में यह भी है कि आज सरकारी दफ्तरों में, कचहरी में, जिस वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में ज्यादा होते हैं, उस वर्ग के लोग जब वहां पर जाते हैं, तो उनका काम बहुत जल्द और सुविधा के साथ हो जाता है और बिला किसी पैसे के खर्च किये हुए ही हो जाता है। जिस वर्ग के लोग सरकारी नौकरी में कचहरी या सरकारी दफ्तर में नहीं हैं, उनका काम सुविधा के साथ नहीं होता है। मुझे खुद एक बार ऐसा मौका मिला कि जब एक बार मैं एक सरकारी अधिकारी से मिलने के लिये बैठा था। मैं वहां पर बैठ कर बहुत देर तक इन्तजार करता रहा और दूसरे लोग जो मेरे पीछे मिलने के लिये आये उन लोगों को मिलने का अवसर मिलता गया। तो मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया। इसी तरह से सरकारी दफ्तरों में उनका काम जल्द हो जाता है। अगर हर वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में हों, तो फिर उनका काम भी सुविधा के साथ हो सकता है। अगर आप पिछड़ापन दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिये इस प्रकार का कदम उठाना जरूरी है। जिस तरह से आज कम्पटिशन में लोग बैठते हैं,

[श्री रामवचन यादव]

जिनके घर में समाचार-पत्र आते हैं, और अच्छे-अच्छे लोग मिलने आते हैं, आई० सी० एस० और आई० पी० एस० के लोग बड़े-बड़े कर्मचारियों के लड़के कम्पटिशन में बैठते हैं, तो जनरल नालेज में किसान का लड़का उनके मुकाबले में नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनियां की वह कम जानकारी रखता है, क्योंकि वह दुनियां की बातों की कम जानकारी रखते हैं, उनको अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ने को नहीं मिलती हैं। इसलिये थोड़े दिन के लिये पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में संरक्षण की जरूरत है। इस सदन में एक गैरसरकारी प्रस्ताव पास हुआ था सरकारी नौकरियों के लिये, लेकिन अभी तक उसके सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। थोड़े दिन में इस पिछड़ेपन को खत्म कर दिया जाय, क्योंकि यह अच्छा भी नहीं लगता है कि देश में यह वातावरण रहे, इसलिये जितनी जल्दी हो १० साल के अन्दर सबको एक ही स्तर पर कर दिया जाय। फिर कोई झगड़े की बात ही न रह जायगी। इससे हमारा देश मजबूत होगा और सामाजिक स्तर भी बराबर हो जायगा।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजनारायण---अधिष्ठाता महोदय, जो व्यवस्था इस हाउस की रही है वह यह रही है कि तीन उस पक्ष के लोग बोलते हैं तो एक विरोधी पक्ष का बोलता है। लेकिन अभी से आपने माननीय मंत्री जी को बुला लिया है। अभी बहुत से बोलने वाले खड़े हैं। उधर के काफी सदस्य बोल चुके हैं और इधर से माननीय टीकाराम जी कई बार खड़े हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी पहले भी एक घंटा बोल चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता---लेकिन यह भी इस सदन की मर्यादा रही है कि जब माननीय मंत्री जी बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद दूसरे माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं रक्खा जाता। मैं माननीय मंत्री जी को पुकार चुका हूं इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि वे अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरगोविंद सिंह---अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में यह जो बात कही गयी है कि मैं पहले एक घंटा ले चुका हूं, वह गलत है। मेरा ख्याल है मैंने १५-२० मिनट से ज्यादा नहीं लिये थे इसलिये कि माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिल जाय। इस अनुदान के सम्बन्ध में जो वादविवाद इस सदन में हुआ उसको मैंने काफी ध्यान से सुना। मैं भवन के माननीय सदस्यों से चाहे वे किसी भी वर्ग या जाति के हों, यह अनुरोध करूंगा कि वे जरा गम्भीरता से समस्याओं पर विचार करें। आखिर मूलतः हरिजन या पिछड़ी हुई जातियों की समस्या है क्या? यदि आप विश्लेषण करें तो आप बाध्य होंगे इस नतीजे पर आने के लिये कि समस्यायें दो हैं, एक सामाजिक और एक आर्थिक। यदि सामाजिक कुरीतियां जो हमारे सामाजिक संगठन के कारण थीं और हैं यदि वह दूर हो जायं और आर्थिक दशा भी अच्छी हो जाय तब फिर कोई समस्या रही नहीं।

(इस समय ७ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब पहले सामाजिक समस्या को ले लीजिये तो इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कोई देश प्रेमी, जो अपने देश का उत्थान चाहता है, जो इस देश में हरएक प्रकार से ऊंचे शिखर पर देखना चाहता है, वह कभी यह नहीं कहेगा कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं वह एक दिन भी समाज में रहनी चाहिये लेकिन यह जरूरी होते हुये भी, और यह विश्वास होते हुये भी, यदि मैं एक पग और आगे जाऊं और यह कहूं कि जब तक इस समस्या का हल हम न निकाल दें और हम इस अवस्था में हो जायें कि हमारे समाज में कोई विलगाव न हो तब तक शायद हमारे देश का उत्थान भी हम जितना चाहते हैं संभव नहीं है। लेकिन अब प्रश्न यह होता है कि इन समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया जाय। मैं समझता हूं कि पहले आप कोई योजना

बनावें। जो बजट आपके सम्मुख प्रस्तुत है इसका हजार करोड़ या कई करोड़ गुना भी बजट प्रस्तुत करें जब तक हमारी भावनाओं और विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक रुपये से यह समस्या हल नहीं हो सकती। जब आप हमारे और हम आप के विचारों को बदलें तभी हम किसी योजना में सफल हो सकते हैं। अगर किसी कार्य और योजना को सफल बनाने के लिये जो एप्रोच होना चाहिये वह नहीं है तो कितनी भी योजनायें आप क्यों न बनावें, कितनी ही सुन्दर वे क्यों न हों, आप के कानों के लिये वे कितनी ही शुद्ध और मधुर क्यों न हों, लेकिन उससे कोई फल होने वाला नहीं है। तो अब पहली बात तो विचारों का परिवर्तन है। अगर पढ़े लिखे लोग ऐसे विचारों को प्रोत्साहन देंगे तब तो मैं यह कह सकता और मेरा यह विश्वास है कि बजट में रुपये की कमी या अनुदान की कमी से समस्या का हल नहीं निकल सकता।

धनगर साहब का उत्तर बहुत से मित्रों ने दिया और उनकी निस्बत एक कहावत है "हे ईश्वर इनको माफ कर क्योंकि इनको मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं"। वे हाथ रख कर अपने हृदय से पूछें कि क्या इन विचारों को व्यक्त करने से, बेपढ़े लिखे लोगों में यह प्रचार करने से यह तो अवश्य है कि वे पिछले चुनाव में असेम्बली के मेम्बर हो गये और फिर आयंदा भी असेम्बली के मेम्बर हो जायं लेकिन समस्या को उन्होंने और उलझाया और जटिल बनाया और ऐसा बना दिया कि अगर इन विचारों का थोड़े लोग भोलीभाली जनता में प्रचार करें तो आप यह समझें कि आपकी इच्छा होते हुये भी, गवनमेंट का प्रयत्न होते हुए भी यह समस्या कभी भी सुलझ नहीं सकती और आपको संतोष करना होगा अपनी अवस्था पर। आखिर उस दलील का विश्लेषण किया जाय। दलील तो यह है कि पिछड़ी हुई जाति और हरिजन मिला कर इस प्रान्त में ६ करोड़ और कुछ लोग हैं और उसमें ५ करोड़ और कुछ के उनकी संख्या है और जो १४० करोड़ का बजट है वह खाली १ करोड़ के लिये है यह दलील समझ में नहीं आई। प्रान्त में जब ६ करोड़ ३२ लाख लोग हैं तो फिर कुल बजट १ करोड़ आदमियों के लिये कैसे हो सकता है? आखिर अगर ये एक करोड़ व्यक्ति जो अभाग्यवश कहना चाहिये बड़ी जातियों में पैदा हो गये हैं उनको आप बांट आयें तो मेरी समझ में आता है लेकिन अगर उससे निर्माण कार्य करने हैं, रेलें उससे बनाना है, सड़कें उससे बनाना है, अस्पताल उससे खोलना है, उससे अगर कालेज और यूनिवर्सिटी खोलना है और अगर उससे अपने उद्योग धंधों का प्रसार करना है तो किस तरह से एक करोड़ लोगों को मिलेगा और बाक़ी ५ करोड़ लोग उससे वंचित रहेंगे। यह विचार, यह भाव और यह दलील ईश्वर उन्हीं को मुबारक करे। अब जैसा कि मैंने कहा कि यह समस्या ऐसी तो नहीं है कि हम आप यहां बैठ कर एक दो दिन में . . . .

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं समझता हूं कि मंत्री जी की पहली स्पीच हो रही है तो ७ मिनट का समय उनको भी मिलना चाहिये जैसा कि सदन के और सदस्यों को दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—नहीं, उनके लिये, मंत्रियों की स्पीच के लिये, समय नियुक्त नहीं है।

श्री हरगोविंद सिंह—मैं कह रहा था कि शायद ही कभी भविष्य में गांधी जी जैसा व्यक्ति पैदा हो, जब से उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया इस चीज को उन्होंने पहले रखा। यही नहीं, अगर गांधी जी उस वक्त हजारों लाखों की संख्या में लोगों का आवाहन करते कि तुम अपनी जान दो तो शायद उस वक्त भी संख्या उनके अनुमान से बढ़ जाती, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि शायद वह दुनिया का प्रवाह, हवा और रुख बदल सकते थे लेकिन उन्होंने भी इतने दिन से प्रयत्न किया और अब हम इस अवस्था में आये और हम उस ओर कुछ आगे बढ़ रहे हैं और ठीक बात भी है जो चीज सदियों से चली आ रही है, जिसने हमारे अन्दर एक धर्म जैसा स्थान पकड़ लिया है। वह चीज एक दो दिन या एक दो वर्ष में सुधर

[श्री हरगोविन्द सिंह]

नहीं सकती इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। तो हमें अगर इस समस्या को सुलझाना है, उसको निर्मूल करना है तो मैं उन्हीं से पूछता हूं कि क्या आपके विचार और भाव इस समस्या के प्रति ऐसे ही होने चाहिये, आपका एप्रोच क्या होना चाहिये। जिस एप्रोच से कि उन्होंने और जिस एप्रोच से कि हमारे और सदस्य जो ऐसी भावना को प्रसारित करते हैं अगर चलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन में कुछ थोड़ी सी कमजोरी है, मैं तो समझता हूं कि अगर वह इस प्रकार की भावनाओं को प्रश्रय देते हैं तो हरिजन केस का उनसे बढ़कर दुश्मन कोई नहीं हो सकता। हम चाहते हैं, समाज चाहता है, लेकिन अगर वह समस्या जटिल होती है तो उनकी वजह से। मैं उनसे कहूंगा कि अगर सचमुच आप चाहते हों तो आप ही इसको बदलिये। हम क्या करें बताइये? हम क्या कर सकते हैं? समस्या सामाजिक है। सामाजिक समस्या को ही लेता हूं। सरकार के दिमाग में यह बात आयी कि इनको शिक्षा दी जाय, उसके लिये उनको प्रोत्साहन दिया जाय तो शायद यह सामाजिक समस्या को हल करने का एक तरीका जरूर होगा। इसमें संदेह नहीं और होगा भी। इसलिये कुल हरिजनों की फीस माफ हों, कुल हरिजनों को डिग्री कालेज में वजीफा दें, मैंने कहा नहीं। हमने अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया है। लेकिन अभी परमानन्द जी आये थे हमारी उनकी बातचीत हुई और हम यह चाहते हैं कि मैट्रिकुलेशन के बाद जितने हरिजन लड़के पढ़ें उन सबको हम स्कालरशिप दें। लड़के हमारे यहां आयें और हम उनके लिये कुछ न करें तब तो आप कह सकते हैं।

हमारे कुछ मित्रों ने मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले लड़कों के सम्बन्ध में कहा। मैंने एक नियम सा बना लिया है कि बिना जांच किये हुये, जैसे स्कालरशिप का मामला है, मैंने कह दिया कि जो अप्लाई कर देता है उसको आप समझ लीजिये बिना किसी जांच के कि यह गरीब है और उसको देना चाहिये। तो मैंने सोचा कि दो ढाई सौ रुपया लगता है। कहां से आयेगा कैसे आयेगा? बजट में हम उसका प्रबन्ध नहीं कर सके। लेकिन फिर भी अभी हम उस पर विचार कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हमारे लिये यह सम्भव होगा कि इस समय जितने लड़के पढ़ रहे हैं शायद उनको दे सकेंगे। तो यह तो एक सामाजिक एप्रोच इस दिशा में की गयी। दूसरी दिशा में यह किया गया---छुआछूत तो दूर होनी ही चाहिए। छुआछूत के दो पहलू हैं एक तो हरिजनों में स्वयं और दूसरे सवर्ण जातियों से। इसकी सीढ़ी आप शुरू कीजिये और इस आशा से शुरू कीजिये तो आपको मानना पड़ेगा कि इससे पहले कि सवर्णों की आपसे छुआछूत दूर हो ज्यादा जरूरी है कि आपस में छुआछूत दूर हो। प्रयत्न उसी ओर होना चाहिये। जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनका प्रयत्न उधर होना चाहिये। यह मेरे कहने का मतलब है और उनका प्रयत्न यह है कि इतने गड़रिया, इतने अहीर, बताइये छुआछूत कैसे दूर हो? इनकी स्पीचेज से या मेरी स्पीचेज से। किसी की नहीं, मैंने यही कहा। मैं गलत हो सकता हूं मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरा यह अनुभव गलत हो कि हरिजनों में छुआछूत ज्यादा है बनिस्बत सवर्णों से। पढ़े लिखे सवर्णों और हरिजनों में तो खायी पटती जा रही है। लेकिन आपस में पट नहीं रही है।

श्री जोरावर वर्मा---यह सौगात कहां से आयी है?

श्री हरगोविंद सिंह---यह आपके घर से सौगात आयी है।

श्री वंशीदास धनगर---यह ठाकुर साहब से आयी है।

श्री हरगोविंद सिंह---आपका और उनका घर एक हो जाय तो मुझे बड़ी खुशी है।

इस तरह से जैसा मैंने पहले कहा कि हमको अपने भावों को, विचारों को अपनी कार्यशैली को बदलना चाहिये । अब आइये थोड़ी देर के लिये मान लिया हरिजनों में आपस में कोई छुआछूत न रहे, अब सवर्णों से छुआछूत का एक समय रहा तो आप क्या करेंगे, उस सवर्णा को गाली देंगे, उसको बुरा-भला कहेंगे, उसको जुल्मी कहेंगे ? मैंने पहले भी कहा कि उस कुल में पैदा होने के कारण तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास यह विभाग है ।

श्री राजनारायण—लेकिन हमारा तो दुर्भाग्य है ।

श्री हरगोविंद सिंह—लेकिन मैं समझता हूं कि आपसे देश का दुर्भाग्य तो है ही । तो हमको चाहिये यह कि हमारा आपका प्रयत्न हो । हमसे अभी कहा गया कि 'अनटचेबिलिटी वीक' जो मनाया गया उससे कोई लाभ नहीं हुआ । मैं खुद समझता हूं कि उससे शायद ही कोई लाभ हो सकता है जब तक हम आपस में मिलें न, जब तक हम आपस में विचार न बदलें और इसलिये जो आप लोगों ने कहा मैंने सब जगह कर दिया है कि किसी हरिजन होस्टल में सवर्णों को भी कम से कम ५ फीसदी या १० फीसदी तक उनको रखा जाय . . .

श्री जोरावर वर्मा—सवर्णों के होस्टल में हरिजनों को रखिये . . . .

श्री हरगोविंद सिंह—आप चुप रहिये ।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, क्या यह पार्लियामेंट्री है ?

श्री वंशीदास धनगर—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह बहुत ही अवैधानिक है । मैं अपील करता हूं कि यह सामन्तवादी शब्द हैं, ठकुरायतवादी शब्द हैं और यह . . .

श्री अध्यक्ष—(श्री वंशीदास धनगर से) आप कृपा करके प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करें । अन्यथा बीच में न बोलें ।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर । श्रीमन, मेरा यह निवेदन है कि अगर किसी सम्मानित सदस्य को कोई आदेश देना हो तो आप उसके लिये पूरा अधिकार रखते हैं और आपमें सबकी श्रद्धा है । लेकिन यदि मंत्री जी स्वयं आदेश देने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? मंत्री जी का इस तरह कहना अत्यन्त आक्षेपजनक है और स्वयं आपको निम्न किया है और उनको वह शब्द वापस लेने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—वह दूसरी बात है मैं उसको नहीं कहना चाहता । लेकिन मैं उसको अनपार्लियामेंट्री नहीं कह सकता । अनपार्लियामेंट्री कृति वापस नहीं होती । मैंने अपनी राय दे दी कि उन्हें मुझे ऐड्रेस करना चाहिये, बजाय इसके कि वह सदस्यों को सीधे कहें ।

श्री हरगोविंद सिंह—मैंने यह कहा था कि हमसे न पूंछिये जो कुछ पूंछना हो अध्यक्ष से पूंछिये ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है मैंने यह कह दिया कि वह सिर्फ कृति है । अब आइन्दा उनको चाहिये कि इस तरह कहना हो तो मेरे द्वारा ही कहें ।

श्री जोरावर वर्मा—(माननीय शिक्षा मंत्री से) आप बैठ जाइये ठाकुर साहब इस तरह अगर आप ठकुरई करते हैं . . . .

श्री अध्यक्ष---(श्री जोरावर वर्मा से) आप कृपा करके बैठें और नहीं तो सदन का त्याग कर दीजिये। आप बगैर पूछे खड़े हुए हैं।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं इसके खिलाफ सदन त्याग कर रहा हूं।

(इसके बाद श्री जोरावर वर्मा सदन के बाहर चले गये।)

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा जी ने बदतमीजी की है उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल---यह बदतमीजी शब्द अनपार्लियामेंट्री है, इसको वापस लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आपको यह शब्द वापस लेना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल---आपका हुक्म है मैं वापस लेता हूं मगर मैं बदतमीजी करने को क्या कहूं?

श्री अध्यक्ष---यह कृपा करके आप उस चीज को बढ़ाइए मत। देर तक बैठना बुरा होता है, उसकी वजह से गर्मी कुछ बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं कि हमें आठ बजे तक बैठना है इसलिये ऐसा हो रहा है।

श्री हरगोविंद सिंह---श्रीमन्, मैं यही कह रहा था इसलिये अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि इस बड़ी समस्या को सुलझाया जाय तो हमको अपने दृष्टिकोण में एक परिवर्तन करना पड़ेगा और बिना उस परिवर्तन के यह चीज हो नहीं सकती। कई दिशाओं से हम और आप इस समस्या पर आक्रमण करें जैसे कि शिक्षा में किया जा रहा है। अनटचेबिलिटी कानून के जरिये से किया जा रहा है और इसके अलावा और जो तरीका आप बतावें वह तरीका भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि रुपये की कमी की वजह से कोई तरीका जो आप हमें बतावेंगे उस पर अमल करने के रास्ते में मैं मंत्री की हैसियत से इस हाउस को विश्वास दिलाता हूं कि रुपये की कमी उसके बीच में नहीं आयेगी। लेकिन आप उसको बतायें तो। अब यह कह देना कि आपने बहुत दिनों से सताया है, आपने बहुत दिनों से शोषण किया है, यह तो आपके बिना कहे भी मैं मानता हूं और जानता भी हूं मैं उसके लिए माफी भी मागता हूं। लेकिन उसके लिए कुछ आप हमको बताइये तो कि ऐसा करिए आप। तो जो आपकी समस्या है इन दिशाओं से सरकार उस पर आक्रमण कर रही है। जितना उसमें खर्च होता है सरकार करती है। उससे अधिक करने के लिये भी है चाहे बजट का जो भी अंश उसमें लगे। लेकिन उसका तरीका होता है। उसको गम्भीरतापूर्वक अपने स्थान पर सोचिए और सोचकर के तब मुझको बताइये और अगर उसके बाद न कुछ हो तब यह आक्षेप आप कर सकते हैं कि आप सचमुच में दिखावे की बात करते हैं।

श्री राजनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त मैं आपको प्वाइंट आफ आर्डर रेज नहीं करने देता हूं। आप कृपया बैठें।

श्री हरगोविंद सिंह---जयपाल जी ने यह कहा कि जो अनुदान दिया जाता है यह तो एक भिक्षा की तरह से दिया जाता है। मैं स्वयं समझता हूं कि यह अपमान-जनक बात है। यह हरगिज भिक्षा नहीं है। यह आपका अधिकार है और इससे अधिक आपका अधिकार है और यही नहीं आपका अधिकार इतना बड़ा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती।

एक सदस्य—यह "आप" शब्द आपके लिए कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—यह "आप" शब्द भी आप मेरे लिए न कहिए। हरिजनों के लिये कहिए।

श्री हरगोविंद सिंह—श्रीमन, मैं यदि "आप" आप ही को कहूं तो भी कोई हर्ज नहीं है। आप तो हम सबके श्रीमन् हैं न।

तो वह मैंने कहा कि उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती और न उसकी सीमा होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह हमारे हरिजन भाइयों का अधिकार है। तो यह जिस प्रकार से इस समस्या पर आक्रमण हो रहा है वह तो होता ही रहेगा और जो सुझाव माननीय सदस्यों के आपके जरिये से आवेंगे उनको भी मैं मानने के लिये तैयार हूं। अब आर्थिक समस्या पर श्रीमान् यदि विचार किया जाय...

श्री अध्यक्ष—आठ बजे तक समाप्त करना है इसका भी आप ख्याल रखें।

श्री हरगोविंद सिंह—जितने मिनट पहले आप कहें उतने मिनट पहले मैं बैठ जाऊं। आर्थिक समस्या का जो हल है, उसका एक ही हल हो सकता है। जब देश का उत्पादन बढ़े, जब देश में धन की वृद्धि हो, तभी देशवासियों की आर्थिक अवस्था भी अच्छी हो सकती है। यदि देश में किसी एक विशेष जाति को लेकर के हम प्रयत्न भी करें कि इनकी आर्थिक अवस्था अच्छी हो जाय तो इसमें भी हमको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि देश की उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ेगी, उसके साधन मुहैया नहीं होंगे। तो एक ओर तो श्रीमन्, इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रान्त की उत्पादन की शक्ति बढ़ जाय और दूसरी ओर इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि हमारे हरिजन भाई या और जो पिछड़े हुए लोग हों उनको हम इस अवस्था में पढ़ा लिखा करके कर दें कि वे उसका समुचित फल स्वयं पा सकें, वे उससे वंचित न रह जायं। जो हरिजन विभाग को एक अलग विभाग बना कर व्यवस्था की जा रही है वह यह है। कुटीर उद्योग के लिये कहा गया, अब थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि अगर हम स्कूल न खोलें और शिक्षा न दें और कुटीर उद्योग में ४ करोड़ रुपया दे दें तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये यह तो सरकार की नीति है इस समस्या को सुलझाने की और मैं समझता हूं कि इस सदन के सदस्य और इससे बाहर के लोग चाहे वे किसी भी जाति के हों उनका सहयोग अगर हमें मिलेगा तो हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं।

इसके अलावा इस सदन में कुछ हमारे विभागीय अधिकारियों की शिकायत की गयी। मैं इसको अप्रिय समझता हूं और इसलिये इसका जवाब भी यहां देना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन जहां तक हमारे एम० एल० एज० का सम्बन्ध है, हमारा कोई भी विभागीय कर्मचारी चाहे वह बड़े से बड़ा क्यों न हो अगर उस पर सही रूप से जितना आदर एक एल० एम० ए० को देना चाहिये उतना न देने का दोष हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा और इस सम्बन्ध में पहले भी एक दफा मैं कह चुका हूं और आज उसको फिर दोहराता हूं कि राजनारायण जी जैसे एम० एल० ए० को छोड़कर दूसरे एम० एल० एज० को यह चाहिये कि वे मेरे पास आयें, मुझसे बतायें, मैं उनका हूं, वह मेरे हैं। वे हमारे विभागीय कर्मचारियों के यहां जाते क्यों हैं? हम और हमारे डिप्टी मिनिस्टर तो इसके लिये हैं ही, हम आपकी तकलीफ जानते हैं आप हमारी दिक्कतें जानते हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप उनके पास कभी भी न जायं। लेकिन यदि आप उनके पास जायंगे और इस बात की आशा करके जायंगे

[श्री हरगोविंद सिंह]

और जाना भी चाहिये कि आपको उचित आदर मिले और उनसे कोई गलती हो जाय तो उसकी शिकायत तो आपको हमसे अलग करना चाहिये, हाउस उसके लिये उपयुक्त स्थान नहीं है। जितनी शिकायतें की गयी मैंने सबकी फाइलें मंगाई और देखा और मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं उसमें उनको निर्दोष समझता हूं। अगर हम किसी इन्सपेक्शन पर जाते हैं और हमको यह मालूम होता है कि किसी भाई ने अनुदान लिया है जो हमको इत्तला मिलती है वह चाहे गलत ही क्यों न हो लेकिन हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उससे जा कर पूछें कि आपने अनुदान लिया है तो क्या किया है, या आपने कोई अनुदान नहीं लिया है तो कह दीजिये कि हमने कोई अनुदान नहीं लिया, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। विभाग की ओर से यह वादा किया गया था कि उसको वहां से निकाला जायगा यह तो मैं नहीं जानता। मैंने अपने उप मंत्री जी से पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा वायदा नहीं किया फिर किस ने किया मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अभी भी ऐसे सबूत हों जो हमारे सामने रखे जायं और अगर उसकी गलती होगी तो उसको सजा अवश्य मिलेगी।

श्री वंशीदास धनगर—अध्यक्ष महोदय, मैं कोई जवाब देने से पहले आपसे अपील करूंगा कि हमारे मंत्री जी ने अपने तमाम विवाद में १ घंटा ४० मिनट का समय लिया तो मैं अपनी चीज को अपनी जगह पर लाने के लिये यह अवश्य दरख्वास्त करूंगा कि मुझे उनसे आधा टाइम जरूर दिया जाय क्योंकि मुझे उनका जवाब देना है और जो १६ सदस्य बोले हैं उनका भी जवाब देना है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं अपील कर रहा हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष—दिक्कत मेरी यह है कि ८ बजे तक इसको खत्म करने का सदन का निर्णय हो चुका है इसलिये ८ बजे तक जरूर इसको खत्म कर देना है। अगर सदन के समय बढ़ाने का प्रस्ताव आप रखें तो यह हो सकता है।

श्री वंशीदास धनगर—मुझे यह कहना है कि . . .

श्री अध्यक्ष—यह नहीं यदि आप समय बढ़ाने का प्रस्ताव ले आयें तो मैं उसको ले लूंगा।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि जब तक आपका भाषण चलता रहे सदन का समय उस समय तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार नहीं आप कृपया प्रस्ताव में समय निर्धारित कर दें।

श्री राजनारायण—मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि सदन का समय आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आध घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय और माननीय वंशीदास धनगर जी को वह समय दे दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वंशीदास धनगर—अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा कि कम से कम १० मिनट के लिये तो समय बढ़ा ही दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन के निर्णय से बंधा हुआ हूं और मैं सदन के निर्णय के विरुद्ध आपको समय नहीं दे सकता हूं, आप कृपा करके १० मिनट में भाषण खत्म कर दें।

श्री वंशीदास धनगर—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे स्वराज्य के बाद हमारे देश की अगर कोई समस्या है तो वह यही समस्या है जिसके विषय में अनुदान की चर्चा हो रही है। यह अछूत और पिछड़े हुये भाइयों की यह राष्ट्रीय समस्या है। यह समस्या अगर इस प्रकार से विषयांतर की गयी जिसकी चेष्टा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने की कि यह सामाजिक समस्या है और यह आर्थिक समस्या है। वह तो शिक्षा मंत्री हैं लेकिन हम लोग १७ वर्ष तक शिक्षा शास्त्री रह चुके हैं और शिक्षा विभाग में हमारी १७ वर्ष की सर्विस है और ६ नौकरियां इसी विषय पर हमने छोड़ी हैं और यह मेरे जीवन की समस्या है शायद वह इसको विषयांतर कर सकते हैं क्योंकि जहां वह मौजूद हैं वहां रहें और आगे भी शायद वह एम०एल०ए० होंगे और होने चाहिये। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह मेरे लिये न्योछावर की समस्या होगी जिसको कि एम०एल०ए० शिप कहते हैं। इससे ज्यादा तनख्वाह तो अध्यापक जीवन में मुझे मिलती थी। लेकिन प्रश्न यह है कि उन्होंने कहा कि यह समस्या सामाजिक और आर्थिक है और मैं कहता हूं कि यह बड़ी भारी समस्या है और एक इंच भी राजनीतिक समस्या से कम नहीं है। यह समस्या थ्रू एंड थ्रू राजनीतिक है। मैं यह कहता हूं कि इसमें थोड़ा सा ढीलापन हो सकता है, इसको मैं तस्लीम करूंगा, असली बात यह है कि आज राज्य की बागडोर ऊंची जाति के लोगों के हाथ में है। गांधी जी कहा करते थे और मैं चाहे उनका चेला होने का दावा न करूं लेकिन शायद मैं अपनी मानसिक शक्ति से सब से बड़ा चेला मानता हूं। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि वह कहा करते थे कि तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा जब तक कि इस देश का राष्ट्रपति इन जातियों में से नहीं होगा। एक अछूत लड़की के विवाह के समय आशीर्वाद देते समय गांधी जी ने कहा था कि इस समस्या का हल तभी होगा जब कि यहां का राष्ट्रपति एक हरिजन होगा। मेरा आशीर्वाद उसी समय सफल होगा। यहां पर चीज यह है कि भई भूखे का पेट बातों से नहीं भरता। यहां चाटुकारिता की बात नहीं है, हृदय की बात है। यहां प्रश्न भाई चारे का है। यह नहीं है कि जैसा विवाद में कहा गया कि हम वर्ग हीन, वर्ण हीन, सांप्रदाय हीन एक सम्प्रदाय बनाना चाहते हैं, उसकी स्थापना होनी चाहिये। इन बातों के हिसाब से अगर कोई तस्वीर बनती हो तो बहुत अच्छा, अगर उससे सौगुनी कम एक तस्वीर बनती है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर एक भी तस्वीर न बने और खाली कोरी बातें में ही टकराया जाय, जैसा कि राजनीति में किया जाता है, तो इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। मैं लोगों को खाली भड़काना नहीं चाहता। यह केवल मेरी समस्या नहीं है वरन् राष्ट्र की समस्या है। यह मेरे जीवन की समस्या नहीं है। यदि वह मुझे कुछ इस सम्बन्ध में बता सकते हैं तो मैं उनको गुरू मान कर उनसे अध्ययन करूंगा। जिस समस्या को वह एक बड़ी कड़ी समस्या समझते हैं उसको हमने अपने क्षेत्र में जरा सी देर में हल कर दिया और उसके चलते कांग्रेसियों की जमानत जब्त हो गयी। मैं केवल डेढ़ वर्ष ही पब्लिक लाइफ में रहा लेकिन सात और अन्य उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई।

एक सदस्य—वोट कितने मिले थे।

श्री वंशीदास धनगर—वोट कितने ही मिले हों लेकिन जमानतें जब्त हो गईं।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—अनुसूचित और पिछड़ी हुयी जातियों का सुधार और उत्थान (लेखा शीर्षक : ५७—विविध) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—अनुसूचित और पिछड़ी हुयी जातियों का सुधार और उत्थान (लेखा शीर्षक : ५७-विविध) के अन्तर्गत ८४,९१,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ७ बज कर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
८ मार्च, १९५६

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे २३२ पर)

वर्तमान सत्र के दूसरे गुरुवार के लिये श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में उल्लिखित सूची:

जिला	अमेरिकन मिशन्स की संख्या
१—देहरादून	२
२—सहारनपुर	६
३—मुज़फ़्फ़रनगर	१७
४—मेरठ	२
५—बुलन्दशहर	४
६—अलीगढ़	१
७—मथुरा	१
८—आगरा	२
९—मैनपुरी	१
१०—एटा	४
११—बरेली	१०
१२—बिजनौर	१
१३—बदायूं	१
१४—मुरादाबाद	१
१५—शाहजहांपुर	३
१६—फरुखाबाद	१
१७—इटावा	१
१८—कानपुर	४
१९—फतेहपुर	२
२०—इलाहाबाद	६
२१—हमीरपुर	४
२२—झांसी	३
२३—जालौन	१
२४—बनारस	१
२५—बलिया	१
२६—गोरखपूर	२
२७—देवरिया	१
२८—बस्ती	७
२९—नैनीताल	१
३०—अल्मोड़ा	४
३१—गढ़वाल	२
३२—लखनऊ	३
३३—राय बरेली	१
३४—सीतापुर	१
३५—हरदोई	१
३६—खीरी	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	अमेरिकन मिशन्स की संख्या
३७—फैजाबाद	१
३८—गोंडा	५
३९—बहराइच	३
४०—सुल्तानपुर	४
४१—बाराबंकी	१
४२—पीलीभीत	..
४३—बांदा	..
४४—रामपुर	..
४५—मिर्जापुर	..
४६—जौनपुर	..
४७—गाजीपुर	..
४८—आजमगढ़	..
४९—टेहरी गढ़वाल	..
५०—उन्नाव	..
५१—प्रतापगढ़	..
योग	११८

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७-१८ के उत्तर पीछे पृष्ठ २३७ पर)

जिलों के नाम जिनके जिलाधीशों को वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन या एलाउन्स मिलता है	१४ अक्तूबर, १९५५ से पूर्व			१४ अक्तूबर, १९५५ से अब तक		
	विशेष वेतन (स्पेशल पे) मासिक	सवारी भत्ता (कन्वेयन्स एलाउन्स) मासिक	कम्पेन्सेटरी एलाउन्स (मासिक)	विशेष वेतन (स्पेशल पे) मासिक	सवारी भत्ता (कन्वेयन्स एलाउन्स) मासिक	निजी वेतन (पर्सनल पे)- मासिक
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
कानपुर ..	१००	१००	१५०	२००	१००	५०
लखनऊ ..	१००	..	१५०	२००	..	५०
इलाहाबाद ..	..	..	१००	२००		..
बनारस ..	..	..	१००	२००	..	..
आगरा ..	..	..	१००	२००	..	..
मेरठ ..	..	..	१००	२००	..	..
बरेली ..	..	..	१००	२००	..	..

विशेष वेतन देने का कारण

कार्य की अधिकता तथा विषमता (पेचीदगी)

सवारी भत्ता देने का कारण

दूसरे नगरों की अपेक्षा नगर के अन्दर अधिक दौरा जिसके लिये और कोई एलाउन्स नहीं मिलता। . .

कम्पेन्सेटरी एलाउन्स देने का कारण . .

इन नगरों में दूसरे नगरों की अपेक्षा रहन-सहन का अधिक खर्च। . .

निजी वेतन देने का कारण

इन नगरों के जिलाधीशों को १४-१०-५५ तक विशेष वेतन तथा कम्पेन्सेटरी एलाउन्स मिला कर २५० रु० मासिक मिलता था अब विशेष वेतन २०० रु० मासिक कर दिये जाने से ५० निजी वेतन के रूप में दिये गये हैं ताकि उनको हानि न हो।

यह निजी वर्तमान जिलाधीशों को ही मिलता रहेगा जब तक वह इन नगरों में हैं। इनके उत्तराधिकारियों को नहीं मिलेगा।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २३७ पर)

जिला बस्ती की खलीलाबाद तहसील के अन्तर्गत थानों में जुलाई, सन् १९५५ से नवम्बर, सन् १९५५ तक हुई चोरियों का विवरण।

क्रम सं०	थाने का नाम	रिपोर्ट की गई	जांच की गई	चालान किया गया	सजायाब हुए	छूट गये	न्यायालय में विचाराधीन	जांच हो रही है	जांच नहीं की गई	लापता रहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	खलीलाबाद ..	३४	३२	३	..	..	३	१	२	२८
२	घनघटा ..	६	५	१	.	..	१	..	१	४
३	महुली ..	२०	१९	२	..	..	२	..	१	१७
४	मुडेरवा ..	८	७	..	..	..	..	..	१	७
५	मेंहदावल ..	१०	९	१	..	..	१	..	१	८
६	दुधारा ..	९	७	..	..	..	..	..	२	७

श्री विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४० पर)

ग्राम नौसेभर जिला आजमगढ़ तथा ग्राम टिकुलिया जिला बलिया में हुये संघर्ष का विवरण :

१—जिला आजमगढ़

ग्राम नौसेभर में २२ अक्तूबर, सन् १९५५ को दो दलों में मार पीट हुई जिसके फलस्वरूप एक दल के दो व्यक्तियों के चोटें आईं। उनमें से एक की २८ अक्तूबर को मृत्यु हो गयी। अभियुक्तों का चालान आई० पी० सी० की धारा ३०४ के अन्तर्गत कर दिया गया है और मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है।

२—जिला बलिया

दिनांक २८ अक्तूबर, १९५५ को ग्राम टिकुलिया में दो दलों में एक खेत जोतने के ऊपर झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप दो व्यक्तियों की भालों से मृत्यु हो गई और कुछ लोगों के चोटें लगी। २१ व्यक्तियों का चालान किया गया। मुकदमा इस समय न्यायालय में विचाराधीन है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २५८ एल० ए०—१९५६—७९६।